



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दूसरी
SECOND

अनुदानों के लिए पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2020-2021

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

फरवरी, February, 2021

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरे और अंतिम बैच 2020-2021.

Subject : Second and Final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2020-2021.

वर्ष 2020-21 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे और अंतिम बैच में 79 अनुदान मांगें तथा 2 विनियोग हैं। ₹6,28,379.99 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹4,12,653.48 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹2,15,725 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹151 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The Second & Final batch of Supplementary Demands for Grants for 2020-21 includes 79 Grants and 2 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹6,28,379.99 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹4,12,653.48 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹2,15,725 crore. Besides, token provision of ₹151 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
5 कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	5 Department of Chemicals and Petrochemicals			
केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान के तहत व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for Central Institute of Plastic Engineering and Technology.	3.64	...	3.64
6. उर्वरक विभाग	6 Department of Fertilisers			
(क) 1.स्वदेशी पीण्ड के सब्सिडी (₹9,722.53 करोड़), आयातित पीएण्ड के सब्सिडी (₹5,719.37) और शहरी कम्पोस्ट (₹43.98 करोड़) के भुगतान के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure under Atmanirbhar Bharat Abhiyaan 3.0 towards payment for Indigenous P&K Subsidy (₹9,722.53 crore), Imported P&K Subsidy (₹5,719.37 crore) and City Compost (₹43.98 crore).	15,485.88	...	15,485.88
(ख) स्वदेशी यूरिया (₹36112.80 करोड़) और यूरिया सब्सिडी का आयात (₹12999.62 करोड़) के भुगतान के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure under Atmanirbhar Bharat Abhiyan 3.0 towards payment for Indigenous Urea (₹36,112.80 crore) and Import of Urea Subsidies (₹12,999.62 crore).	49,112.42	...	49,112.42
(ग) सिन्दरी, बरौनी और गोरखपुर में स्थित 3 यूरिया कारखानों को पुनर्जीवित करने के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड को ब्याज रहित ऋण के अनुदान के लिए।	(c) For grant of interest free loan to Hindustan Urvarak & Rasayan Limited for revival of 3 urea plants located at Sindri, Barauni and Gorakhpur.	...	813.23	813.23
7. भेषज विभाग	7 Department of Pharmaceuticals			
(क) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान (₹ 45.00 करोड़) और जनऔषधि स्कीम (₹0.81 करोड़)।	(a) For National Institutes of Pharmaceuticals Education and Research (₹45 crore) and Jan Aushadhi Scheme (₹0.81 crore).	45.81	...	45.81
(ख) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान (₹ 76.82 करोड़) (ii) जनऔषधि (₹14.19 करोड़) और (iii) साझा सुविधा केन्द्र के लिए थोक औषधि उद्योग को सहायता (₹ 13.55 करोड़) के लिए।	(b) For National Institutes of Pharmaceuticals Education and Research (₹76.82 crore) (ii) Jan Aushadhi (₹14.19 crore) and (iii) Assistance to Bulk Drug Industry for Common Facilitation Center (₹13.55 crore).	91.01	...	91.01

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8. नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
(क) निम्नलिखित के तहत व्यय पूरा करने के लिए (i) एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एसपीवी) (₹10.50 करोड़ रुपए)। और (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के अंतर्गत (19.68 करोड़) 2. अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (₹ 1 करोड़)। 3. निम्नलिखित के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (i) क्षेत्रीय संपर्कता योजना (₹234.83 करोड़) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए (₹29.99 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General under (i) Air India Assets Holding Ltd. (SPV) (₹10.50 crore) and (ii) Indira Gandhi Rastriya Uran Academy (₹19.68 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under Airport Economy Regulatory Authority (₹1 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets under (i) Regional Connectivity scheme (₹234.83 crore) and Airport Authority of India for NE region (₹29.99 crore).	286.56	...	286.56
(ख) विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो योजना के अंतर्गत संयुक्त कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु।	(b) For construction of combined office complex under Aircraft Accident Investigation Bureau scheme.	...	14.00	14.00
(ग) नागर विमानन महानिदेशालय के अंतर्गत चालू ई-जीसीए परियोजना हेतु तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (₹10 करोड़) के अंतर्गत संयुक्त कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु (₹4 करोड़)।	(c) For ongoing E-Governance for Civil Aviation project under Director General Civil Aviation (₹10 crore) and for construction of combined office complex under Bureau of Civil Aviation Security (₹4 crore).	...	14.00	14.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों पर केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी को वापिस करना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 200 करोड़) और (ii) 'परिवहन (सब्सिडी स्कीम/भाड़ा सब्सिडी स्कीम) स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 85 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards Subsidies under the scheme (i) Refund of Central and Integrated GST of Industrial Units in NER and Himalayan States (₹200 crore) and (ii) Transport Subsidies Scheme/Freight Subsidies scheme (₹85 crore).	200.00	...	200.00
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों पर केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी को वापिस करना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 800 करोड़) और (ii) 'राष्ट्रीय/औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास' (एनआईसीडीआईटी) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹1400 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) Subsidies under the scheme Refund of Central and Integrated GST of Industrial Units in NER and Himalayan States (₹800 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) (₹1,400 crore).	777.51	...	777.51
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
14 उपभोक्ता मामले विभाग	14 Department of Consumer Affairs			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 'मूल्य/स्थिरीकरण निधि' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए (₹980 करोड़)।	(a) For release of Grants-in-aid General under Price Stabilization Fund for North Eastern Region (₹980 crore).	977.35	...	977.35
(ख) (i) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई- I और II) तथा आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) स्कीमों दलों के अंतर्गत निःशुल्क वितरण के लिए 'मूल्य/स्थिरीकरण निधि' के अंतर्गत सामान्य	(b) For release of Grants-in-aid General under (i) Price Stabilization Fund for free distribution of Pulses under Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सहायता अनुदान जारी करने के लिए - नकद पूरक अनुदानों के रूप में ₹ 2760.56 करोड़ (ii) मूल्य स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए (₹59.44 करोड़)।	(PMGKAY-I & II) and Atmanirbhar Bharat Schemes (ANB) (₹2,760.56 crore) and (ii) Price Stabilization Fund (₹59.44 crore).	2,760.56	...	2,760.56
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्य सब्सिडी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन और आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) पैकेज और भारतीय खाद्य निगम को एनएसएसएफ ऋणों के पुर्नभुगतान के लिए (₹250208.76 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के कल्याण के लिए (₹10464.39 करोड़) और अनुसूचित जनजाति उप-योजना (टीएसपी) के कल्याण के लिए (₹5421.31 करोड़) (ii) एनएफएस के अंतर्गत खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकरण खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी (₹31,000.63 करोड़) 2. (i) एनएफएस के अंतर्गत अंतर्राज्य आबाजाही खाद्यान्न आवागमन राज्यक एजेंसी और एफपीएस डीलर मार्जिन के लिए सहायता (₹2,500 करोड़) (ii) वर्ष 2017-18 के लिए चीनी मिलों की सहायता (₹10 करोड़), वर्ष 2018-19 के लिए चीनी मिलों को सहायता (₹700 करोड़), वर्ष 2019-20 के लिए चीनी मिलों को सहायता (₹3400 करोड़) 3. (i) चीनी के बफर स्टॉक सृजन और अनुसूक्षण (100 करोड़)। (ii) 40 एलएमटी चीनी की बफर स्टॉक सृजन और अनुसूक्षण (₹300 करोड़)। 4. निर्यात पर अन्य शुल्कों और आन्तरिक परिवहन, माल भाड़ा, संचालन के लिए व्यय को चुकाने हेतु चीनी मिलों को सब्सिडी (₹101 करोड़)। 5. चीनी मिलों के आसान ऋण देना (₹298 करोड़)। 6 एथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता का विस्तार करना (₹100 करोड़)। 7. अन्य अनुमेय दावों के भुगतान और चीनी के निर्यात शिपमेंट पर चीनी मिलों को आन्तरिक परिवहन और मालभाड़ा शुल्कों की अदायगी के अंतर्गत सब्सिडी (₹0.37 करोड़)।	For 1. food subsidy (i) to Food Corporation of India under National Food Security Act (NFSA), 2013 and for additional allocation of foodgrains under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana and Atmanirbhar Bharat Package and for repayment of NSSF Loan to FCI (₹ 2,50,208.76 crore), for welfare of Schedule Caste Sub Plan (₹10,464.39 crore) and for welfare of Tribal Area Sub Plan (₹5,421.31 crore) and (ii) for Decentralized Procurement of Foodgrains under NFSA (₹31,000.63 crore) 2. assistance to (i) State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA (₹2,500 crore) (ii) Sugar Mills for 2017-18 season (₹10 crore), 2018-19 season (₹700 crore), 2019-20 season (₹3,400 crore) 3. creation and maintenance of (i) buffer stock of sugar (₹100 crore) and (ii) buffer stock of 40 LMT sugar (₹300 crore) 4. subsidy to sugar mills for defraying expenditure towards internal transport, freight, handling and other charges on export (₹101 crore) 5. extending soft loans to sugar mills (₹298 crore) 6. extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity (₹100 crore) 7. Subsidy under Reimbursement of Internal Transport and Freight charges to sugar factories on export shipment of sugar and payment of other permissible claims (₹0.37 crore).	3,04,557.83	...	3,04,557.83
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	20 Capital Outlay on Defence Services			
(क) 'भूमि' (₹4.51 करोड़) और 'नौसेना बेड़ा' (₹161.50 करोड़) के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए।	(a) For meeting additional expenditure arising out of court decree for Navy under 'Land' (₹4.51 crore) and 'Naval Fleet' (₹161.50 crore).	...	159.50	159.50
(ख) (i) सेना के लिए 'निर्माण कार्यों' (₹ 676.03 करोड़), 'अन्य उपकरण' (₹ 441.04 करोड़), 'चल स्टॉक' (₹ 50 करोड़), 'सेना के लिए भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम' (₹3.47 करोड़) (ii) नौसेना के लिए 'वायुयान' (₹4,047.39 करोड़), '(अन्य उपकरण' (₹2,950 करोड़) और 'नौसेना बेड़ा' (₹4,486.70 करोड़) (iii) वायुसेना के लिए 'वायुयान' (₹ 2,515.14 करोड़), '(अन्य उपकरण' (₹ 9,211.68 करोड़) और (iv)	(b) For meeting additional expenditure for (i) 'Construction Works' (₹676.03 crore), 'Other Equipment' (₹441.04 crore), 'Rolling Stock' (₹50 crore), 'Ex-serviceman Contributory Health Scheme' (₹3.47 crore) for Army (ii) 'Aircraft' (₹4,047.39 crore), 'Other Equipment' (₹2,950 crore) and 'Naval Fleet' (₹4,486.70 crore) for Navy (iii) 'Aircraft' (₹2,515.14 crore) and 'Other			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
'(निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत नमूना विकसित करने हेतु सहायता' पर प्रौद्योगिकी विकास के लिए ₹ 28.50 करोड़।	Equipment' (₹9,211.68 crore) for Air Force and (iv) ₹28.50 crore for Technology Development on 'Assistance for Prototype Development under Make Procedure'.	...	20,466.50	20,466.50
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
37 पेंशन	37 Pensions			
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान और 'निश्चित अंशदान पेंशन स्कीम' के अंतर्गत सरकारी अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards payment of pensions and other retirement benefits and increase in Government Contribution from 10% to 14% under Defined Contribution Pension Scheme.	981.58	...	981.58
मत्स्य, पशु चिकित्सा और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
39 मत्स्य विभाग	39 Department of Fisheries			
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत (₹7.50 करोड़) सहायता अनुदान-सामान्य में (₹78.99 करोड़) तथा एस.सी.एसपी. संघटक टी.ए.एस.पी. संघटक के अन्तर्गत (₹9.99 करोड़)।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid-General (₹78.99 crore), SCSP Component (₹7.50 crore) and TASP Component (₹9.99 crore) under the scheme Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.	85.42	...	85.42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) (i) सहायता अनुदान सामान्य (₹4,050.22 करोड़), पूंजीगत आस्तियां सृजित करने के लिए अनुदान (₹989.45 करोड़), और वेतन सहायता अनुदान (₹2,987.85 करोड़), और (ii) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान से इतर अन्य मदें (₹3,644.30 करोड़) व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹4,050.22 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹989.45 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹2,987.85 crore) and (ii) other items other than Grants-in-aid (₹3,644.30 crore) under the various schemes.	127.00	...	127.00
(ख) (i) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य (₹13,389.49 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹19,355.70 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹13,389.49 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹19,355.70 crore) under the various schemes.	162.01	...	162.01
(ग) (i) सहायता अनुदान सामान्य (₹511.57 करोड़) और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1,121.99 करोड़) व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹511.57 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹1,121.99 crore) under the various schemes.	310.95	...	310.95
(घ) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹2395.90 करोड़), (i) राष्ट्रीय (ii) राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹4 करोड़) (iii) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (₹5.26 करोड़) (iv) अखिल भारतीय भौतिक दवा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई (₹0.46 करोड़) (v) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एण्ड श्रीमति एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली (₹98.97 करोड़) (vi) डॉ. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	(d) For meeting additional requirement under the schemes/Programmes/ Institutions etc. (i) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (GBS) (₹2395.90 Crore) (ii) National AIDS and STD Control Programme (₹4 Crore) (iii) Central Government Health Scheme (₹5.26 Crore) (iv) All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai (₹0.46 Crore) (v) Lady Hardinge Medical College &			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
संस्थान नई दिल्ली (₹13 करोड़) (vii) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम केन्द्र (₹1 करोड़) (vii) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली (₹6.48 करोड़) (viii) एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण-तैयारी के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय तथा जूनोटिक रोग नियंत्रण और अन्य उपेक्षित शीतोष्ण रोग, वायरल हेपेटाइटिस की निगरानी, एन्टी-माइक्रोबियल रेसिसटेंस (₹5.20 करोड़) (ix) कलावती सरन बाल अस्पताल नई दिल्ली (₹0.22 करोड़)। योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थाओं इत्यादि के अधीन अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	Smt. S.K. Hospital, New Delhi (₹98.97 Crore) (vi) Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Post Graduate Medical Education and Research, New Delhi (₹13 Crore.) (vii) National Centre for Disease Control Programme (Rs. 1 Crore) (vii) Central Research Institute, Kasauli (₹6.48 Crore) (viii) Establishment and Strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives - Inter-Sectoral Coordination for Preparation and Control of Zoonotic Disease and Other Neglected Tropical Disease, Surveillance of Viral Hepatitis, Anti-microbial Resistance - (₹5.20 Crore) (ix) Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi (₹0.22 Crore).	...	1,497.25	1,497.25
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
47 मंत्रिमण्डल	47 Cabinet			
एयर इंडिया को लंबित देयताओं को जारी करने के लिए (₹ 184.10 करोड़)।	For release of pending dues to Air India (₹184.10 crore).	100.84	...	100.84
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
66 भारत का उच्चतम न्यायालय	66 Supreme Court of India			
वेतन (₹10.04 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹9.35 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Salaries (₹10.04 crore) and Office Expenses (₹9.35 crore).	19.39	...	19.39
कार्मिक, लोक शिकायत, और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73 कार्मिक, लोक शिकायत, और पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) (₹ 27.79 करोड़)।	For meeting expenditure towards Professional Services for Staff Selection Commission (SSC) (₹27.79 crore).	25.41	...	25.41
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
76 योजना मंत्रालय	76 Ministry of Planning			
(i) स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग सहित अटल नवप्रवर्तन मिशन (एआईएम) (₹38 करोड़) (ii) स्थायी विकास लक्ष्यों हेतु जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के लिए सरकारी विकास सहायता (ओडीए) (₹87 करोड़) (iii) राष्ट्रीय श्रम अर्थ अनुसंधान और विकास संस्थान (₹0.50 करोड़) की योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य के लिए अतिरिक्त आवंटन को पूरा करने के लिए।	For meeting an additional allocation towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Atal Innovation Mission (AIM) including Self Employment and Talent Utilisation (₹38 crore) (ii) Official Development Assistance (ODA) for Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainable Development Goals (₹87 crore) and (iii) National Institute of Labour Economics Research and Development (₹0.50 crore).	120.00	...	120.00
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
84 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	84 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) (i) (₹4,510 करोड़) जीबीएस से वित्त पोषित विशेष अभिवृद्ध सड़क विकास कार्यक्रम	(a) For meeting additional expenditure towards Major Works under the			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
और (ii) (₹460 करोड़) जीबीएस से वित्त पोषित रोड़ विंग के अंतर्गत सड़क विकास निर्माण कार्य।	schemes (i) Special Accelerated Road Development Programme financed from GBS (₹4,510 crore) and (ii) Road Development Works under Road Wing - financed from GBS (₹460 crore).	...	4,970.00	4,970.00
(ख) 1. सीआरआईएफ से वित्तपोषित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में निवेश (₹6500 करोड़), भारतमाला परियोजना (₹50 करोड़), और सीआरआईएफ से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹3,586.50 करोड़), 2. (i) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में सड़क संपर्कता के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम (₹30 करोड़) के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्यक्रम-सीआरआईएफ से वित्त पोषित जनजातिएं क्षेत्रा उपयोजना (₹3140 करोड़) 3. एनएचएआई में निवेश हेतु सीआरआईएफ के लिए अंतर खाता अंतरण (₹6550 करोड़) और अन्य योजनाएं (₹3464.50 करोड़)।	(b) For 1. Investment in National Highways Authority of India (NHAI) financed from CRIF (₹6,500 crore), Bharatmala Pariyojana (₹50 crore) and additional expenditure under National Highways Original Works financed from CRIF (₹3,586.50 crore) 2. additional expenditure on Major Works under (i) Special Programme for Development of Road Connectivity in Left Wing Extremist Affected Area (₹30 crore) and (ii) National Highways Original Works-Tribal Area Sub Plan finance from CRIF (₹3,140 crore) 3. Inter Account Transfer to CRIF for Investment in NHAI (₹6,550 crore) and for other schemes (₹3,464.50 crore).	...	5,030.00	5,030.00

शहरी विकास मंत्रालय**85 शहरी विकास विभाग**

(क) (i) आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 3.0 के अनुसार महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹7000 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि के लिए निधियों का अंतरण (₹10,000 करोड़)।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**85 Department of Rural Development**

For (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme as per Atmanirbhar Bharat Abhiyan Package 3.0 (₹7,000 crore) and (ii) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹10,000 crore).

3,457.83 ... 3,457.83

कुल नकद व्यय**Total Cash Outgo**

3,79,689.00 32,964.48 4,12,653.48

3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में ₹2,15,725 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के लिए प्रस्ताव शामिल हैं, जिसे अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या मंत्रालयों/विभागों की तदनुसूची बचतों द्वारा समतुल्य किया गया है। मदें निम्नानुसार हैं :

3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹2,15,725 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

तकनीकी पूरक अनुदान**Technical Supplementary Demands for grants**

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय				
11. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग				
(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों पर केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी को वापिस करना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹800 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade For meeting expenditure towards (i) Subsidies under the scheme Refund of Central and Integrated GST of Industrial Units in NER and Himalayan States (₹800 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
न्यास' (एनआईसीडीआईटी) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹1,400 करोड़)।	Assets under the scheme National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) (₹1,400 crore).	671.60	...	671.60
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक सवितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
14. उपभोक्ता मामले विभाग	14 Department of Consumer Affairs			
(i) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-I और II) तथा आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) स्कीमों दालों के निःशुल्क वितरण के लिए 'मूल्य स्थिरीकरण निधि' के रूप में ₹2,760.56 करोड़ (ii) मूल्य स्थिरीकरण निधि' (₹59.44 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए।	For release of Grants-in-aid General under (i) Price Stabilization Fund for free distribution of Pulses under Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY-I & II) and Atmanirbhar Bharat Schemes (ANB) (₹2,760.56 crore) and (ii) Price Stabilization Fund (₹59.44 crore).	21.21	...	21.21
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
18. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	18 Ministry of Defences (Civil)			
(क) वेतन (₹0.01 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (₹0.17 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure on salaries (₹0.01 crore) and on Information Technology (₹0.17 crore).	0.18	...	0.18
(ख) सीमा सड़क निर्माण कार्यों के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (₹800 करोड़) का अतिरिक्त अंतरण।	(b) For additional transfer to Central Road and Infrastructure fund for financing the border road works (₹800 crore).	...	799.00	799.00
21. रक्षा पेंशन	21 Defence Pensions			
न्यायालय आदेशों के कारण अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on account of court orders.	1.41	...	1.41
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
27. आर्थिक कार्य विभाग	27 Department of Economic Affairs			
(क) (i) आंशिक ऋण गारंटी योजना (पीसीजीएस) और विशेष नकदी योजना (एसएलएस) के लिए उच्च प्रावधान करने के कारण गारंटी मोचन निधि में अतिरिक्त अंतरण (₹1,000.00 करोड़) तथा (ii) सरकारी खाते (₹0.01 करोड़) में दावा न की गई प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए।	(a) For (i) additional transfer to Guarantee Redemption Fund (₹1,000.00 crore) due to higher provisioning for Partial Credit Guarantee Scheme(PCGS) and Special Liquidity Scheme (SLS) and (ii) payments in connection with unclaimed Securities credited to Govt. Accounts(0.01 crore).	1,000.00	...	1,000.00
(ख) (i) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) (₹499.99 करोड़) और एशियाई विकास निधि-12 (₹3.60 करोड़) में अंशदान के लिए।	(b) For Contribution to (i) International Development Association (IDA) (₹499.99 crore) and (ii) Asian Development Fund-12 (₹3.60 crore).	503.43	...	503.43
(ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान (₹2.99 करोड़), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के निवासी प्रतिनिधि का व्यय (₹0.15 करोड़), जीआईजेड को सेवा कर (₹22 करोड़) और नए विकास बैंक (एनडीबी) का भारत क्षेत्रीय कार्यालय (₹0.53 करोड़) तथा (ii) एग्जिम बैंक में आईईएस (₹1,405.06 करोड़), एग्जिम बैंक में चिरकालिक ब्याज अतिदेय के लिए भुगतान (₹213.02 करोड़), और भारतीय कंपनियों के आईईएस (₹187.74 करोड़) के लिए।	(c) For (i) Contributions to United Nations Development Programme (2.99 crore), Expenses of Resident Representative of United Nations Development Programme (₹0.15 crore), Service Tax to GIZ (₹22 crore) & Indian Regional Office of New Development Bank (NDB) (0.53 crore) and (ii) IES to Exim Bank (₹1,405.06 crore), payment for chronic interest overdues to Exim Bank (₹213.02 crore) and IES for Indian Companies (₹187.74 crore).	1,476.04	...	1,476.04
29. वित्तीय सेवाएं विभाग	29 Department of Financial Services			
(क) स्ट्रेस्ड परिसंपत्ति स्थिरिकरण निधि में प्रतिभूतियों के मोचन (₹125 करोड़)।	(a) For redemption of securities to Stressed Assets Stabilization Fund (₹125 crore).	124.97	...	124.97

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) अधिस्थगन के दौरान ऋण हेतु चक्रवृद्धि ब्याज सहायता योजना के लिए अतिरिक्त प्रावधान हेतु (₹5,500 करोड़)।	(b) For providing additional provision towards compounded interest Support Scheme for loans during moratorium (₹5,500 crore).	5,348.63	...	5,348.63
31. राजस्व विभाग	31 Department of Revenue			
संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पिछले वर्षों के अप्राप्य आईजीएसटी जारी करने हेतु।	For releasing the unapportioned IGST of previous years to UT Governments.	280.89	...	280.89
38. राज्यों को अंतरण	38 Transfers to States			
(क) बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ऋणों) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए।	(a) For providing additional allocation under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Loans).	...	7,025.00	7,025.00
(ख) राज्य सरकारों को विशिष्ट बिन्दु के अंतर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में एक के बाद एक ऋण (₹1,10,208 करोड़) उपलब्ध कराना और (ii) पूंजी व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता के अंतर्गत ऋण प्रदान करना। राज्यों को विशेष सहायता के अन्तर्गत आबंटन और ऋण प्रदान करना पूंजी व्यय के लिए ऋण (₹12000 करोड़)।	(b) For providing loans to State Governments (i) through issue of debt under special window under back to back loan to States in lieu of GST Compensation Shortfall (₹1,10,208 crore) and (ii) under Special Assistance as loan to States for capital expenditure (₹12,000 crore).	...	1,22,208.00	1,22,208.00
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
39. मत्स्य पालन विभाग	39 Department of Fisheries			
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान-सामान्य (₹78.99 करोड़), एस.सी.एस.पी. संघटक (₹7.50 करोड़ तथा टी.ए.एस.पी. संघटक (₹9.99 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid-General (₹78.99 crore), SCSP Component (₹7.50 crore) and TASP Component (₹9.99 crore) under the scheme Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.	6.55	...	6.55
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) (i) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य (₹4,050.22 करोड़), पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹989.45 करोड़) तथा सहायता अनुदान वेतन (₹2,987.85 करोड़) तथा (ii) अनुदान सहायता के अलावा अन्य मदें (₹3,644.30 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹4,050.22 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹989.45 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹2,987.85 crore) and (ii) other items other than Grants-in-aid (₹3,644.30 crore) under the various schemes.	3,219.89	...	3,219.89
(ख) (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली की योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य (₹4.02 करोड़), राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली कौशल विकास (₹1 करोड़), अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (₹1.09 करोड़), जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (₹0.25 करोड़), (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नई दिल्ली योजना के अंतर्गत पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1.54 करोड़) (iii) योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान/संगठन डब्ल्यूएचओ समर्थित राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना-व्यावसायिक सेवाएं (₹88.59 करोड़), नेमी टीकाकरण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन कमी	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Grants in aid General under the schemes National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹4.02 Crore.), National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi Skill Development (₹1 Crore), International Institute of Population Sciences, Mumbai (₹1.09 Crore), Population Research Centers (₹0.25 Crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹1.54 Crore) (iii) schemes/ programmes/ Institutions/Organisations WHO Supported National Polio Surveillance Project -			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विकार नियंत्रण कार्यक्रम- बिना विधान सभा वाले यूटी में व्यय (पीएमएसएसएन) (₹49.58 करोड़), जनसंख्या स्थिरता कोष (जेएसके) (₹13.25 करोड़), नेमी टीकाकरण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम (प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन)-अन्य प्रभार (ईएपी)-₹1.36 करोड़), रिजर्व निधि/जमा खाल में अंतरण-पीएमएसएसएन के लिए निधि-आंतरिक खाता अंतरण-(₹50.93 करोड़)	Professional Services - ₹88.59 Crore), RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme - Expenditure in UTs without Legislature (Support from PMSSN (₹49.58 Crore), Jansankhya Sthirita Kosh (JSK)- ₹13.25 crore), RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (Support from Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN) - Other Charges (EAP) - ₹1.36 Crore), Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for Transfer to PMSSN - Inter Account Transfer - (₹50.93 Crore)	50.93	...	50.93
(ग) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (₹1,313.69 करोड़) को अंतरित विभिन्न स्कीम के अंतर्गत (i) सहायता अनुदान सामान्य (₹998.92 करोड़), पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹811.98 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹7.89 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए	(c) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹998.92 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹811.98 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹7.89 crore) under the various schemes, transfer to Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (₹1,313.69 crore).	1,313.69	...	1,313.69
(घ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत (i) सहायता अनुदान सामान्य (₹13,389.49 करोड़) तथा पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹19,355.70 करोड़) के अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹13,389.49 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹19,355.70 crore) under the various schemes.	14,899.86	...	14,899.86
(ङ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत (i) सहायता अनुदान सामान्य (₹511.57 करोड़) तथा पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1,121.99 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹511.57 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹1,121.99 crore) under the various schemes.	605.38	...	605.38
(च) राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन (अन्य संविदागत सेवा) के सुदृढीकरण के लिए सामग्री सहायता।	(f) For Material Assistance for Strengthening of National Immunization Programme and Polio Eradication (Other Contractual Service).	538.00	...	538.00

गृह मंत्रालय

46. गृह मंत्रालय

- राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ) के लिए मशीनरी और उपकरण (₹30.00 करोड़),
- (i) कार्यालय भवन (₹13 करोड़), (ii) आवासीय भवन (₹7 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के लिए कार्यालय भवन (₹14.14 करोड़) के अंतर्गत प्रमुख कार्य।

48. पुलिस

- अन्य शुल्कों के अंतर्गत (i) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) (₹22.01 करोड़), (ii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) (₹0.03 करोड़) और (iii) विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) (₹1.75 करोड़) के लिए मध्यस्थता अवार्ड विभिन्न निपटान और अन्य दावों के लिए भुगतान करना।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

46 Ministry of Home Affairs

- For meeting expenditure towards 1. Machinery and Equipment for National Disaster Response Force (NDRF) (₹30 crore)
- Major Works under (i) Office Building (₹13 crore) (ii) Residential Building (₹7 crore) and (iii) Office Building for National Institute for Disaster Management (₹14.14 crore).

... 30.85 30.85

48 Police

- For making payment towards various settlement under arbitration award and other claims for Border Security Force (₹22.01 crore), Indo-Tibetan Border Police (ITBP) (₹0.03 crore) and Special Protection Group (SPG) (₹1.75 crore) under Other Charges.

23.79 ... 23.79

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
54. दिल्ली को अंतरण दिल्ली आपदा अनुक्रिया निधि को अंशदान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹156.49 करोड़)।	54 Transfers to Delhi For meeting the additional requirement towards Grants-in-aid General for contributions to Delhi Disaster Response Fund (₹156.49 crore).	149.99	...	149.99
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
57. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत (i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/कम आय समूह (एलआईजी) (₹2850 करोड़) और (ii) मध्यम आय समूह (एमआईजी) (₹2500 करोड़) को ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत सब्सिडी का व्यय पूरा करने के लिए। (ख) (i) प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य सरकारों को किस्तों के भुगतान (अनुसूचित जनजाति घटक ₹1027.30 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति घटक ₹205.40 करोड़ तथा (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन य परियोजनाएं (₹0.01 करोड़) के लिए पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के व्ययों को पूरा करना।	57 Ministry of Housing and Urban Affairs (a) For meeting expenditure towards subsidiefor Credit Liked Subsidy Scheme to (i) Economically Weaker Section /Lower Income Group (₹2,850 crore) and (ii) Middle Income Group (₹2,500 crore) under Pradhan Mantri Awas Yojna (Urban). (b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for (i) payment of installments to State Governments for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) (Urban) (Schedule Cast Component ₹1,027.30 crore and Schedule Tribes Component ₹205.40 crore) and (ii) Other Projects in NER (₹0.01 crore).	5,350.00 4,650.00		5350.00 4650.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
59. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग (क) (i) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹189.64 करोड़) तथा विश्व स्तरीय संस्थान (₹534.32 करोड़) (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालय (₹1,951.50 करोड़), मानित विश्वविद्यालय (₹83 करोड़) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/पूंजी (₹1,738.74 करोड़) को अनुदान (iii) कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (₹66.32 करोड़) (iv) मानित विश्वविद्यालय (₹53.82 करोड़) तथा एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट्स (₹5 करोड़) के लिए सहायता अनुदान सामानय (v) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹3.27 करोड़) तथा (vi) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (₹2,480.95 करोड़) के लिए अंतर लेखा अंतरण। (ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत (i) सहायता अनुदान सामान्य (₹254.34 करोड़), पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹748.48 करोड़) तथा सहायता अनुदान वेतन (₹2,002.60 करोड़) तथा (ii) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा केन्द्र में अंतर लेखा अंतरण (₹2,180.12 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	59 Department of Higher Education (a) For meeting expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets to Central Universities (₹189.64 crore) and World Class Institutions (₹534.32 crore) (ii) Grants-in-aid Salaries to Central Universities (₹1,951.50 crore), Deemed University (₹83 crore) and University Grants Commission (UGC) (₹1,738.74 crore) (iii) Scholarship/Stipends under Scholarship for College & University Students (₹66.32 crore) (iv) Grants-in-aid General to Deemed University (₹53.82 crore) and Academic Bank of Credits (₹5 crore) (v) Other Charges under Rashtriya Uchhatar Shiksha Abhiyan (RUSA) (₹3.27 crore) and (vi) Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchchattar Shiksha Kosh (₹2,480.95 crore). (b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹254.34 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹748.48 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹2,002.60 crore) under various schemes and (ii) Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchhattar Shiksha Kosh (₹2,180.12 crore).	2,480.95 2,180.12		2480.95 2180.12

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
62. पेयजल और स्वच्छता विभाग	62 Department of Drinking Water and Sanitation			
(क) राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए (₹7.07 करोड़) तथा जल जीवन मिशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधि का अंतरण (₹92.43 करोड़)।	(a) For providing additional allocation for National Project Management Unit (₹7.07 crore) and transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (₹92.43 crore) under the scheme Jal Jeevan Mission (JJM).	92.43	...	92.43
(ख) जल जीवन मिशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधि का अंतरण।	(b) For transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund under the scheme Jal Jeevan Mission (JJM).	2,957.43	...	2957.43
(ग) (i) जल जीवन मिशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधि का अंतरण (₹199.78 करोड़) (ii) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (क) सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत (₹7.50 करोड़) (ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए (₹11.50 करोड़) और (ग) जनजाति क्षेत्र उपयोजना घटक के अंतर्गत उपलब्ध कराने के लिए (₹6 करोड़)।	(c) For (i) transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund under the scheme Jal Jeevan Mission (₹199.78 crore) and (ii) providing Grants-in-aid General under Swachh Bharat Mission (Gramin) (a) under Normal Programme (₹7.50 crore) (b) for providing under Special Component Plan for Schedule Castes (₹11.50 crore) (c) for providing under Tribal Area Sub Plan Component (₹6 crore).	199.78	...	199.78
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
64. विधि एवं न्याय	64 Law and Justice			
(क) राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के तहत फास्ट ट्रैक विशेष अदालत पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure on Fast Track Special Courts under National Mission for Safety of Women.	10.00	...	10.00
(ख) नौरोजी नगर, दिल्ली में भवन की खरीद हेतु एनबीसीसी को भुगतान करना; लखनऊ और कोलकाता में आईटीएटी बेंच हेतु भवन का निर्माण और अहमदाबाद में भूमि की खरीद हेतु भुगतान करना।	(b) For making payment to NBCC for purchase of building in Nauroji Nagar, Delhi, construction of building for ITAT bench in Lucknow and Kolkata and purchase of land in Ahmedabad.	...	86.00	86.00
65 निर्वाचन आयोग	65 Election Commission			
मतदाता जागरूकता को बढ़ाने हेतु देश में क्षेत्रीय हब केन्द्रों की स्थापना / निर्माण पर व्यय को दूर करने हेतु।	For meeting expenditure for creation/ construction of regional Hub Centres in the country for increasing voters awareness.	...	5.00	5.00
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
67. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	67 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवेश हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Investment under the scheme Fund of Funds.	...	100.00	100.00
(ख) निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवेश हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Investment under the scheme Fund of Funds.	...	400.00	400.00
नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
70. नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	70 Ministry of New and Renewable Energy			
अटल अक्षय ऊर्जा भवन कार्यालय भवन के निर्माण हेतु व्यय के लिए अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराने हेतु।	For providing additional allocation for expenditure for construction of Office Building - Atal Akshay Urja Bhawan.	...	118.00	118.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73. केन्द्रीय सतर्कता आयोग	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) कर्मचारी चयन आयोग के लिए (एसएससी) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Professional Services for Staff Selection Commission (SSC).	2.38	...	2.38
(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए वेतन के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Salaries for Central Bureau of Investigation (CBI).	41.50	...	41.50
(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लिए व्यापक आधुनिकीकरण और भूमि की खरीद/कार्यालय, आवास भवनों का निर्माण के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure for Comprehensive Modernization and purchase of land/construction of office residence buildings for CBI.	...	1.46	1.46
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
77. विद्युत मंत्रालय	77 Ministry of Power			
(i) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम-बदरपुर थर्मल विद्युत केंद्र के भुगतान स्कीम के अंतर्गत अन्य संविदात्मक सेवाओं के लिए (₹32.15 करोड़)	For providing additional funds for (i) Other Contractual Service under the scheme Payment to South Delhi Municipal Corporation-Badarpur Thermal Power Station (₹32.15 crore)			
(ii) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹20 करोड़)। (iii) विद्युत प्रणाली विकास निधि स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹250 करोड़)। (iv) संघ राज्य क्षेत्र और गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियम आयोग (जेईआरसी) की स्थापना स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.90 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹0.89 करोड़) (v) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत वेतन (₹0.88 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹0.13 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹0.66 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.01 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹0.97 करोड़) (vi) विद्युत अपील अधिकरण स्कीम (एपीटीईएल) के अंतर्गत चिकित्सा उपचार (₹0.10 करोड़) और किराया, दर और कर (₹5.68 करोड़) (vii) सुवन श्री लोअर परियोजना (एनएचपीसी) (₹105.00 करोड़) के डाउन स्ट्रीम सुरक्षा कार्य के लागत के लिए नए स्कीम अनुदान के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के अनुदानों को बढ़ावा देना (viii) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि स्कीम के अंतर्गत कार्यालय के अचल संपत्ति प्राप्ति हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹150 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹1.50 करोड़)। (ix) नई वेंद्रीय ट्रांसमिशन यूटीलिटी सृजन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.75 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹6.25 करोड़) के लिए निधि प्रदान करना। (x) विद्युत प्रणाली विकास निधि स्कीम के अंतर्गत अंतर लेखा अंतरण (₹250 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने हेतु।	(ii) Grants-in-aid General under the schemes Integrated Power Development Scheme (₹20 crore) (iii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Power System Development Fund (₹250 crore) (iv) Grants in aid General (₹0.90 crore) and Grant in aid Salaries (₹0.89 crore) under the scheme Setting up of Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for UTs and Goa (v) Salaries (₹0.88 crore), Medical Treatment (₹0.13 crore), Minor Work (₹0.66 crore), Other Administrative Expenses (₹0.01 crore) and Office Expenses (₹0.97 crore) under the Central Electricity Authority (vi) Medical Treatment (₹0.10 crore) and Rent Rates and Taxes (₹5.68 crore) under the scheme Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) (vii) augmentation of Grants of Creation of Capital Assets under the new scheme grant towards cost of downstream protection work of Subansiri lower project (NHPC) (₹105 crore) (viii) Grant for creation of Capital Assets (₹150 crore) for acquiring immovable property for the office, Grants in aid General (₹2 crore) and Grant in aid salaries (₹1.50 crore) under the scheme Central Electricity Regulatory Commission (CERC) Fund (ix) Grants in aid General (₹1.75 crore) and Grants-in-aid Salary (₹6.25 crore) under the new scheme Creation of Central Transmission Utility (CTU) and (x) inter account transfer under the scheme Power System Development Fund (₹250 crore) .			
		403.50	...	403.50

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
83. रेल मंत्रालय	83 Ministry of Railways			
न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure arising out of court decrees.	...	336.00	336.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
84. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	84 Ministry of Road Transport and Highways			
(ख) 1. सीआरआईएफ द्वारा वित्तपोषित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश (एनएचएआई) (₹6,500 करोड़), भारत माला परियोजना (₹50 करोड़) और सीआरआईएफ से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य के अधीन अतिरिक्त व्यय (₹3,586.50 करोड़)	(b) For 1. Investment in National Highways Authority of India (NHAI) financed from CRIF (₹6,500 crore), Bharatmala Pariyojana (₹50 crore) and additional expenditure under National Highways Original Works financed from CRIF (₹3,586.50 crore)			
2. (i) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सड़क संपर्क के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम (₹30 करोड़) और (ii) सीआरआईएफ से राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य-जनजाती क्षेत्र उपयोगिता (₹3,140 करोड़) के तहत मुख्य कार्यों पर अतिरिक्त खर्च 3. एनएचएआई और में निवेश हेतु सीआरआईएफ में अंतर खाता अंतरण (₹6,550 करोड़) और अन्न स्कीमों के लिए (₹3,464.50 करोड़)।	2. additional expenditure on Major Works under (i) Special Programme for Development of Road Connectivity in Left Wing Extremist Affected Area (₹30 crore) and (ii) National Highways Original Works-Tribal Area Sub Plan finance from CRIF (₹3,140 crore) 3. Inter Account Transfer to CRIF for Investment in NHAI (₹6,550 crore) and for other schemes (₹3,464.50 crore).	...	6,220.00	6,220.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
85. ग्रामीण विकास विभाग	85 Department of Rural Development			
(क) (i) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को निधियों का अंतरण (₹2,684 करोड़) और (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध कराना (₹2,684 करोड़)।	(a) For (i) transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund (₹2,684 crore) and (ii) providing funds to meet administrative expenditure under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna - Rural (₹2,684 crore).	2,684.00	...	2,684.00
(ख) (i) आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 3.0 (₹7000 करोड़) के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिए और (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में निधियों का अंतरण (₹10,000 करोड़)।	(b) For (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme as per Atmanirbhar Bharat Abhiyan Package 3.0 (₹7,000 crore) and (ii) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹10,000 crore).	7,100.00	...	7,100.00
(ग) (i) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान उपलब्ध कराना (₹1,950 करोड़) और (ii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि का अंतरण (₹1,950 करोड़)।	(c) For (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna - Rural (₹1,950 crore) and (ii) transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (₹1,950 crore).	1,950.00	...	1,950.00
(घ) (i) आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 3.0 (₹3000 करोड़) के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के	(d) For 1. providing Grants for Creation of Capital Assets under (i) Mahatma Gandhi National Rural Employment			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिए (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (₹14,438.29 करोड़) (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि का अंतरण (₹14,438.29 करोड़)।	Guarantee Programme as per Atmanirbhar Bharat Abhiyan Package 3.0 (₹ 3,000 crore) (ii) Pradhan Mantri Awas Yojna - Rural (₹14,438.29 crore) and (iii) transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna - Rural (₹14,438.29 crore).	17,438.29	...	17,438.29
(ड) (i) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र को ग्राम उद्यमिता स्टार्टअप कार्यक्रम हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹1.30 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराना (₹427.71 करोड़) और केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि का अंतरण (₹427.71 करोड़)	(e) For (i) Village Entrepreneurship Start-up Programme for Grants-in-aid General to UT of Jammu & Kashmir under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹1.30 crore) (ii) providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)-Rural (₹427.71 crore) and (iii) transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (₹427.71 crore).	427.71	...	427.71
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
90. पोत परिवहन मंत्रालय	90 Ministry of Shipping			
(i) सगारमाला विकास कंपनी (एसडीसी) में निवेश की राशि की पूर्ति सीआरआईएफ से की जानी है (₹100 करोड़) और (ii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को निधि का अंतर-लेखा अंतरण (₹100 करोड़)।	For (i) Investment in Sagarmala Development Company to be met CRIF (₹100 crore) and (ii) Inter-account transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (₹100 crore).	...	185.00	185.00
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
97. वस्त्र मंत्रालय	97 Ministry of Textiles			
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत (₹5 करोड़) और पावरटेक्स इंडिया स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों (₹1.16 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Major Works under the schemes National Handloom Development Programme (₹5 crore) and Powertex India (₹1.16 crore).	...	6.16	6.16
कुल तकनीकी	Total Technical	78,204.53	1,37,520.47	2,15,725.00

4. नीचे दिए गए मदों के संबंध में लिए जाने के लिए प्रत्येक ₹1 लाख का पूरक अनुदान भी प्रस्तावित है, इसके प्रति इंगित व्यय को प्रासंगिक अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, के भीतर बचत के विनियोग द्वारा पूरा किया जाएगा।

4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

सांकेतिक पूरक अनुदान

Token Supplementary Demands for grants

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
(क) 1. पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों	(a) For meeting expenditure towards 1. Grants for creation of Capital Assets			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के सृजन के लिए अनुदान (₹18.50 करोड़) 2. (i) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.50 करोड़) (ii) एकीकृत कृषि जनगणना और सांख्यिकी स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹32 करोड़) (iii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता (टीएएसपी) घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़)। 3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्कीम के अंतर्गत नाबार्ड को ब्याज आर्थिक सहायता- सूक्ष्म सिंचाई निधि हेतु सब्सिडी (₹20 करोड़)।	under Protection of Plan Varieties and Farmer's Right (₹18.50 crore) 2. Grants-in-aid General for (i) National Project on Management of Soil Health & Fertility (₹0.50 crore) (ii) Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics (₹32 crore) and (iii) Tribal Area Sub Plan (TASP) Component under Mission for Integrated Development of Horticulture (₹5 crore) and 3. Subsidies for Interest Subvention to NABARD-Micro Irrigation Fund under the scheme of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (₹20 crore).	76.00	...	76.00
(ख) (i) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹10.58 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए जैव मूल्य श्रृंखला विकास के अंतर्गत टीएएसपी घटक (₹20.16) (iii) राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत टीएएसपी घटक (₹3.48 करोड़) (iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-अन्य फसलें के अंतर्गत सामान्य घटक (₹61.77 करोड़) और (v) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता (टीएएसपी) घटक (₹73.54 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) General Component under National Project on Management of Soil Health & Fertility (₹10.58 crore) (ii) TASP Component under Organic Value Chain Development for North Eastern Region (₹20.16 crore) (iii) TASP Component under National Mission for Sustainable Agriculture (₹3.48 crore) (iv) General Component under National Food Security Mission- Other Crops (₹61.77 crore) and (v) TASP Component under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (₹73.54 crore).	169.53	...	169.53
(ग) बीज और पौध सामग्री पर उप-मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक (₹1.24 करोड़) और टीएएसपी घटक (₹0.80 करोड़) हेतु विशेष घटक योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹1.24 crore) and for TASP Component (₹0.80) crore under Sub Mission on Seeds and Planting Material.	2.04	...	2.04
2 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(क) 1. राष्ट्रमंडल कृषि ब्यूरो (सीएबी) (₹0.35 करोड़) (ii) अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्शी समूह (₹0.05 करोड़) (iii) एशिया-प्रशांत में जलकृषि केन्द्रों के नेटवर्क (₹0.02 करोड़) 2. (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड (₹0.50 करोड़) 3. (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड को वेतन सहायता अनुदान जारी करना (₹3.34 करोड़) (ii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को वेतन सहायता अनुदान जारी करना (₹10.10 करोड़)।	(a) For 1. meeting additional expenditure for contribution to (i) Commonwealth Agricultural Bureau (₹0.35 crore) (ii) Consultative Group on International Agricultural Research (₹0.05 crore) (iii) Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific (₹0.02 crore) 2. release of Grants-in-aid General to (i) Central Agricultural University, Bundelkhand (₹0.50 crore) 3. release of Grants-in-aid Salaries to (i) Central Agricultural University, Bundelkhand (₹3.34 crore) and (ii) Central Agricultural University, Bihar (₹10.10 crore).	14.36	...	14.36
(ख) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को वेतन सहायता अनुदान जारी करना।	(b) For release of Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural University, Imphal.	23.23	...	23.23

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
(क) (i) सहायता प्राप्त संस्थानों (₹127.34 करोड़) और परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान (₹6 करोड़) को वेतन सहायता अनुदान और (ii) आईजीकार को सहायता अनुदान सामान्य के लिए (₹0.02 करोड़ के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु,	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid Salaries to Aided Institutes (₹127.34 crore) and to Atomic Energy Education Society (₹6 crore) and (ii) Grants-in-aid General to IGCAR (₹0.02 crore).	133.36	...	133.36
(ख) नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं (रिएक्टर से दूर) के लिए प्रमुख कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure towards Major Works for Nuclear Power Projects.	...	5.29	5.29
(ग) (i) अन्वेषण एवं खनन (एएमडीईआर) में अनुसंधान एवं विकास (₹0.63 करोड़), (ii) नाभिकीय ईंधन परियोजनाएं (एनएफसी) (₹16.17 करोड़) और (iii) पृष्णंत ईंधन चक्र परियोजनाएं (एनआरबी) (₹27.80 करोड़) के और 2. मूलभूत विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में आर एण्ड डी (बीएआरसी) (₹21.08 करोड़) और पृष्णंत ईंधन चक्र भाग परियोजनाएं (एनआरबी) (₹1.24 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards 1. Machinery & Equipment for (i) R and D in Exploration and Mining (₹0.63 crore) and (ii) Nuclear Fuel Project (₹16.17 crore) and (iii) Back End Fuel Cycle Project (₹27.80 crore) and 2. Major Works for (i) R and D in Basic Science and Engineering (BARC) (₹21.08 crore) and (ii) Back End Fuel Cycle Projects (NRB) (₹1.24 crore).	...	66.92	66.92
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
4 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4 Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
(क) विभिन्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹82.39 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹2.89 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (₹294.16 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹82.39 crore), Grants-in-aid Salaries (₹2.89 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹294.16 crore) under various schemes.	379.44	...	379.44
(ख) (i) एनएएम के संबंध में, दैनिक व्यय को पूरा करने हेतु और पूंजी खर्चों हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़) और पूंजी आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (₹5 करोड़)। (ii) एनआईएच के संबंध में वर्ष के दौरान दैनिक खर्चों और निर्माण परियोजनाओं पर देयता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹1.02 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदानों के तहत (₹17.35 करोड़) और (iii) सीसीआरयूएम के संबंध में सिलचर (पूर्वोत्तर) में निर्माण परियोजनाओं पर देयता को पूरा करने हेतु यूनानी औषध में केंद्रीय अनुसंधान परिषद के संबंध में। पूंजी आस्तियों (₹15 करोड़) के सृजनार्थ अनुदान।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grant in aid General (₹5 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹5 crore) to National Ayush Mission, to meet the day to day expenditure and capital expenses (ii) Grant in aid General (₹1.02 crore) and under Grants for creation of Capital Assets (₹17.35 crore) in respect of North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, to meet day to day expenses and liability on the construction projects during the year and (iii) Grants for creation of Capital Assets (₹15 crore) in respect of Central Council for Research in Unani Medicine, to meet the liability on the construction projects at Silchar (North East).	43.37	...	43.37

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
9 कोयला मंत्रालय	9 Ministry of Coal			
(1) (i) अनुसूचित जाति उप-योजना में कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा, (₹1.28 करोड़) और (ii) जनजाति क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा और अवसंरचना विकास स्कीम के तहत खर्चों को पूरा करना। कोयला खदानों में परिवहन अवसंरचना विकास के लिए और कोयला खानों में अवसंरचना विकास के लिए (₹10.93 करोड़) और 2. वैधानिक निकायों संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय के अन्तर्गत नामित प्राधिकरण के व्यावसायिक सेवाओं के लिए (₹11 करोड़)।	For 1. providing subsidy for (i) Scheduled Caste Sub-Plan (₹1.28 crore) for conservation and safety in coal Mines and (ii) Tribal Area Sub-Plan (₹10.93 crore) for development of transportation infrastructure in coalfield area under the scheme Conservation Safely and Infrastructure Development in Coal Mines and 2. meeting expenditure for Professional Serviced of Nominated Authority under Statutory Bodies, Attached and sub-ordinate Offices (₹11 crore).	23.21	...	23.21
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
चाय बोर्ड स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Subsidies under the scheme Tea Board.	25.00	...	25.00
11 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
स्वायत्ता संस्थानों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid Salaries under the scheme Support to Autonomous Institutions.	4.00	...	4.00
दूरसंचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13 दूरसंचार विभाग	13 Department of Telecommunications			
(क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का विकल्प चुनने वाले बीएसएनएल/एमटीएनएल के कर्मचारियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure for payment of ex-gratia to the employees of BSNL/MTNL opting for voluntary retirement scheme.	1,316.35	...	1,316.35
(ख) (i) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए कार्यालय जगह की खरीद हेतु (₹113 करोड़) 5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड (₹10.90 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु और (ii) राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान की भौतिक अवसंरचना के सृजन के लिए ₹4.99 करोड़ रु. के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For (i) meeting additional expenditure towards purchase of office accommodation for Telecom Regulatory Authority of India (₹113 crore) and 5G connectivity Test Bed (₹10.90 crore) and (ii) creating physical infrastructure of National Institute of Communication Finance (₹4.99 crore).	...	128.89	128.89
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
17 संस्कृति मंत्रालय	17 Ministry of Culture			
निम्नलिखित के लिए व्यय को पूरा करने हेतु (i) संग्रहालयों को सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹12.33 करोड़), (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान - अकादमियों को सहायता (₹21.69 करोड़), और बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक (₹32.78 करोड़)। (iii) अकादमियों को सहायता (₹14.22 करोड़) और संग्रहालयों को सहायता (₹7.45 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General to Support to Museums (₹12.33 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Support to Akademies (₹21.69 crore) and Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹32.78 crore) and (iii) Grants-in-aid Salaries to Support to Akademies (₹14.22 crore) and Support to Museums (₹7.45 crore).	88.47	...	88.47
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
18 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	18 Ministry of Defence (Civil)			
1 (i) रक्षा विभाग के खेलकूद और मनोरंजन क्लब को सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़),	For providing 1. Grants-in-aid -General to (i) Sports and Recreation Club (₹5 crore) of			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
2. महानिदेशक-गुणवत्ता आश्वासन की रक्षा परीक्षण अवसंरचना स्कीम को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.77 करोड़), (ii) रक्षा संपदा संगठन के छवनी बोर्ड (₹50 करोड़) और 3. सीमा सड़क संगठन की राशन की लागत के लिए अतिरिक्त प्रावधान (₹87.81 करोड़), पीओएल (₹12.50 करोड़) और कपड़े एवं टेंट (₹27 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान।	Department of Defence (ii) Cantonment Boards (₹50 crore) of Defence Estates Organisation 2. Grants for creation of capital assets to Defence Testing Infrastructure scheme (₹0.77 crore) of Director General – Quality Assurance and 3. additional provision for Cost of Ration (₹87.81 crore), POL (₹12.50 crore) and Clothing and Tentage (₹27 crore) of Border Roads Organisation.	183.08	...	183.08
19 रक्षा सेवाएं (राजस्व)	19 Defence Services (Revenue)			
(क) आर्मी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना पूरा करने के लिए (₹1150 करोड़) भंडारण (₹3201.95 करोड़) और अन्य व्यय के लिए (₹657.75 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure under Army on 'Ex-Servicemen Contributory Health Scheme' (₹1,150 crore), 'Stores' (₹3,201.95 crore) and 'Other Expenditure' (₹657.75 crore).	5,009.70	...	5,009.70
(ख) नेवी के अंतर्गत मरम्मत और दुरुस्त पर अतिरिक्त व्यय (₹832.41 करोड़), भंडारण (₹1695.48 करोड़) कार्यों (₹60.25 करोड़) और अन्य व्यय (₹287.29 करोड़) और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीवृत्त ₹75 करोड़ व्यय को विनियमित करने जीएफआर के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पढ़ें।	(b) For meeting additional expenditure under Navy on 'Repairs and Refits' (₹832.41 crore), 'Stores' (₹1,695.48 crore), 'Works' (₹60.25 crore) and 'Other Expenditure' (₹287.29 crore) and for regularising the expenditure of ₹75 crore for 'Joint Staff' sanctioned under Rules 61 and 69 of GFRs read with Appendix 10.	2,875.43	...	2,875.43
(ग) वायु सेना के अंतर्गत व्यय जो कि भंडारण के लिए (₹2700.26 करोड़), कार्यों (₹9.82 करोड़), विशेष परियोजना (₹247.31 करोड़) और अन्य व्यय के लिए (₹242.40 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure under Air Force i.e. for 'Stores' (₹2,700.26 crore), 'Works' (₹9.82 crore), 'Special Project' (₹247.31 crore) and 'Other Expenditure' (₹242.40 crore).	3,199.79	...	3,199.79
(घ) विजय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, एचवीएफ प्रबंधन समिति, अवदी, चेन्नई को अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन प्रदान कराना।	(d) For providing additional 'Grants-in-aid Salaries' to Vijay Senior Secondary School, HVF Managing Committee, Avadi, Chennai.	0.21	...	0.21
(ङ) अनुसंधान और विकास के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को भंडारण (₹430.96 करोड़) और अन्य व्यय (₹34 करोड़) को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure under Research and Development for 'Stores' (₹430.96 crore) and 'Other Expenditure' (₹34 crore).	464.96	...	464.96
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
23 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	23 Ministry of Earth Sciences			
राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केन्द्र हेतु वेतन सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries towards National Centre for Polar and Ocean Research.	0.71	...	0.71
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
24 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	24 Ministry of Electronics and Information Technology			
(क) व्यावसायिक सेवाओं (₹24.50 करोड़) और राष्ट्रीय आसूचना केंद्र (एनआईसी) हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.05 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting an expenditure towards Professional Services (₹24.50 crore) and Grants-in-aid General (₹0.05 crore) for National Informatics Centre.	24.55	...	24.55
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (₹8 करोड़) और नेशनल नोलेज	(b) For meeting an expenditure towards Grants-in-aid General for Electronic Governance			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नैटवर्क प्रोग्राम (₹128 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(₹8 crore) and National Knowledge Network Programme (₹128 crore) for development of North Eastern Region.	136.00	...	136.00
(ग) भास्कराचार्या राष्ट्रीय अंशिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान (बीआईएसएजीएन) (₹5 करोड़) इलैक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएस और विनिर्माण क्लस्टर (₹20.53 करोड़), अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के तहत इलैक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (₹4 करोड़), अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के तहत राष्ट्रीय ज्ञान नैटवर्क (₹78 करोड़) और जनजाति क्षेत्र उप-योजना के तहत ₹89 करोड़, अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के तहत प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (₹15 करोड़) (II) भास्कराचार्या राष्ट्रीय अंतर्िक्ष अनुप्रयोगों और भू-सूचना (बीआईएसएजीएन) (₹15 करोड़) संस्थान हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान और डिजिटल भुगतानों के संवर्धन हेतु अन्य प्रभारों (₹100 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करना।	(c) For meeting an expenditure towards (i) Grants-in-aid General for Bhaskaracharya National Institute of Space Applications and Geo-Information (₹5 crore), Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Manufacturing Clusters)” (₹20.53 crore), Electronic Governance (₹4 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes, National Knowledge Network (₹78 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹89 crore under Tribal Area Sub-Plan, Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (₹15 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes (ii) Grants for Creation of Capital Assets for Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-Information (₹15 crore) and (iii) Other Charges for Promotion of Digital Payments (₹100 crore).	326.53	...	326.53
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
25 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	25 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹100 करोड़) और (ii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई) के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹0.25 करोड़) के अंतर्गत प्रावधान में वृद्धि करने के लिए।	For augmenting provisions under (i) Grants-in-aid General (₹100 crore) for National Authority and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹0.25 crore) for Indian Plywood Industries Research and Training Institute (IPIRTI).	100.25	...	100.25
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
26 विदेश मंत्रालय	26 Ministry of External Affairs			
(क) गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली समाज के लिए वेतन सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid salaries for Society for Research and Information System for Non Aligned and Other Developing Countries.	0.96	...	0.96
(ख) राष्ट्रमण्डल खेल फ्लैटों की खरीद हेतु भुगतान के लिए।	(b) For payment towards purchase of Common Wealth Games flats.	...	200.00	200.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
27 आर्थिक कार्य विभाग	27 Department of Economic Affairs			
(क) (क) स्वर्ण मौद्रिकरण स्कीम आयोग 2015 (₹19.99 करोड़), एडस, टीबी और मलेरिया हेतु वैश्विक निधि में अंशदान (₹1.26 करोड़), टीकाकरण और प्रतिरक्षण हेतु वैश्विक साझेदारी में अंशदान (₹1 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹2.12	(a) For Commission on Gold Monetization Scheme 2015 (₹19.99 crore), Contributions to the Global Fund for AIDS, TB and Malaria (₹1.26 crore), Contributions to Global Alliance for Vaccination and Immunization (1 crore),			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करोड़) और सहायता अनुदान "वेतन" (₹8.06 करोड़)।	Grants - in-aid-General (₹2.12 crore) and Grants - in- Aid "Salaries" (₹8.06 crore).	32.43	...	32.43
(ख) भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रानिर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए।	(b) For purchase of coins from Security Printing and Minting Corporation of India Limited.	...	18.14	18.14
(ग) (i) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि में निवेश (₹4,250 करोड़) और (ii) एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीयन प्लेटफॉर्म में पूंजी समावेशन (₹1,000 करोड़)।	(c) For (i) Investment into National Investment and Infrastructure Fund (₹4,250 crore) & (ii) Capital infusion into NIIF Infrastructure Debt Financing Platform (₹1,000 crore).	...	5,250.00	5,250.00
(घ) सामान्य पूंजी बढत (जीसीआई), (आईबीआरडी में निवेश) हेतु (₹11.93 करोड़), चुनिंदा पूंजी बढत हेतु भुगतान (एससीआई) (आईबीआरडी में निवेश) (₹4.08 करोड़), अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान (₹0.02 करोड़), सामान्य पूंजी बढत के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को भुगतान (₹347.36 करोड़), ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीक (ब्रिक्स) को अभिदान न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) (₹70 करोड़)।	(d) For payment for General Capital Increase (GCI) (Investment in IBRD) (₹11.93 crore), payment for Selective Capital Increase (SCI) (Investment in IBRD) (₹4.08 crore), Subscription to African Development Bank (₹0.02 crore), payment to International Finance Corporation towards General Capital Increase (GCI) (₹347.36 crore), subscription to Brazil, Russia, India, China And South Africa (BRICS) New Development Bank (NDB) (₹70 crore).	...	433.39	433.39
28 व्यय विभाग एनआईएफएम भवन में विस्तृत मरम्मत कार्य और सामान्य सहायता अनुदान के तहत स्थापना पूरा करने हेतु।	28 Department of Expenditure For carrying out major repairs to NIFM Building and meeting the establishment under Grants-in-aid General.	5.70	...	5.70
29 वित्तीय सेवाएं विभाग (क) राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण हेतु	29 Department of Financial Services (a) For transfer to National Investment Fund.	...	1,000.00	1,000.00
(ख) बीमा कंपनियों के पुनः पूंजीकरण हेतु अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए	(b) For providing additional funds towards recapitalisation of Insurance companies	...	3,000.00	3,000.00
31 राजस्व विभाग राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान द्वारा 7वें केंद्रीय वित्तीय आयोग के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान वेतनों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	31 Department of Revenue For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries for implementation of 7th CPC by National Institute of Public Finance and Policy.	9.55	...	9.55
32 प्रत्यक्ष कर अटल नगर विकास प्राधिकरण रायपुर और जेसीआईटी (केंद्रीय), रायपुर में तैयार कार्यालय भवन की खरीद के लिए।	32 Direct Taxes For purchase of ready - built office building at Atal Nagar Vikas Pradhikaran, Raipur and the JCIT (Central), Raipur.	...	30.26	30.26
33 अप्रत्यक्ष कर (क) गुवाहाटी से तैयार कार्यालय स्थान की खरीद के लिए शेष भुगतान करने के लिए।	33 Indirect Taxes (a) For making balance payment towards Purchase of ready built office space in Guwahati.	...	4.79	4.79
(ख) (i) चेन्नई के अन्ना नगर में आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए (10 करोड़ रुपये)। (ii) बोकारो में आवास निर्माण के लिए विभागीय भूमि के लिए लीज प्रीमियम का नवीकरण (₹5.05 करोड़)।	(b) For (i) Construction of Residential Quarter at Anna Nagar, Chennai (₹10 crore) (ii) Renewal of lease premium for departmental land for construction of Residence at Bokaro (₹5.05 crore).	...	15.05	15.05
34 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग 'एक आईएएडी, एक प्रणाली' के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	34 Indian Audit and Accounts Department For meeting additional expenditure under Information Technology for One IAAD, One System.	100.00	...	100.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
39. मत्स्य पालन विभाग	39 Department of Fisheries			
(क) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सहायता, अनुदान-सामान्य के अन्तर्गत ₹19.00 करोड़ और टी.ए.एस.पी. के अन्तर्गत ₹9.00 करोड़।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid-General (₹19 crore) and TASP (₹ 9 crore) under the scheme of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.	28.00	...	28.00
(ख) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एस.सी.एस.पी. संघटक के अन्तर्गत (₹25.70 करोड़) सामान्य सहायता-अनुदान और टी.ए.एस.पी. संघटक के अन्तर्गत (₹1.00 करोड़) सामान्य सहायता-अनुदान।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under SCSP component (₹25.70 crore) and TASP component (₹1 crore) under the scheme of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.	26.70	...	26.70
(ग) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता-अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.	16.42	...	16.42
(घ) मात्स्यिकी संस्थानों के संबंध में मोटर वाहन के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(d) For meeting expenditure towards Motor Vehicle in respect of Fisheries Institutes.	...	0.10	0.10
40 पशु पालन और डेरी विभाग	40 Department of Animal Husbandry and Dairying			
(क) (i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत सामान्य अनुदान-सहायता घटक (₹20.00 करोड़), एससीएसपी घटक (₹5.00 करोड़) और (₹2.00 करोड़) टीएसपी घटक। (ii) राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत सामान्य अनुदान-सहायता घटक (₹68.04 करोड़), सामान्य अनुदान-सहायता एससीएसपी घटक (₹21.50 करोड़) और सामान्य अनुदान-सहायता टीएसपी (₹5.00 करोड़)। और (iii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत कार्यालय व्यय के लिए (₹2.00 करोड़), प्रचार और प्रकाशन के लिए (₹0.80 करोड़), व्यावसायिक सेवाओं के लिए (₹2.20 करोड़) और सब्सिडी में (₹22.00 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for Component (₹20 crore), for SCSP component (₹5 crore) and for TASP Component (₹2 crore) under National Livestock Mission (ii) Grants-in-aid General Component (₹68.04 crore), for SCSP Component (₹21.50 crore) and TASP (₹5 crore) under the scheme of Rashtriya Gokul Mission and (iii) Office Expenses (₹2 crore), Advertisement & Pulicity (₹0.80 crore), Professional Services (₹2.20 crore) and Subsidies (₹22 crore) under the scheme Animal Husbandry Infrastructure Development Fund.	148.54	...	148.54
(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम के अधीन सामान्य संघटक हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिये व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for General Component under National Programme for Dairy Development.	13.44	...	13.44
(ग) सामान्य संघटक (₹41 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान, एससीएसपी संघटक (₹13 करोड़) के लिये और राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अन्तर्गत टीएसपी (₹9.95 करोड़) के लिये व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for General Component (₹41 crore), for SCSP Component (₹13 crore) and TASP (₹9.95 crore) under the scheme National Livestock Mission.	63.95	...	63.95
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
41 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	41 Ministry of Food Processing Industries			
(क) (i) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता के सृजन/विस्तार योजना के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य अनुदान सहायता	(a) For providing additional funds for 1. Grants-in-aid General (i) for General Component under the scheme Creation/			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹46.90 करोड़) के लिए और प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के तहत कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना सृजन के तहत जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक के लिए सामान्य अनुदान-सहायता (₹6.30 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना। (ii) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹44.98 करोड़) के लिए; अनुसूचित जाति उप योजना घटक के लिए (₹8.58 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹4.44 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना। 2. वाइन और वाइन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (ओ आई वी) में (₹0.19 करोड़)।	Expansion of Food Processing and Preservation Capacities (₹46.90 crore) and for Tribal Area Sub Plan Component under Creation of Infrastructure for Agro-processing Clusters under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (₹6.30 crore) (iii) for General Component (₹44.98 crore), for Schedule Castes Sub Plan Component (₹8.58 crore) and for Tribal Area Sub Plan Component (₹4.44 crore) under the Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme and 2. Contribution to International Organisation of Wine & Vine (OIV) (₹0.19 crore).	111.39	...	111.39
(ख) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) पूर्वोत्तर (सामान्य) के लिए सामान्य अनुदान-सहायता (₹30.00 करोड़) और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत मेगा फूड पार्क योजना के लिए (₹6.00 करोड़) हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करना।	(b) For providing additional funds for Grants-in-aid General NER (₹30 crore) under the Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM-FME) and for Mega Food Parks Scheme (₹6 crore) under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana.	36.00	...	36.00
(ग) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹128.92 करोड़) के लिए; अनुसूचित जाति उप योजना घटक के लिए (₹24.56 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹12.71 करोड़)।	(c) For augmenting the funds in Grants-in-aid General for General Component (₹128.92 crore), for Schedule Castes Sub Plan Component (₹24.56 crore) and TASP Component (₹12.71 crore) under PM-FME.	166.19	...	166.19
(घ) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹0.70 करोड़); अनुसूचित जाति उप योजना घटक के लिए (₹0.06 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹0.05 करोड़)।	(d) For augmenting the funds in Grants-in-aid General for General Component (₹0.70 crore), for SCSP Component (₹0.06 crore) and for TASP component (₹0.05 crore) under PM-FME.	0.81	...	0.81
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) चिकित्सा सेवा हेतु-केंद्र सरकार पेंशन भोगी।	(a) For Medical Treatment - Central Government Pensioners.	309.83	...	309.83
(ख) (i) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹2 करोड़) और (ii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस.के. हॉस्पिटल नई दिल्ली (₹1.20 करोड़) स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(b) For meeting the additional requirement under the schemes (i) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (GBS)(₹2 Crore) and (ii) Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi (₹1.20 Crore).	...	3.20	3.20
(ग) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting the additional requirement under the scheme Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana.	...	50.00	50.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
43 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	43 Department of Health Research			
कोविड-19 के लिए महामारी विज्ञान के अध्ययन, परीक्षण कितों के वैधीकरण, ईक्यूए (बाहरी गुणवत्ता आश्वासन)	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under Development			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
आदि के कारण महामारियों के प्रकोपों से बचने के लिए उपकरणों के विकास शीर्ष के अंतर्गत के अतिरिक्त व्यय (सामान्य सहायता अनुदान) को पूरा करने के लिए।	of Tools to prevent outbreaks of Epidemics on account of Epidemiological Studies, Validation of testing kits, etc. for COVID-19.	4.97	...	4.97
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
44. भारी उद्योग विभाग	44 Department of Heavy Industry			
(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान का व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Support to Central Public Sector Enterprises.	116.02	...	116.02
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता स्कीम के अंतर्गत ऋण और अग्रिमों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Loans and advances under the scheme Support to Central Public Sector Enterprises.	...	41.00	41.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
48. पुलिस	48 Police			
(क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय पुलिस स्मारक सोसायटी (₹8.50 करोड़) और तटीय सुरक्षा के लिए संवैधानिक संगठनों को अनुदान (₹10.00 करोड़) फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान (₹2.02 करोड़) (ii) विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) को वेतन सहायता अनुदान (₹0.34 करोड़) (iii) अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटी एनएस) (₹42.99 करोड़) और महिला और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (₹16.50 करोड़) के लिए अन्य शुल्क (iv) दिल्ली पुलिस के लिए कार्यालय व्यय (₹73.08 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General to National Police Memorial Society (₹8.50 crore), Grants to Statutory Organisations for Coastal Security (₹10 crore) and Grants to Union Territories without Legislature for Strengthening of Forensic Science Labs (₹2.02 crore) (ii) Grants-in-aid Salaries to Special Protection Group (SPG) (₹0.34 crore) (iii) Other Charges to Crime and Criminal Tracking Network Systems (CCTNS) (₹42.99 crore) and to Cyber Crime Prevention against Women and Children (₹16.50 crore) and (iv) Office Expenses to Delhi Police (₹73.08 crore).	153.43	...	153.43
(ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) आवासीय भवन के अंतर्गत केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी) (₹7.40 करोड़), दिल्ली पुलिस (₹97.45 करोड़) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) (₹50.69 करोड़) (ii) मोटर-वाहन के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (₹10.35 करोड़), पुलिस अनुसंधान और प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) (₹0.65 करोड़) (iii) मशीनरी और उपकरणों के अंतर्गत राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (एनईटी ग्रिड) (₹52.38 करोड़), पुलिस अनुसंधान और प्रशिक्षण ब्यूरो (₹27.34 करोड़), विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) (₹0.10 करोड़), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) (₹9.99 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) Residential Building for Central Academy for Police Training (CAPT) (₹7.40 crore), Delhi Police (₹97.45 crore) and Border Security Force (BSF) (₹50.69 crore) (ii) Motor Vehicles for Delhi Police (₹10.35 crore), Bureau of Police Research and Training (BPR&D) (₹0.65 crore) and (iii) Machinery & Equipments for National Intelligence Grid (₹52.38 crore), BPR&D (₹27.34 crore), Special Protection Group (₹0.10 crore) and Shashastra Seema Bal (SSB) (₹9.99 crore).	...	256.35	256.35
49. अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	49 Andaman and Nicobar Islands			
(क) सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एण्ड टेक्निकल एजुकेशन को सहायता अनुदान जारी करना।	(a) For releasing Grants-in-aid to Society for Promotion of Vocational & Technical Education.	3.00	...	3.00
(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में मैडिकल शिक्षण और अनुसंधान सोसाइटी (जीआईए-सामान्य- ₹1.40 करोड़ और जीआईए-वेतन	(b) For providing Grants-in-aid General (₹1.40 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹7 crore) to Andaman & Nicobar			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
₹7.00 करोड़)।	Islands Medical Education and Research Society.	8.40	...	8.40
(ग) पीबीएमसी के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन आदि पर व्यय को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान वेतनों को जारी करना।	(c) For releasing Grants-in-aid Salaries to meet the expenditure on salary, wages, pension, etc. of the employees of PBMC.	18.55	...	18.55
(घ) प्राकृतिक आपदाओं के चलते वार्षिक व्यय" नए उप-शीर्ष के तहत कोविड-19 वैश्वविक महामारी हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(d) For meeting additional requirement for COVID-19 pandemic under Annual Expenditure on account of natural calamities.	5.30	...	5.30
(ङ.) खत्म की जा चुकी पंचायत समितियों के कर्मचारियों को वेतन देने हेतु जिला परिषद से जीआईए-वेतन जारी करना।	(e) For releasing Grants-in-aid Salaries from Zilla Parishad to pay salaries to employees of abolished Panchayat Samities.	8.65	...	8.65
(च) बॉयज हॉस्टल, री-रूफिंग, दिव्यांगों के लिए रैम्प, वकुलतला आदि के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(f) For construction of Workshop Building, Boys Hostel, Re-roofing, Ramp for Divyang, Bakultala etc.	...	1.00	1.00
(छ) कच्छल में 250 एमटीआरसीसी गोदाम और कमोरता में सीसी फुटपाथ और आरसीसी कंपाउन्ड का निर्माण करना।	(g) For construction of 250 MT RCC Godown at Katchal and C/o CC footpath and RCC compound wall at Kamorta.	...	0.90	0.90
(ज) पंचायत निदेशालय के चल रहे सिविल भवन कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(h) For meeting additional requirement for ongoing civil building works of Directorate of Panchayat.	...	0.90	0.90
(झ) विद्युत विभाग के निकट शिकायत सैल का निर्माण हेतु, सी/ बे और कच्चल में विद्युत विभाग हेतु री-रूफिंग, मरम्मत और पेंटिंग के लिए।	(i) For construction of complaint cell near Electricity Department, C/Bay and for re-roofing, repair & painting for Electricity Department at Katchal.	...	0.20	0.20
(ञ) जिला मार्गों (₹1.74 करोड़), जिला और अन्य मार्गों (₹1.00 करोड़) हेतु जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के निर्माण/ नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(j) For construction/renovation of Roads & Bridges under District Roads (₹1.74 crore), Tribal Area sub-plan for District & Other Roads (₹1 crore).	...	2.74	2.74
(ट) विभिन्न बस टर्मिनस, पेसेन्जर हाल, बस शेड, क्वाटर और अन्य कार्यों के निर्माण नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(k) For construction/renovation of various bus terminus, passender hall, bus shed, quarters and other works.	...	2.00	2.00
50 चण्डीगढ़	50 Chandigarh			
(क) उच्च न्यायालय की विधि सेवा समिति के लिए राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को सहायता अनुदान जारी करना।	(a) For releasing Grants-in-aid to State Legal Services Authority and High Court Legal Service Committee.	0.50	...	0.50
(ख) कोविड-19 व्यय को पूरा करने के लिए अन्य प्रभारों हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(b) For meeting additional requirement towards Other Charges for meeting COVID-19 expenditure.	9.63	...	9.63
(ग) माध्यमिक के बाद अनुसूचित जाति के छोटे हुए लाभार्थियों को छात्रवृत्ति जारी करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional requirement for release of scholarship for Post Matric Scholarship for SC students.	8.32	...	8.32
(घ) वेतन भुगतान के लिए नगर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए नगर निगम, चंडीगढ़ को सहायता अनुदान जारी करना।	(d) For releasing Grants-in-aid to the Municipal Corporation, Chandigarh for the payment of Salaries etc. and various development works in the city etc.	75.00	...	75.00
(ङ.) केंद्र शासित प्रदेश को आपदा कार्रवाई निधि के लिए और कोविड-19 महामारी के कारण व्यय को पूरा करने लिए अन्य प्रभार के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(e) For meeting the additional requirement under Other Charges for Disaster Response Fund for UT and incurring the expenditure on account of Pandemic COVID-19.	10.50	...	10.50
(च) वेतन भुगतान, पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक, व्यापक अनुरक्षण प्रभार तथा परिवहन विभाग के नगर बस सेवा समिति के लिए बसों की बीमा के	(f) For releasing Grants-in-aid to Chandigarh City Bus Service for payment of Salaries, POL, Comprehensive maintenance			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
लिए चण्डीगढ़ सिटी बस सर्विस को सहायता अनुदान जारी करना।	charges & Insurance of Buses City Bus Services Society of Transport Department.	20.00	...	20.00
(छ) केविड-19 के कारण लाइसेंस शुल्क में छूट दिए जाने के कारण वेतन व्यय एवं क्षतिपूर्ति के लिए सिटको को एक बारगी सहायता अनुदान जारी करना।	(g) For releasing one time Grants-in-aid for CITCO for salary expenses and compensation due to waiving off Licence Fee due to COVID-19.	27.00	...	27.00
(ज) धनास में चण्डीगढ़ सशस्त्र सेना परिसर तथा चण्डीगढ़ सशस्त्र पुलिस परिसर में आवासों का निर्माण।	(h) For construction of houses in Chandigarh Armed complex and Chandigarh Armed Police Complex at Dhanas.	...	12.22	12.22
(झ) मॉडल जेल बुरैल के विभिन्न विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए।	(i) For meeting additional requirement for various development works at Model Jail Burail.	...	0.33	0.33
(ञ) मनिमाजरा में बिस्तरों वाले अस्पताल के विभिन्न विकास कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(j) For meeting the additional for various development works of Hospital in Manimajra, Chandigarh.	...	2.47	2.47
(ट) मौजूदा ओवर हेडलाइन को 66 केवी भूमिगत डबल सर्किट में बदलने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। नई सड़क तथा लीज़र वैली का लैंडस्कैप करना और सड़क के किनारे दशरों को भरने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना।	(k) For meeting additional requirement for conversion of existing over headline to 66 KV under double circuit, Construction of new road, etc. and landscaping in leisure valley and filling up gaps on the roadsides.	...	11.03	11.03
(ठ) सरकारी आईटीआई, सेक्टर में निर्माण औ कैटीन ब्लॉक का विस्तार करने, शौचालय और रैम्प आदि की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। चंडीगढ़ में महिलाओं के लिए सरकारी आईटीआई के विभिन्न विकास कार्यों के लिए।	(l) For construction and extension of canteen block, provision of toilet and Ramp etc. at Government ITI Sector and various works of Government ITI for Women.	...	0.33	0.33
(ड) विभिन्न गाँवों और क्षेत्रों में पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के विभिन्न विकास कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(m) For various development works of Veterinary Sub Centres in various villages and sectors.	...	0.23	0.23
(ढ) बर्ड पार्क के निर्माण, वन विभाग और विभिन्न अन्य कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(n) For construction of Bird park, Forest Department and various other works.	...	2.00	2.00
(ण) चंडीगढ़ में विभिन्न 66 केवी और 11 केवी के विकास कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(o) For various 66 KV and 11 KV development works in Chandigarh.	...	6.31	6.31
(त) सीटीयू कारखानों के विभिन्न विकास कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(p) For various development works of C.T.U Workshops.	...	1.05	1.05
51 दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	51 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu			
पक्षी अभयारण्य, जामपूर में "पक्षीशाला विहार" के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	For meeting additional requirement for construction of Walk in Aviary at Bird Sanctuary, Jampore.	...	8.50	8.50
52. लद्दाख	52 Ladakh			
(क) चंग थंग पशमीना उत्पादक सहकारी समिति को सहायता अनुदान जारी करने के लिए।	(a) For releasing Grants-in-aid to Changthang Pashima Grower Cooperative Society.	3.00	...	3.00
(ख) पुलिस विभाग के लिए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कपड़े और टेंट के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure under Clothing and Tentage to purchase Uniforms for Police Department.	25.70	...	25.70
(ग) लद्दाख विश्वविद्यालय के लिए ऑन लाइन कक्षाओं के संचालन हेतु गेस्ट हाऊस सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान जारी करना।	(c) For releasing Grants-in-aid for engagement of Guest house Facilities to conduct online classes for University of Ladakh.	2.20	...	2.20
(घ) स्वास्थ्य विभाग के लिए दवाईयों और उपकरणों को खरीदने के लिए आपूर्ति और समग्री के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(d) For meeting additional requirement under supplies and material to purchase Medicines and equipment for Health Department.	5.50	...	5.50
(ड.) नगर निगम समिति को वेतन के भुगतान के लिए सहायता अनुदान जारी करने के लिए।	(e) For releasing Grants-in-aid for payment of salaries to the Municipal committee.	0.32	...	0.32

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(च) ग्रीन हाउस परियोजनाओं अर्थात् कृषि विभाग, लेह (₹ 18.35 करोड़), कृषि विभाग, करगिल (₹ 16.83 करोड़) और बागवानी विभाग (₹ 0.40 करोड़) हेतु सब्सिडियां उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(f) For providing subsidies for Green House Projects for Agriculture Department Leh (₹18.35 crore), Agriculture Department Kargil (₹16.83 crore) and Horticulture Department (₹0.40 crore).	35.58	...	35.58
(छ) पशुओं के लिए चारे और दवाईओं के शीतकालीन भंडारण अर्थात् पशुपालन विभाग (सब्सिडियों के अंतर्गत ₹ 1 करोड़) और भेड़ पशुपालन विभाग (आपूर्ति और सामग्री के अंतर्गत ₹ 4.52 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(g) For meeting additional requirement for Winter stocking of Fodder and Medicines for Animals i.e. Animal Husbandry Department (₹1 crore under subsidies) and Sheep Husbandry Department (₹4.52 crore under supplies & materials).	5.52	...	5.52
(ज) एफसीएस और सीए विभाग द्वारा खाद्यान्न की खरीद के लिए अन्य प्रभारों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(h) For meeting additional requirement towards Other Charges for purchase of food grains.	19.08	...	19.08
(झ) अन्य प्रभार-नया शीर्ष (₹ 121.33 करोड़) के अंतर्गत विद्युत की खरीद डीजल जनरेटर सेटों के संचालन और रखरखाव (₹ 29.97 करोड़-अन्य प्रभार) और मरम्मत और रखरखाव के लिए (लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत ₹ 5.37 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(i) For meeting additional requirement towards (i) Other Charges for purchase of power (₹121.33 crore) and for running and maintenance of DG sets (₹29.97 crore) and (ii) Minor Works for repair and maintenance (₹5.37 crore).	156.67	...	156.67
(ञ) यांत्रिकी विभाग द्वारा बर्फ हटाने वाली मशीनों की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(j) For purchase of snow clearance machines by Mechanical Department.	...	50.00	50.00
53. लक्षद्वीप	53 Lakshadweep			
(क) सफाई कर्मचारियों आदि की मजदूरी/पारिश्रमिक के भुगतान के लिए पंचायत को सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए।	(a) For releasing of Grants-in-aid to Panchayat for payment of wages remuneration of Swachh workers, etc.	2.63	...	2.63
(ख) बिजली घर/तेल भंडारण इमारत आदि के निर्माण/पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(b) For meeting the additional requirement for construction/re-construction/special repairs to power house/oil storage buildings, etc.	...	0.20	0.20
(ग) पर्यटन आवास भवनों और संबद्ध सुविधाओं आदि के निर्माण/पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(c) For meeting the additional requirement for construction/re-construction/special repairs to tourist accommodations buildings and allied facilities, etc.	...	6.00	6.00
आवास और शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
57. आवास और शहरी विकास मंत्रालय	57 Ministry of Housing and Urban Affairs			
(क) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत (i) सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) प्रशिक्षण स्कीम (₹ 0.15 करोड़) (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में अन्य परियोजनाएं (₹ 0.01 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for Public Health Engineering (PHE) training scheme (₹0.15 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets for Other Projects in NER (₹0.01 crore).	0.16	...	0.16
(ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में अन्य परियोजनाओं की लंबित देनदारियों की मंजूरी हेतु नए शीर्ष खोलने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets to clear pending liabilities of Other projects in NER.	18.55	...	18.55
(ग) निम्नलिखित नए शीर्षों को खोलने के लिए (i) प्रकाशन के अंतर्गत लाभार्थी परिचय कार्ड (₹ 37.50 करोड़) (ii) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग (₹ 12.63 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग (₹ 1.50 करोड़)	(c) For meeting expenditure towards (i) Publication for Beneficiary Parichay Cards (₹37.50 crore) (ii) Grants-in-aid General for Socio-Economic Profiling (₹12.63 crore) and (iii) Professional Services for Socio-Economic Profiling (₹1.50 crore).	51.63	...	51.63

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत कॉमन केंद्रीय सचिवालय के निर्माण के लिए भूमि की खरीद हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure on Major Works for purchase of land for construction of Common Central Secretariat.	...	61.00	61.00

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

58. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

58 Department of School Education and Literacy

(क) अनुदान सहायता जनरल (वस्तु हेड-31) की योजना (i) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) (₹ 10.90 करोड़) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹ 1605.80 करोड़), शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण (नेशनल काउंसिल ऑफ एनसीईआरटी) (₹ 84.92 करोड़), समग्र शिक्षा (₹ 17 करोड़) (ii) नवोदय विद्यालय संगठन एनवीएस) (₹ 852 करोड़), पढ़ना लिखना अभियान (₹ 5 करोड़) योजना में, सहायता वेतन में एनवीएस (₹ 1970 करोड़), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (₹ 2324.38 करोड़) और राष्ट्रीय बाल भवन (₹ 0.24 करोड़) (iii) राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम को मजबूत करने की योजना में विज्ञापन और प्रचार (एसटीएआरएस) (₹ 1 करोड़) (iv) स्टार्स योजना में व्यावसायिक सेवाएं (₹ 19.50 करोड़) (ii) पढ़ना लिखना अभियान (₹ 5 करोड़) और योजना (v) में पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन के लिए 5. अनुदान एनवीएस (₹ 568 करोड़), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (₹ 270.50 करोड़), (ग) एनसीईआरटी (₹ 5 करोड़), सीटीएसए (₹ 1 करोड़) और (v) समग्र शिक्षा (₹ 25.84 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid General under the Schemes Central Tibetan School Administration (₹10.90 crore), Kendriya Vidyalaya Sangathan (₹1,605.80 crore), National Council of Education Research & Training (₹84.92 crore), Samagra Shiksha (₹17 crore), Navodaya Vidyalaya Sangathan (₹852 crore), Padhna Likhna Abhiyan (₹5 crore) (ii) Grants-in-Aid Salary under NVS (1,970 crore), KVS (₹2,324.38 crore), National Bal Bhawan (₹0.24 crore) (iii) Advertising and Publicity under the scheme of STARS (₹1 crore) (iv) Professional Services under the Scheme STARS (₹19.50 crore) and Padhna Likhna Abhiyan (₹5 crore) and (v) Grants for Creation of Capital Assets under the Schemes NVS (₹568 crore), KVS (₹270.50 crore), NCERT (₹5 crore), CTSA (₹1 crore), Samagra Shiksha (₹25.84 crore).	7,766.08	...	7766.08
(ख) सामान्य सहायता अनुदान (i) योजना में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (₹ 193.50 करोड़), मध्याह्न भोजन (एमडीएम) (₹ 35 करोड़), समग्र शिक्षा (₹ 2785.40 करोड़), एनवीएस (₹ 20 करोड़), पढ़ना लिखना अभियान (₹ 10.26 करोड़) (ii) योजना के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन के लिए अनुदान (i) एनवीएस (₹ 40 करोड़), समग्र शिक्षा (₹ 145.68 करोड़) और केन्द्रीय विद्यालय संगठन (₹ 4.50 करोड़) और (iii) योजना के तहत सहायता वेतन में अनुदान (i) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (₹ 39 करोड़) और एनवीएस (₹ 30 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid General under the Schemes KVS (₹193.50 crore), MDM (₹35 crore), Samagra Shiksha (₹2,785.40 crore), NVS (₹20 crore), Padhna Likhna Abhiyan (₹10.26 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Schemes NVS (₹40 crore), Samagra Shiksha (₹145.68 crore), KVS (₹4.50 crore) and (iii) Grants-in-Aid Salary under the scheme KVS (₹39 crore) and NVS (₹30 crore).	3,303.34	...	3303.34
(ग) (i) इंटर खाता स्थानांतरण प्रारंभिक शिक्षा कोष (₹ 3187.88 करोड़) (ii) अनुदान सहायता जनरल एमडीएम योजना में (₹2806.84 करोड़), शिक्षा योजना के लिए मदरसों/अल्पसंख्यक (₹ 90.22 करोड़), स्टार्स (₹ 74.39 करोड़), समग्र शिक्षा (₹ 832.37 करोड़), पढ़ना लिखना अभियान (₹ 62.58 करोड़) और निर्माण के लिए अनुदान (iii) स्टार्स योजना में कैपिटल एसेट के (₹ 16.90 करोड़), समग्र शिक्षा (₹ 142.60 करोड़) और	(c) For (i) Inter Account Transfer to Prarambhik Shiksha Kosh (₹3,187.88 crore) (ii) Grants-in-Aid General under the Schemes MDM (₹2806.84 crore), Education Scheme for Madrassas/ Minorities (₹90.22 crore), STARS (₹74.39 crore), Samagra Shiksha (₹832.37 crore), Padhna Likhna Abhiyan (₹62.58 crore) and (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the Schemes STARS (₹16.90 crore),			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
एमडीएम (₹ 43.27 करोड़)।	Samagra Shiksha (₹142.60 crore), MDM (₹43.27 crore).	7,257.05	...	7257.05
(घ) (i) अनुदान सहायता जनरल एमडीएम योजना (₹ 80 करोड़) समग्र शिक्षा (₹ 98.03 करोड़), पढ़ना लिखना अभियान (₹ 2.41 करोड़) और (ii) समग्र शिक्षा की योजना में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹ 90 करोड़)।	(d) For (i) Grants-in-Aid General under the Schemes MDM (₹80 crore), Samagra Shiksha (₹98.03 crore) and Padhna Likhna Abhiyan (₹2.41 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme Samagra Shiksha (₹90 crore)	270.44	...	270.44
59 उच्च शिक्षा विभाग	59 Department of Higher Education			
(क) निम्नलिखित योजनाओं के तहत अनुदान सहायता (i) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 85.84 करोड़), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता (₹ 48.95 करोड़), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता (₹ 10 करोड़), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए समर्थन यूजीसी (₹ 35 करोड़), सहित अन्य संस्थानों को सहायता एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार (₹ 8.92 करोड़), प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (₹ 1.50 करोड़)। (ii) निम्नलिखित योजनाओं के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान : प्रौद्योगिकी (के राष्ट्रीय संस्थानों को समर्थन एनआईटी) और आईआईईएसटी (₹ 87 करोड़), सहित अन्य संस्थानों को सहायता एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार (₹ 5.20 करोड़) (iii) निम्नलिखित योजनाओं के तहत अनुदान सहायता वेतन : केंद्रीय विश्वविद्यालयों (₹ 24 करोड़) के लिए अनुदान करोड़, सहित अन्य संस्थानों को सहायता एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार (₹ 11.70 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the following schemes to Central Universities (₹85.84 crore), Support to Indian Institutes of Technology (₹48.95 crore), Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST (₹10 crore), Support to University Grants Commission (UGC) (₹35 crore), Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹8.92 crore) and PM Research Fellowship (₹1.50 crore) (ii) Grants for Creation of Capital assets to Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST (₹87 crore) and Assistance to other Institutes including SLIET, NERIST, NIFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹5.20 crore) and (iii) Grants-in-aid Salaries to Grants to Central Universities (₹24 crore) and Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹11.70 crore).	318.11	...	318.11
(ख) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan.	0.84	...	0.84
(ग) केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और क्षेत्रीय भाषा केंद्र के लिए मुख्य कार्यों हेतु व्यय को पूरा करना।	(c) For meeting expenditure towards Major Works for Central Institute of Indian Languages, Mysore and Regional Language Centers.	...	2.00	2.00
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
61 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	61 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) नदी जल विवाद अधिग्रहण (एमडब्ल्यूडीटी) के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting expenditure towards Professional Services under Mahadayi Water Disputes Tribunal.	0.04	...	0.04
(ख) मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण स्कीम के अंतर्गत एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम के लिए वेतन सहायता अनुदान जारी।	(b) For release of Grants-in-aid Salaries to North Eastern Regional Institute of Water and Land Management under the scheme Human Resource Development Capacity Building.	0.85	...	0.85
(ग) अतुल भुजल योजन (ईएपी कार्यक्रम) (₹ 25.01 करोड़)। (ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	(c) For 1. Atal Bhujal Yojana (EAP Programme) (₹25.01 crore) 2. payment of interest for			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के लिए नाबार्ड ऋण हेतु ब्याज का भुगतान (₹ 150 करोड़) और पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों के नाबार्ड के लिए ब्याज आर्थिक सहायता का भुगतान (₹ 155 करोड़)।	NABARD loan to (i) National Water Development Agency (NWDA) under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) (₹150 crore) and (ii) States under PMKSY (₹155 crore).	330.01	...	330.01
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
63. श्रम और रोजगार मंत्रालय	63 Ministry of Labour and Employment			
(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान का व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana.	900.00	...	900.00
(ख) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 100 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए और (ii) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹ 73 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the scheme Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (₹100 crore) and (ii) Contribution under the scheme Employees Pension Scheme (EPS), 1995 (₹73 crore).	173.00	...	173.00
(ग) राष्ट्रीय स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान का व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme National Career Services.	0.42	...	0.42
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
67. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	67 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) विपदग्रस्त आस्ति निधियां स्कीम के अंतर्गत अंशदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Contribution under the scheme Distressed Assets Funds.	130.41	...	130.41
(ख) क्रेडिट संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों (₹ 652.88 करोड़) और खादी विकास योजना स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों (₹ 80.33 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए (ii) अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए (iii) अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण - ईएपी घटक स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.71 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards (i) Subsidies under the schemes 'Credit linked Capital Subsidy and Technology Upgradation Scheme (₹652.88 crore) and 'Khadi Vikas Yojana' (₹80.33 crore) (ii) Grant-in-aid Salary (₹10 crore) under the scheme 'Infrastructure Development and Capacity Building and (iii) Grant-in-aid General (₹8.71 crore) under the scheme Infrastructure Development and Capacity Building. EAP Component.	751.92	...	751.92
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
68 खान मंत्रालय	68 Ministry of Mines			
भारत स्वर्ण खान लिमिटेड स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान का व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Bharat Gold Mines Ltd.	1.50	...	1.50
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
69. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	69 Ministry of Minority Affairs			
हमारी धरोहर स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	For meeting additional funds towards Grants-in-aid General under the scheme Hamari Dharohar.	2.20	...	2.20

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ii) ऊर्जा के उत्कृष्टता केन्द्र, बेंगलुरु की स्थापना (₹ 30 करोड़) (iii) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), असम की स्थापना (₹ 5 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।	(₹250 crore) (ii) Establishment of Centre of Excellence for Energy, Bengaluru (₹30 crore) (iii) Establishment of Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology (RGIPT), Assam (₹5 crore).	2,071.67	...	2,071.67
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
77. विद्युत मंत्रालय	77 Ministry of Power			
एकीकृत विद्युत विकास निधि स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना।	For providing additional funds for Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Integrated Power Development Fund.	130.00	...	130.00
राष्ट्रपति, संसदीय, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	The President, Parliament, Union Public Service Commission and the Secretariat of the Vice President			
79 लोक सभा	79 Lok Sabha			
सब्सिडियों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on subsidies.	0.75	...	0.75
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
83 रेल मंत्रालय	83 Ministry of Railways			
संबंधित संसाधन अंतराल के लिए (i) विशेष ऋण के रूप में ₹ 63000 करोड़ और (ii) लोक लेखा के 2019-20 में प्रतिकूल शेष राशि के परिसमापन हेतु ₹ 16,398 करोड़ का ऋण प्रदान करने के लिए।	For providing a loan (i) as 'Special Loan for COVID related resource gap' (₹63,000 crore) and (ii) towards liquidating adverse balance occurred in Public account in 2019-20 (₹16,398 crore).	...	79,398.00	79,398.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
84 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	84 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) "गौण कार्यों" ₹134 करोड़ तथा केंद्रीय सड़क तथा अवसंरचना निधि (सीआईआरएफ) को "अंतरलेखा अंतरण" (₹134 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय	(a) For meeting additional expenditure under Minor Works (₹134 crore) and Inter Account Transfer to Central Road & Infrastructure Fund (CRIF) (₹134 crore).	268.00	...	268.00
(ख) (i) प्रतिपूर्ति योग्य सलाहकार सेवाओं (₹ 10 करोड़) के लिए व्यावसायिक सेवाएं (ii) नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) (₹10 करोड़) के कार्यान्वयन हेतु सामान्य सहायता अनुदान जारी करना।	(b) For meeting expenditure (i) towards Professional Services for Reimbursement Advisory Services (₹10 crore) and (ii) release of Grants-in-aid General to implement National Common Mobility Card (NCMC) (₹10 crore).	20.00	...	20.00
खनिज विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
85 खनिज विकास मंत्रालय	85 Department of Rural Development			
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत ब्याज सबवेंशन के लंबित दावों के समायोजन हेतु अतिरिक्त आबंटन	For additional allocation for settlement of pending claims of Interest Subvention under the scheme National Rural Livelihood Mission.	350.00	...	350.00
भूमि संसाधन विभाग	86 Department of Land Resources			
86 भूमि संसाधन विभाग				
(क) नवोन्मेष विकास के माध्यम से कृषि नमनीयता हेतु जलविभाजकों को पुनरुज्जीवित (रिवार्ड) करने के लिए अतिरिक्त आबंटन प्रदान करना।	(a) For providing additional allocation for Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development (REWARD).	1.50	...	1.50
(ख) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(b) For providing Grants-in-aid General under the scheme Digital India Land Records Modernization Programme.	20.94	...	20.94

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
87 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	87 Department of Science and Technology			
(i) पूंजी आस्ति के सृजनार्थ अनुदान के अंतर्गत ₹72.00 करोड़ रुपये और स्वायत्त संस्थाओं और (ii) व्यावसायिक निकायों हेतु सहायता अनुदान ₹43 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards (i) Grants for creation of capital Assets for Science and Engineering Research Board (₹72 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries for Autonomous Institutions and Professional Bodies (₹43 crore).	115.00	...	115.00
नौवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
90 नौवहन मंत्रालय	90 Ministry of Shipping			
प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत महानिदेशक (डीजीएलएल) की सामान्य प्रारक्षित निधि को अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	For providing additional funds for General Reserve Fund of Director General of Light Houses & Light Ship.	56.99	...	56.99
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
91 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	91 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship			
कौशल विकास' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 105 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए और प्रशिक्षुता का संवर्धन' स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों (₹ 26.28 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹105 crore) under the scheme Development of Skills and (ii) Scholarship/Stipends (₹26.28 crore) under the scheme Promotion of Apprenticeship.	131.28	...	131.28
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
92 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	92 Department of Social Justice And Empowerment			
(क) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना (लघु शीर्ष 789 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए ₹27.71 करोड़ और लघु शीर्ष 102 के अंतर्गत ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के लिए ₹ 22.29 करोड़) 2. अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 25 करोड़) (ii) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2 करोड़) (iii) विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों और अन्य वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति (₹ 10 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the schemes Pradhan Mantri Dadshta Aur Kushalta Sampann Higrhi (PM-DAKSH) Yojana (₹27.71 crore for SCs and ₹22.29 crore for OBCs/EBCs/DNTs) and Assistance to Voluntary Organisation for SCs (₹25 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under scheme of Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojna (₹2 crore) and (iii) Scholarship/Stipend under the scheme Scholarship of students of SCs and other categories for studies abroad (₹10 crore).	87.00	...	87.00
(ख) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की स्थापना हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (₹ 28 करोड़) 2. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (₹ 26.50 करोड़) 3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्यवाई योजना (₹ 34.70 करोड़) 4. औषधि मांग में कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्यवाई योजना (₹ 8 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the schemes (i) National Institute of Social Defence for setting up of National Helpline for Senior Citizens (₹28 crore) (ii) Rashtriya Vayoshri Yojana (₹26.50 crore) (iii) National Action Plan for Senior Citizens (₹34.70 crore) and for Drug Demand Reduction (₹8 crore).	97.20	...	97.20

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
94 अंतरिक्ष विभाग	94 Department of Space			
(क) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी (₹ 8.00 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 4.00 करोड़) के सहायता अनुदान वेतन, सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी (₹ 43 करोड़), राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 0.50 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grant-in-aid Salaries to Semi-Conductor Laboratory (₹8 crore) Indian Institute of Space Science & Technology (₹4 crore) (ii) Grants-in-aid General to Semi-conductor Laboratory (₹43 crore) and National Atmospheric Research Laboratory (₹0.50 crore).	55.50	...	55.50
(ख) "पूँजीगत" खंड के तहत, भू-प्रतिबिंबन उपग्रह (जीसैट) (₹ 16 करोड़), रेडार प्रतिबिंबन उपग्रह (रिसैट)-1ए (₹ 1 करोड़), ठोस नोदक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र (₹ 13 करोड़), जी.एस.एल.वी. मार्क-III सातत्यर परियोजना (₹ 2 करोड़), लघु उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (एस.एस.एल.वी.) विकास परियोजना (₹ 3 करोड़), जीसैट-20 उपग्रह (₹ 95 करोड़), समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एच.एस.एफ.सी.) (₹ 2 करोड़) जैसे उप शीर्षों के मशीनरी एवं उपकरणों के लिए; ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (पी.एस.एल.वी.) सातत्यो परियोजना (₹ 7 करोड़), चंद्रयान-III (₹ 4 करोड़), इसरो नोदन कॉम्प्ले. तक्स (आई.पी.आर.सी.) के आवासीय कार्य (₹ 1 करोड़) तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय (इसरो मु.) (₹ 2 करोड़) के मुख्य कार्यों के लिए।	(b) For meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipments for Geo-Imaging Satellite (₹16 crore), Radar Imaging Satellite -1A (₹1 crore), Solid Propellant Space Booster Plant (₹13 crore), GSLV Mk-III Continuation Project (₹2 crore), Small Satellite Launch Vehicle Development Project (₹3 crore), GSAT-20 Satellite (₹95 Crore), Human Spaceflight Centre (₹2 crore) and (ii) Major Works for Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) Continuation Project (₹7 crore), Chandrayaan-III (₹4 crore), Housing Works of ISRO Propulsion Complex (₹1 crore) and Indian Space Research Organisation Headquarters (₹2 crore).	...	146.00	146.00
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
95 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	95 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(1) आर्थिक जनगणना (₹ 88.33 करोड़) (2) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को वेतन सहायता अनुदान (₹ 31 करोड़) और आर.सी. बोस क्रिप्टो विज्ञापन और सुरक्षा (₹ 1 करोड़) जारी करने के लिए तथा आर.सी. बोस क्रिप्टो विज्ञापन और सुरक्षा को पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 3 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional Expenditure for (1) Economic Census (₹88.33 crore) (2) For releasing (i) Grants-in-aid Salaries to Indian Statistical Institute, Kolkata (₹31 crore), R. C. Bose Cryptology and Security (₹1 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets to R. C. Bose Cryptology and Security (₹3 crore).	123.33	...	123.33
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
97 कपड़ा मंत्रालय	97 Ministry of Textiles			
(i) मूल्य योजना के अंतर्गत कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों (₹ 700 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए अन्य (ii) (टीआरए,सीओपी)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए और (iii) "वस्त्र आयुक्त" स्कीम के अंतर्गत लघु निर्माण कार्यों (₹ 0.98 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) Subsidies under Procurement of Cotton by Cotton Corporation under Price Support Scheme (₹700 crore) (ii) Grants-in-aid General under the scheme Others (TRAs, COP) (₹0.50 crore) and (iii) Minor Works under the scheme Textile Commissioner (₹0.98 crore).	701.48	...	701.48
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
98 पर्यटन मंत्रालय	98 Ministry of Tourism			
"आई.एच.एम.ए/एफ.सी.आई./ आई.आई.टी.टी.एम./ एन.आईडब्ल्यूएस को सहायता स्कीम के अंतर्गत होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषाहार के संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।	For providing Grants-in-aid General to Institutes to Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition.	1.05	...	1.05

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
99 जनजातीय कार्य मंत्रालय	99 Ministry of Tribal Affairs			
निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए 1. विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (₹ 2.76 करोड़) (त्) जनजातीय त्यौहार, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा (₹ 2 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 2. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति (₹ 20 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Scholarship to the ST student for studies abroad (₹2.76 crore) (ii) Tribal Festival, Research information and mass Education (₹2 crore) 2. Scholarship under the scheme National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST students (₹20 crore).	24.76	...	24.76
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
100 महिला और बाल विकास मंत्रालय	100 Ministry of Women and Child Development			
आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता के लिए।	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under Anganwadi Services.	59.76	...	59.76
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
101 युवा मामले और खेल मंत्रालय	101 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) भारतीय खेल प्राधिकरण (सामान्य ₹8.71 करोड़ और स्वच्छता कार्य योजना ₹0.50 करोड़), (2) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹6.47 करोड़), निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (६) अनुसूचित जनजाति घटक के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति घटक हेतु सहायता अनुदान (₹ 3.00 करोड़) और भारतीय खेल प्राधिकरण स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति घटक हेतु सहायता अनुदान (₹ 3.00 करोड़)। (1) नेहरु युवा केंद्र संगठन (₹ 14.75 करोड़), (2) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ₹0.85 करोड़, (3) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹85.00 करोड़), (4) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹ 1.00 करोड़) और (5) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला स्कीमों के तहत (₹ 2 करोड़) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों की रचना के लिए अनुदान (₹ 2.50 करोड़) अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 0.30 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Sports Authority of India (General ₹8.71 crore and Swachhta Action Plan ₹0.50 crore) and National Dope Test Laboratory (₹6.47 crore) (ii) Sports Authority of India (under SC component ₹3 crore and ST component ₹3 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under the schemes Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹14.75 crore), Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹0.85 crore), Sports Authority of India (₹85 crore), Laxmibai National Institute of Physical Education (₹1 crore) and National Dope Test Laboratory (₹2 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Dope Test Laboratory (₹2.50 crore) and Ohter Charges under the scheme Arjuna Award (₹0.30 crore).	128.08	...	128.08
(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़) और भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़)	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹2 crore) and Grants-in-aid Salary (₹10 crore) under the scheme Sports Authority of India.	12.00	...	12.00
(ग) युवा छात्रावास के अंतर्गत मुख्य कार्य।	(c) For meeting expenditure towards Major Works under the scheme Youth Hostel.	...	1.00	1.00
कुल सांकेतिक	Total Token	1.09	0.42	1.51
कुल योग	GRAND TOTAL	4,57,894.62	1,70,485.37	6,28,379.99
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	3,79,689.00	32,964.48	4,12,653.48
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	78,204.53	1,37,520.47	2,15,725.00
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	1.09	0.42	1.51

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE					
1. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare	Voted	0.03	...	0.03	1
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.02	...	0.02	2
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	3. Atomic Energy	Voted	0.01	0.02	0.03	3
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
4. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	स्वीकृत	4. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02	...	0.02	4-5
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS					
5. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	स्वीकृत	5. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	3.64	...	3.64	6
6. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6. Department of Fertilisers	Voted	64598.30	813.23	65411.53	7
7. भेषज विभाग	स्वीकृत	7. Department of Pharmaceuticals	Voted	136.82	...	136.82	8
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	286.56	28.00	314.56	9
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
9. कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Coal	Voted	0.01	...	0.01	10
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
10. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	10. Department of Commerce	Voted	0.01	...	0.01	11
11. उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	स्वीकृत	11. Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Voted	1649.12	...	1649.12	12
दूरसंचार मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
13. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	13. Department of Telecommunications	Voted	0.01	0.01	0.02	13
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
14. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	14. Department of Consumer Affairs	Voted	3759.12	...	3759.12	14
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	15. Department of Food and Public Distribution	Voted	304557.83	...	304557.83	15
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
17. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	17. Ministry of Culture	Voted	0.01	...	0.01	16
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
18. रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	भारित	18. Ministry of Defence (Civil)	Charged	0.18	...	0.18	17
	स्वीकृत		Voted	0.01	799.00	799.01	
19. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	स्वीकृत	19. Defence Services (Revenue)	Voted	0.05	...	0.05	18
20. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित	20. Capital Outlay on Defence Services	Charged	...	159.50	159.50	19
	स्वीकृत		Voted	...	20466.50	20466.50	
21. रक्षा पेंशन	भारित	21. Defence Pensions	Charged	1.41	...	1.41	20
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
23. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	23. Ministry of Earth Sciences	Voted	0.01	...	0.01	21

			(₹ करोड़ in ₹ crore)				
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
24. इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	स्वीकृत	24. Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	0.03	...	0.03	22
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
25. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	स्वीकृत	25. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	0.01	...	0.01	23
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
26. विदेश मंत्रालय		26. Ministry of External Affairs	Voted	0.01	0.01	0.02	24
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
27. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	27. Department of Economic Affairs	Voted	2979.48	0.03	2979.51	25-26
28. व्यय विभाग	स्वीकृत	28. Department of Expenditure	Voted	0.01	...	0.01	27
29. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	29. Department of Financial Services	Voted	5473.60	0.02	5473.62	28-29
31. राजस्व विभाग	स्वीकृत	31. Department of Revenue	Voted	280.90	...	280.90	30
32. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	32. Direct Taxes	Voted	...	0.01	0.01	31
33. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	33. Indirect Taxes	Voted	...	0.02	0.02	32
34. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	स्वीकृत	34. Indian Audit and Accounts Department	Voted	0.01	...	0.01	33
37. पेंशन	स्वीकृत	37. Pensions	Voted	981.58	...	981.58	34
38. राज्यों को अंतरण	भारित	38. Transfers to States	Charged	...	7025.00	7025.00	35
	स्वीकृत		Voted	...	122208.00	122208.00	
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेरी कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING					
39. मत्स्य पालन विभाग	स्वीकृत	39. Department of Fisheries	Voted	92.00	0.01	92.01	36
40. पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	स्वीकृत	40. Department of Animal Husbandry and Dairying	Voted	0.03	...	0.03	37
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
41. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	41. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.04	...	0.04	38
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	42. Department of Health and Family Welfare	Voted	21227.72	1497.27	22724.99	39-43
43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	43. Department of Health Research	Voted	0.01	...	0.01	44
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
44. भारी उद्योग विभाग		44. Department of Heavy Industry	Voted	0.01	0.01	0.02	45
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
46. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	46. Ministry of Home Affairs	Voted	...	30.85	30.85	46
47. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	47. Cabinet	Voted	100.84	...	100.84	47
48. पुलिस	भारित	48. Police	Charged	23.79	...	23.79	48
			Voted	0.01	0.01	0.02	
49. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत	49. Andaman and Nicobar Islands	Voted	0.05	0.06	0.11	49-50
50. चंडीगढ़	स्वीकृत	50. Chandigarh	Voted	0.07	0.09	0.16	51-52
51. दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	स्वीकृत	51. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	Voted	...	0.01	0.01	53
52. लद्दाख	स्वीकृत	52. Ladakh	Voted	0.09	0.01	0.10	54-55
53. लक्षद्वीप	स्वीकृत	53. Lakshadweep	Voted	0.01	0.02	0.03	56
54. दिल्ली को अंतरण	स्वीकृत	54. Transfers to Delhi	Voted	149.99	...	149.99	57
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS					
57. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	57. Ministry of Housing and Urban Affairs	Voted	10000.03	0.01	10000.04	58-59

				(₹ करोड़ in ₹ crore)			
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व	पूँजी	जोड़	पृष्ठ		
		Revenue	Capital	Total	Page		
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT						
58. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग स्वीकृत	58. Department of School Education and Literacy Voted	0.04	...	0.04	60-61		
59. उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत	59. Department of Higher Education Voted	4661.09	0.01	4661.10	62-63		
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI						
61. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग स्वीकृत	61. Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Voted	0.03	...	0.03	64		
62. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग स्वीकृत	62. Department of Drinking Water and Sanitation Voted	3249.64	...	3249.64	65-66		
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT						
63. श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वीकृत	63. Ministry of Labour and Employment Voted	0.03	...	0.03	67		
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE						
64. विधि और न्याय स्वीकृत	64. Law and Justice Voted	10.00	86.00	96.00	68		
65. निर्वाचन आयोग स्वीकृत	65. Election Commission Voted	...	5.00	5.00	69		
66. भारत का उच्चतम न्यायालय भारत स्वीकृत	66. Supreme Court of India Charged	19.39	...	19.39	70		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES						
67. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्वीकृत	67. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises Voted	0.02	500.00	500.02	71		
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES						
68. खान मंत्रालय	68. Ministry of Mines Voted	0.01	...	0.01	72		
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS						
69. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय स्वीकृत	69. Ministry of Minority Affairs Voted	0.01	...	0.01	73		
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
70. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्वीकृत	70. Ministry of New and Renewable Energy Voted	0.01	118.00	118.01	74		
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ						
71. पंचायती राज मंत्रालय	71. Ministry of Panchayati Raj Voted	0.01	...	0.01	75		
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS						
73. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय स्वीकृत	73. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Voted	69.31	1.47	70.78	76-77		
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS						
75. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वीकृत	75. Ministry of Petroleum and Natural Gas Voted	0.01	...	0.01	78		
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING						
76. योजना मंत्रालय स्वीकृत	76. Ministry of Planning Voted	120.00	...	120.00	79		
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER						
77. विद्युत मंत्रालय स्वीकृत	77. Ministry of Power Voted	403.51	...	403.51	80-81		
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	The President, Parliament, Union Public Service Commission and the Secretariat of the Vice President						
79. लोक सभा स्वीकृत	79. Lok Sabha Voted	0.01	...	0.01	82		
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS						
82. रेल मंत्रालय भारत स्वीकृत	83. Ministry of Railways Charged Voted	...	336.00	336.00	83		
		...	0.01	0.01			
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS						
84. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय स्वीकृत	84. Ministry of Road Transport and Highways Voted	0.02	16220.00	16220.02	84-85		

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
85.	ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत	85. Department of Rural Development	Voted	33057.84	...	33057.84	86-87
86.	भूमि संसाधन विभाग स्वीकृत	86. Department of Land Resources	Voted	0.02	...	0.02	88
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
87.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	87. Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01	89
पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING					
90.	पोत परिवहन मंत्रालय स्वीकृत	90. Ministry of Shipping	Voted	0.01	185.00	185.01	90
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय		MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP					
91.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय स्वीकृत	91. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted	0.01	...	0.01	91
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
92.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग स्वीकृत	92. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	0.02	...	0.02	92
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
94.	अंतरिक्ष विभाग स्वीकृत	94. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	93
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
95.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्वीकृत	95. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.01	...	0.01	94
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
97.	कपड़ा मंत्रालय स्वीकृत	97. Ministry of Textiles	Voted	0.01	6.16	6.17	95
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
98.	पर्यटन मंत्रालय स्वीकृत	98. Ministry of Tourism	Voted	0.01	...	0.01	96
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
99.	जनजातीय कार्य मंत्रालय स्वीकृत	99. Ministry of Tribal Affairs	Voted	0.01	...	0.01	97
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
100.	महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वीकृत	100. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.01	...	0.01	98
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
101.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय स्वीकृत	101. Ministry of Youth Affairs And Sports	Voted	0.02	0.01	0.03	99
कुल जोड़		GRAND TOTAL		457894.62	170485.37	628379.99	
		भारित	Charged	44.77	7520.50	7565.27	
		स्वीकृत	Voted	457849.85	162964.87	620814.72	
अनुबंध		ANNEXURE					100

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 1-2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	134349.45	134349.45
पूंजी	...	50.32	50.32
जोड़	...	134399.77	134399.77
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	195.01	195.01
पूंजी	...	13.00	13.00
जोड़	...	208.01	208.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	...	0.03	0.03
पूंजी	...	...	...
जोड़	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	...
राजस्व	Revenue	...	...
पूंजी	Capital	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2401-कृषि कार्य	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01 (ख)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	0.01 (ग)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क) (i) पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 18.50 करोड़) (ii) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) (iii) एकीकृत कृषि जनगणना और सांख्यिकी स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 32 करोड़) (iv) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्कीम के अंतर्गत नाबार्ड को व्याज आर्थिक सहायता- सूक्ष्म सिंचाई निधि हेतु सस्मिडी (₹ 20 करोड़) (v) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता (टीएएसपी) घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (ख) (i) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.58 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए जैव मूल्य श्रृंखला विकास के अंतर्गत टीएएसपी घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20.16) (iii) राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत टीएएसपी घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.48 करोड़) (iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-अन्य फसलों के अंतर्गत सामान्य घटक हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 61.77 करोड़) (v) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता (टीएएसपी) घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 73.54 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) बीज और पौध सामग्री पर उप-मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक (₹ 1.24 करोड़) और टीएएसपी घटक (₹ 0.80 करोड़) हेतु विशेष घटक योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants for creation of Capital Assets under Protection of Plan Varieties and Farmer's Right (₹ 18.50 crore). (ii) Grants-in-aid General for National Project on Management of Soil Health & Fertility (₹ 0.50 crore). (iii) Grants-in-aid General for Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics (₹ 32 crore). (iv) Subsidies for Interest Subvention to NABARD-Micro Irrigation Fund under the scheme of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (₹ 20 crore). (v) Grants-in-aid General for Tribal Area Sub Plan (TASP) Component under Mission for Integrated Development of Horticulture (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants-in-aid General for General Component under National Project on Management of Soil Health & Fertility (₹ 10.58 crore). (ii) Grants-in-aid General for TASP Component under Organic Value Chain Development for North Eastern Region (₹ 20.16 crore). (iii) Grants-in-aid General for TASP Component under National Mission for Sustainable Agriculture (₹ 3.48 crore). (iv) Grants-in-aid General for General Component under National Food Security Mission-Other Crops (₹ 61.77 crore). (v) Grants-in-aid General for TASP Component under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (₹ 73.54 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Grants-in-aid General for Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) (₹ 1.24 crore) and for TASP Component (₹ 0.80) crore under Sub Mission on Seeds and Planting Material.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8362.58	8362.58
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	8362.58	8362.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8362.61	8362.61
राजस्व	Revenue	...	8362.61	8362.61
पूंजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रमंडल कृषि ब्यूरो (सीएबी) को अंशदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.35 करोड़) (ii) अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्शी समूह (सीजीआईएआर) को अंशदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.05 करोड़) (iii) एशिया-प्रशांत में जलकृषि केन्द्रों के नेटवर्क (एनएसीए) को अंशदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.02 करोड़) (iv) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड को सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 0.50 करोड़) (v) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड को वेतन सहायता अनुदान जारी करना (₹ 3.34 करोड़) (vi) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को वेतन सहायता अनुदान जारी करना (₹ 10.10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को वेतन सहायता अनुदान जारी करना (₹ 23.23 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) meeting additional expenditure for contribution to Commonwealth Agricultural Bureaux International (CABI) ₹ 0.35 crore). (ii) meeting additional expenditure for contribution to Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) (₹ 0.05 crore). (iii) meeting additional expenditure for contribution to Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific (NACA) (₹ 0.02 crore). (iv) Grants-in-aid General (₹ 0.50 crore), Grants-in-aid Salaries (₹ 3.34 crore) to Central Agricultural University, Bundelkhand. (v) Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural University, Bihar (₹ 10.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural University, Imphal (₹ 23.23 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

**परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	15796.10	15797.10
पूंजी	Capital	10.00	10884.60	10894.60
जोड़	Total	11.00	26680.70	26691.70
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11.00	26680.73	26691.73
राजस्व	Revenue	1.00	15796.11	15797.11
पूंजी	Capital	10.00	10884.62	10894.62

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	...	0.01 (का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01 (खब) 0.01
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	...	0.01 (गक) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सहायता प्राप्त संस्थानों (₹ 127.34 करोड़) और परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान (एडिईएस) (₹ 6 करोड़) को अनुदान सहायता वेतन और (ii) आईजीकार को सहायता अनुदान सामान्य के लिए ₹ 0.02 करोड़ के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु, अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं (रिएक्टर से दूर) (₹ 5.29 करोड़) के लिए प्रमुख कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (i) अन्वेषण एवं खनन (एएमडीईआर) में अनुसंधान एवं विकास (₹ 0.63 करोड़), (ii) नाभिकीय ईंधन परियोजनाएं (एनएफसी) (₹ 16.17 करोड़) और (iii) पश्चात ईंधन चक्र भाग परियोजनाएं (एनआरबी) (₹ 27.80 करोड़) के लिए मशीनरी एवं उपकरण हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। मूलभूत विज्ञान एवं अभियांत्रिकी (बीएआरसी) (₹ 21.08 करोड़) और पश्चात ईंधन चक्र भाग परियोजनाएं (एनआरबी) (₹ 1.24 करोड़) के लिए प्रमुख कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है इसलिए एक टोकन अनुपूरक की मांग की जाती है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards (i) Grant in aid Salary to Aided Institutes (₹ 127.34 crore) and Atomic Energy Education Society (AEES) (₹ 6 crore) and (ii) Grant in aid General to IGCAR (₹ 0.02 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure towards Major Works for Nuclear Power Projects (Away from Reactor) (₹ 5.29 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure towards 1. Machinery & Equipment for (i) R and D in Exploration and Mining (AMDER) (₹ 0.63 crore) and (ii) Nuclear Fuel Projects (NFC) (₹ 16.17 crore) and (iii) Back End Fuel Cycle Projects (NRB) (₹ 27.80 crore) 2. Major Works for (i) R and D in Basic Science and Engineering (BARC) (₹ 21.08 crore) and (ii) Back End Fuel Cycle Projects (NRB) (₹ 1.24 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2122.08	2122.08
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2122.08	2122.08
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	200.00	200.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	200.00	200.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2322.10	2322.10
राजस्व	Revenue	...	2322.10	2322.10
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	(क) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क) वेतनों के तहत दैनिक खर्चों और अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सीसीआईएम के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़)। (2) सरिता विहार और गोवा दोनों स्थानों में संस्थान के दैनिक खर्चों और संस्थान के निर्माण गतिविधियों को पूरा करने हेतु एआईआईए के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹ 26.85 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजनार्थ-अनुदान (₹ 138.50 करोड़)। (3) सीसीएच के संबंध में चालू वित्त वर्ष आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.71 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.29 करोड़)। (4) दैनिक खर्चों पर इस वर्ष की देयता को पूरा करने हेतु आईपीजीटीआरए के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 10.05 करोड़)। (5) एनआईए जयपुर के संबंध में दैनिक खर्चों पर इस वर्ष की देयता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 11.57 करोड़)। (6) सीसीआरएएस के संबंध में निर्माण गतिविधियों पर देयता को पूरा करने हेतु पूंजी आस्तियों के सृजनार्थ अनुदानों के तहत (₹ 4 करोड़)। (7) एनआईएच, कोलकाता के संबंध में निर्माण गतिविधियों और वेतनों पर देयता को पूरा करने हेतु पूंजी आस्तियों के सृजनार्थ अनुदानों के अधीन (₹ 19.61 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़)। (8) एनआईयूएम के संबंध में निर्माण गतिविधियों, दैनिक खर्चों और वेतनों पर देयता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.50 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (₹ 78.75 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़)। (9) एनआईएस के संबंध में दैनिक खर्चों को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.02 करोड़)। (10) सीसीआरएस के संबंध में वेतनों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़)। (11) सीसीआरवाईएन के संबंध में निर्माण आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.80 करोड़)। (12) एनआईएन, पूणे के संबंध में निर्माण परियोजनाओं पर चालू वर्ष की देयता को पूरा करने हेतु पूंजी आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदानों के तहत (₹ 51.53 करोड़)। (13) सीआईई के संबंध में वर्ष के दौरान अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 12.39 करोड़)। (14) चैम्पियन सर्विस सैक्टर के संबंध में पूंजी आस्तियों (₹ 1 करोड़) के निर्माण हेतु अनुदान। (15) इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ड एप्लिटयूड मेडिसिनल प्लांट्स, जम्मू और कश्मीर के संबंध में पूंजी आस्तियों (₹ 0.77 करोड़) के सृजनार्थ अनुदान।

The supplementary Grants are required for:

(a) (1) Grant in aid General (₹ 1.50 crore) and Grants in aid Salary (₹ 1 crore) in respect of Central Council of Indian Medicine (CCIM), to meet additional requirement under Salaries. (2) Under Grant in aid General (₹ 26.85 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 138.50 crore) in respect of All India Institute of Ayurveda (AIIA), to meet construction activities of the Institute both at Sarita Vihar and Goa. (3) Under Grant in aid General (₹ 0.71 crore) and Grants in aid Salary (₹ 0.29 crore) in respect of Central Council of Homeopathy (CCH). (4) Under Grant in aid General (₹ 10.05 crore) in respect of Institute for Postgraduate Training and Research in Ayurveda (IPGTRA). (5) Under Grant in aid General (₹ 11.57 crore) in respect of National Institute of Ayurveda (NIA), Jaipur. (6) Under Grants for creation of Capital Assets (₹ 4 crore) in respect of Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) to meet the liability on construction activities. (7) Under Grants for creation of Capital Assets (₹ 19.61 crore) and Grant in aid Salaries (₹ 0.30 crore) in respect of National Institute of Homeopathy (NIH), Kolkata. (8) Under Grant in aid General (₹ 4.50 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹ 78.75 crore) and Grant in Aid Salary (₹ 1 crore) in respect of National Institute of Unani Medicine (NIUM). (9) Under Grant in aid General (₹ 7.02 crore) in respect of National Institute of Siddha (NIS), (10) Under Grant in aid Salaries (₹ 0.30 crore) in respect of Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRS), (11) Under Grant in aid General (₹ 7.80 crore) in respect of Central Council for Research in Yoga & Naturopathy (CCRYN), (12) Under Grants for creation of Capital Assets (₹ 51.53 crore) in respect of National Institute of Naturopathy (NIN), Pune, (13) Grant in aid General (₹ 12.39 crore) in respect of Centre of Excellence (COE), (14) Under Grants for creation of Capital Assets (₹ 1 crore) in respect of Champion

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (1) एनएएम के संबंध में, दैनिक व्यय को पूरा करने हेतु और पूंजी खर्चों हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) और पूंजी आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (₹ 5 करोड़)। (2) एनईआईएच के संबंध में वर्ष के दौरान दैनिक खर्चों और निर्माण परियोजनाओं पर देयता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.02 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदानों के तहत (₹ 17.35 करोड़)। (3) सीसीआरयूएम के संबंध में सिलचर (पूर्वोत्तर) में निर्माण परियोजनाओं पर देयता को पूरा करने हेतु पूंजी आस्तियों (₹ 15 करोड़) के सृजनार्थ अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Service Sector (15) Under Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.77 crore) in respect of Institute of High Altitude Medicinal Plants, Jammu & Kashmir.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (1) Under Grant in aid General (₹ 5 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 5 crore) in respect of National AYUSH Mission (NAM). (2) Under Grant in aid General (₹ 1.02 crore) and under Grants for creation of Capital Assets (₹ 17.35 crore) in respect of North Eastern Institute for Ayurveda and Homeopathy (NEIAH) for liability on the construction projects., (3) Under Grants for creation of Capital Assets (₹ 15 crore) in respect of Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM),

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 5

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	218.34	218.34
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	218.34	218.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	73.70	73.70
जोड़	Total	...	73.72	73.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3.64	3.64
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	3.64	3.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	295.70	295.70
राजस्व	Revenue	...	222.00	222.00
पूंजी	Capital	...	73.70	73.70
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	3.64	3.64

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) के लिए (₹ 3.64 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

Central Institute of Plastic Engineering and Technology (CIPET) under Grants in Aid(GIA)-General (₹ 3.64 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 6
उर्वरक विभाग
DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	73974.95	73974.95
पूंजी	Capital	...	0.05	0.05
जोड़	Total	...	73975.00	73975.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	64598.30	64598.30
पूंजी	Capital	...	813.23	813.23
जोड़	Total	...	65411.53	65411.53
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	139386.53	139386.53
राजस्व	Revenue	...	138573.25	138573.25
पूंजी	Capital	...	813.28	813.28
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	15485.88	(क) 15485.88
2852-उद्योग	2852-Industries	...	49112.42	(ख) 49112.42
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	64598.30	64598.30
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6855-उर्वरक उद्योगों के लिए ऋण	6855-Loans for Fertilizer Industries	...	813.23	(ग) 813.23
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	65411.53	65411.53

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) आत्मनिर्भर अभियान 3.0 के अंतर्गत भुगतान के लिए किए गए व्यय (i) स्वदेशी पीएण्ड के सब्सिडी (₹ 9722.53 करोड़) (ii) आयातित पीएण्ड के सब्सिडी (₹ 5719.37 करोड़) और (iii) शहरी कम्पोस्ट (₹ 43.98 करोड़)

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल है।

(ख) आत्मनिर्भर अभियान 3.0 के अंतर्गत भुगतान के लिए किए गए व्यय (i) स्वदेशी यूरिया (₹ 36112.80 करोड़) और (ii) यूरिया सब्सिडी का आयात (₹ 12999.62 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

(ग) हिन्दुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) को व्याज रहित ऋण प्रदान करना। यह 3 यूरिया प्लांट को सिन्दरी, बसैनी और गोरखपुर में स्थित है जो पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है जो कि आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडल समिति (सीसीइए) से अनुमोदित है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure under AtamNirbhar Bharat Abhiyan 3.0 towards payment for (i) Indigenous P&K Subsidy (₹ 9722.53 crore), (ii) Imported P&K Subsidy (₹ 5719.37 crore) and (iii) City Compost (₹ 43.98 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(b) meeting expenditure under AtamNirbhar Bharat Abhiyan 3.0 towards payment for (i) Indigenous Urea (₹ 36112.80 crore) and (ii) Import of Urea Subsidies (₹ 12999.62 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(c) grant of interest free loan to Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL). This is required for revival of 3 urea plants located at Sindri, Barauni and Gorkhpur as per approval of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) (₹ 813.23 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>(₹ करोड़) (In ₹ crores)</i> <i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	326.40	326.40
पूंजी	Capital	...	7.18	7.18
जोड़	Total	...	333.58	333.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	136.82	136.82
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	136.82	136.82
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	470.41	470.41
राजस्व	Revenue	...	463.23	463.23
पूंजी	Capital	...	7.18	7.18

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	45.81	(क)	45.81
2852-उद्योग	2852-Industries	...	91.01	(ख)	91.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	136.82		136.82

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान (₹ 45.00 करोड़) और जनऔषधि स्कीम (₹ 0.81 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) (i) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान (₹ 76.82 करोड़) (ii) जनऔषधि (₹ 14.19 करोड़) और (iii) सान्ना सुविधा केन्द्र के लिए थोक औषधि उद्योग को सहायता (₹ 13.55 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 91.01 करोड़ का नकद अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) National Institute of Pharmaceutical Education and Research(NIPERs) (₹ 45.00 crore) and Jan Aushadhi Scheme (₹ 0.81 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

(b) National Institute of Pharmaceutical Education and Research(NIPERs) (₹ 76.82 crore), (ii) Jan Aushadhi (₹ 14.19 crore) and (iii) Assistance to Bulk Drug Industry for Common Facilitation Center(₹ 13.55 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, cash supplementary for ₹ 91.01 crore is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 8
नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF CIVIL AVIATION**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)
(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3771.74	3771.74
पूंजी	Capital	...	25.97	25.97
जोड़	Total	...	3797.71	3797.71
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	19.35	19.35
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	19.35	19.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	286.56	286.56
पूंजी	Capital	...	28.00	28.00
जोड़	Total	...	314.56	314.56
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4131.62	4131.62
राजस्व	Revenue	...	4077.65	4077.65
पूंजी	Capital	...	53.97	53.97

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	286.56	(क) a	286.56
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	14.00	(ख) b	14.00
5053-नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	...	14.00	(ग) c	14.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	28.00		28.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	314.56		314.56

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एसपीवी) के अंतर्गत सामान्य - अनुदान सहायता जारी करने हेतु (₹ 10.50 करोड़ रूपए), इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के अंतर्गत (₹ 19.68 करोड़), विमान पतन मितव्यता नियामक प्राधिकरण के अधीन वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़), क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना अधीन पूंजीगत आस्तियों के (₹ 234.83 करोड़)। सुजन हेतु अनुदान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के अधीन (₹ 29.99 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें 286.56 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो योजना के अंतर्गत संयुक्त8 कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु (14.00 करोड़ रूपए)
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय शामिल है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय के अंतर्गत चालू ई-जीसीए परियोजना हेतु (₹ 10.00 करोड़) तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अंतर्गत संयुक्त कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु (4.00 करोड़ रूपए)।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grant -in -Aid -General under Air India Assets Holding Ltd. (SPV)(₹ 10.50 crore) and under Indira Gandhi Rastriya Uran Academy (₹ 19.68 crore), Grants-in-Aid Salary under Airport Economy Regulatory Authority (₹ 1.00 crore), Grants for Creation of Capital Assets, under Regional Connectivity Scheme (₹ 234.83 crore) and under Airport Authority of India for NE Region(₹ 29.99 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 286.56 crore.

(b) construction of combined office complex under Aircraft Accident Investigation Bureau Scheme (₹ 14.00 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(c) ongoing e-GCA project under Director General Civil Aviation (₹ 10.00 crore) and for construction of combined office complex under Bureau of Civil Aviation Security (₹ 4.00 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 9

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	882.61	882.61
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	882.61	882.61
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	882.63	882.63
राजस्व	Revenue	...	882.63	882.63
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) अनुसूचित जाति उप-योजना में योजना के कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा, कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा और अवसंरचना विकास के अंतर्गत सब्सिडी उपलब्ध कराना (₹ 1.28 करोड़)।
- (ii) जनजाति क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत कोयला खदानों में परिवहन अवसंरचना विकास के लिए और कोयला खानों में अवसंरचना विकास के लिए सब्सिडी प्रदान करना (₹ 10.93 करोड़)।
- (iii) वैधानिक निकायों संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत नामित प्राधिकरण की व्यावसायिक सेवाओं के लिए सब्सिडी प्रदान करना (₹ 11 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) providing subsidy under Schedule Caste Sub-Plan for conservation and safety in coal mines of scheme Conservation safely and Infrastructure Development in Coal Mines (₹ 1.28 crore);
- (ii) providing subsidy under Tribal Area Sub-Plan for development of transportation infrastructure in coalfield areas under the scheme - Conservation safely and Infrastructure Development in Coal Mines (₹ 10.93 crore);
- (iii) meeting expenditure for Professional Services of Nominated Authority under Statutory Bodies, Attached and sub-ordinate Offices (₹ 11.00 crore);

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 10
वाणिज्य विभाग
DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	5531.82	5532.32
पूंजी	Capital	...	687.00	687.00
जोड़	Total	0.50	6218.82	6219.32
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	6218.83	6219.33
राजस्व	Revenue	0.50	5531.83	5532.33
पूंजी	Capital	...	687.00	687.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(I) 'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों (₹ 25 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(I) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 25.00 crore) under the Scheme 'Tea Board'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 11
औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5136.55	5136.55
पूंजी	Capital	...	1469.00	1469.00
जोड़	Total	...	6605.55	6605.55
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1649.12	1649.12
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1649.12	1649.12
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8254.68	8254.68
राजस्व	Revenue	...	6785.68	6785.68
पूंजी	Capital	...	1469.00	1469.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	200.00	(क) a	200.00
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(ख) b	0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	1449.11	(ग) c	1449.11
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1649.12		1649.12

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों पर केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी को वापिस करना' स्कीम के अंतर्गत सस्मिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 200 करोड़) और (ii) 'परिवहन सस्मिडी स्कीम/भाड़ा सस्मिडी स्कीम' स्कीम के अंतर्गत सस्मिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 85 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 200 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) 'स्वायत्त संस्थानों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 4 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) (i) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों पर केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी को वापिस करना' स्कीम के अंतर्गत सस्मिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 800 करोड़) और (ii) 'राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास' (एनआईसीडीआईटी) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1400 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 671.60 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग कर लेने के पश्चात, इसमें ₹ 777.51 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 200.00 crore) under the scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan States' and (ii) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 85.00 crore) under the scheme 'Transport Subsidies Scheme/Freight Subsidies Scheme'.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 200.00 crore.

(b) Meeting expenditure towards Grants-in-aid Salaries (₹ 4.00 crore) under the scheme 'Support to Autonomous Institutions'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) (i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 800.00 crore) under the scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan States' and (ii) Meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1400.00 crore) under the scheme 'National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT)'.

Taking into account the surrender of savings ₹ 671.60 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 777.51 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 13

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	48756.63	48756.63
पूंजी	Capital	...	30675.06	30675.06
जोड़	Total	...	79431.69	79431.69
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	79431.71	79431.71
राजस्व	Revenue	...	48756.64	48756.64
पूंजी	Capital	...	30675.07	30675.07

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3275-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परियोजना	5275-Capital Outlay on Other Communication Services	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का विकल्प चुनने वाले बीएसएनएल/एमटीएनएल के कर्मचारियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए ₹ 1316.35 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	meeting additional expenditure of ₹ 1,316.35 crore for payment of ex-gratia to the employees of BSNL/MTNL opting for voluntary retirement scheme. Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought
(ख)	(i) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए कार्यालय जगह की खरीद हेतु ₹ 113 करोड़ का व्यय (ii) 5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड हेतु ₹ 10.90 करोड़ के अतिरिक्त व्यय और (iii) राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान की भौतिक अवसंरचना के सृजन के लिए ₹ 4.99 के व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	meeting (i) expenditure of ₹ 113 crore towards purchase of office accommodation for Telecom Regulatory Authority of India (ii) additional expenditure of ₹ 10.90 crore towards 5G connectivity Test Bed and (iii) ₹ 4.99 crore for creating physical infrastructure of National Institute of Communication Finance. Taking into the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 14

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2505.60	2505.60
पूंजी	Capital	...	55.40	55.40
जोड़	Total	...	2561.00	2561.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6000.00	6000.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	6000.00	6000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3759.12	3759.12
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	3759.12	3759.12
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	12320.12	12320.12
राजस्व	Revenue	...	12264.72	12264.72
पूंजी	Capital	...	55.40	55.40

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	977.35 (क)	977.35
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies	...	2781.77 (ख)	2781.77
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	3759.12	3759.12

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 'मूल्य स्थिरीकरण निधि' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए (₹ 980 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 977.35 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) (ii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई- I और II) तथा आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) स्कीमों दलों के निःशुल्क वितरण के लिए 'मूल्य स्थिरीकरण निधि' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए और बफर स्टॉक के सृजन हेतु (₹ 2820 करोड़)।
अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए (₹ 21.21 करोड़) और इस अनुदान के इसी भाग के भीतर उपलब्ध बचतों का उपयोग करते हुए इसमें ₹ 2760.56 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General under 'Price Stabilization Fund' for North Eastern Region (₹ 980 crore).
Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 977.35 crore.
- (b) (ii) Grants-in-aid General under 'Price Stabilization Fund' for free distribution of Pulses under Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY-I & II), Atmanirbhar Bharat Schemes (ANB) and for creation of buffer stock (₹ 2820 crore).
Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant (₹ 21.21 crore) and utilising the savings available within the same section of the grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 2760.56 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	121038.41	121038.41
पूंजी	Capital	...	51197.02	51197.02
जोड़	Total	...	172235.43	172235.43
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	10000.00	10000.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	10000.00	10000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	304557.83	304557.83
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	304557.83	304557.83
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	486793.26	486793.26
राजस्व	Revenue	...	435596.24	435596.24
पूंजी	Capital	...	51197.02	51197.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	304557.83

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्य सस्मिडी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत खाद्यानों के अतिरिक्त आवंटन और आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) पैकेज और भारतीय खाद्य निगम को एनएसएसएफ ऋणों की पुनर्भुगतान के लिए (₹ 250208.76 करोड़)। (ख) अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के कल्याण के लिए (₹ 10464.39 करोड़) और (ग) अनुसूचित जनजाति उप-योजना (टीएसपी) के कल्याण के लिए (₹ 5421.31 करोड़) (कुल ₹ 266094.46 करोड़)। (ii) एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यानों के विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सस्मिडी (₹ 31000.63 करोड़)। (iii) एनएफएसए के अंतर्गत अंतर्राज्य आवाजाही खाद्यान राज्यक एजेंसी और एफपीएस डिलर मार्जिन को सहायता (₹ 2500 करोड़)। (iv) वर्ष 2017-18 के लिए चीनी मिलों को सहायता (₹ 10 करोड़)। (v) वर्ष 2018-19 सब के लिए चीनी मिलों को सहायता (₹ 700 करोड़)। (vi) वर्ष 2019-20 के लिए चीनी मिलों को सहायता (₹ 3400 करोड़)। (vii) चीनी की बफर स्टॉक सृजन और अनुरक्षण (₹ 100 करोड़)। (viii) 40 एलएमटी चीनी की बफर स्टॉक सृजन और अनुरक्षण (₹ 300 करोड़)। (ix) आन्तरिक परिवहन, माल भाड़ा, संचालन और निर्यात पर अन्य शुल्कों के लिए व्यय को चुकाने हेतु चीनी मिलों को सस्मिडी (₹ 101 करोड़)। (x) चीनी मिलों के सुलभ ऋणों को विस्तार करना (₹ 298 करोड़)। (xi) एथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता का विस्तार करना (₹ 100 करोड़)। (xii) अन्य अनुमेय दावों के भुगतान और चीनी के निर्यात शिपमेंट पर चीनी मिलों को आंतरिक परिवहन और मालभाड़ा शुल्कों की अदायगी के अंतर्गत सस्मिडी (₹ 0.37 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत ₹ 46.63 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यय में ₹ 304557.83 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

(i) food subsidy to Food Corporation of India (FCI) under National Food Security Act (NFSA), 2013 and for additional allocation of foodgrains under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) and Aatm Nirbhar Bharat (ANB) Package and for repayment of NSSF Loan to FCI (₹ 250208.76 crore) (b) for welfare of Schedule Caste Sub Plan (SCSP) (₹ 10464.39 crore) and (c) for welfare of Tribal Area Sub Plan (TASP) (₹ 5421.31 crore) (Total ₹ 266094.46 crore). (ii) food subsidy for Decentralized Procurement of Foodgrains under NFSA (₹ 31000.63 crore). (iii) assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA (₹ 2500 crore). (iv) assistance to Sugar Mills for 2017-18 season (₹ 10 crore). (v) assistance to Sugar Mills for 2018-19 season (₹ 700 crore). (vi) assistance to Sugar Mills for 2019-20 season (₹ 3400 crore). (vii) creation and maintenance of buffer stock of sugar (₹ 100 crore). (viii) creation and maintenance of buffer stock of 40 LMT sugar (₹ 300 crore). (ix) subsidy to sugar mills for defraying expenditure towards internal transport, freight, handling and other charges on export (₹ 101 crore). (x) extending soft loans to sugar mills (₹ 298 crore). (xi) extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity (₹ 100 crore). (xiii) Subsidy under Reimbursement of Internal Transport and Freight Charges to sugar factories on export shipment of sugar and payment of other permissible claims (₹ 0.37 crore).

Taking into account savings available in the same section of the grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 304557.83 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 17

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3057.57	3057.57
पूंजी	Capital	...	92.29	92.29
जोड़	Total	...	3149.86	3149.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3149.87	3149.87
राजस्व	Revenue	...	3057.58	3057.58
पूंजी	Capital	...	92.29	92.29
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान: संग्रहालयों को सहायता (₹ 12.33 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान - अकादमियों को सहायता (₹ 21.69 करोड़), बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक (₹ 32.78 करोड़)। निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान: अकादमियों को सहायता (₹ 14.22 करोड़), संग्रहालयों को सहायता (₹ 7.45 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Grant-in-aid General for Support to Museums - ₹ 12.33 crore, Grants for Creation of Capital Assets - Support to Akademies - ₹ 21.69 crore, Buddhist Tibetan Institutions and Memorials - ₹ 32.78 crore, Grant-in-aid Salaries is required for Support to Akademies - ₹ 14.22 crore, Support to Museums - ₹ 7.45 crore. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

रक्षा मंत्रालय (नागरिक)

MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18-19 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)
(See page 18-19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.66	29991.34	29992.00
पूंजी	Capital	40.00	7206.00	7246.00
जोड़	Total	40.66	37197.34	37238.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	400.00	400.00
पूंजी	Capital	...	800.00	800.00
जोड़	Total	...	1200.00	1200.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.18	0.01	0.19
पूंजी	Capital	...	799.00	799.00
जोड़	Total	0.18	799.01	799.19
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	40.84	39196.35	39237.19
राजस्व	Revenue	0.84	30391.35	30392.19
पूंजी	Capital	40.00	8805.00	8845.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	0.18	(का) 0.01	(खब) 0.19
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	799.00	(गक) 799.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.18	799.01	799.19

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)800.00	(-)800.00

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	वेतन (भारित) (₹ 0.01 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 0.17 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	meeting expenditure on salaries (Charged) (₹ 0.01 crore) and on information Technology (₹ 0.17 crore). Considering savings available in the voted section of the grant, a technical supplementary is sought. This will not entail cash outgo.
(ख)	रक्षा विभाग के खेलकूद और मनोरंजन क्लब को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़), महानिदेशक-गुणवत्ता आश्वासन की रक्षा परीक्षण अवसंरचना स्कीम को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.77 करोड़), रक्षा संपदा संगठन के छावनी बोर्डों (₹ 50 करोड़) और सीमा सड़क संगठन की राशन की लागत के लिए अतिरिक्त प्रावधान (₹ 87.81 करोड़), पीओएल (₹ 12.50 करोड़) और कपड़े एवं टेंट (₹ 27 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	providing Grants-in-aid - General to Sports and Recreation Club (₹ 5 crore) of Department of Defence, Grants for creation of capital assets to Defence Testing Infrastructure scheme (₹ 0.77 crore) of Director General - Quality Assurance, Grants-in-aid-General to Cantonment Boards (₹ 50 crore) of Defence Estates Organisation and additional provision for Cost of Ration (₹ 87.81 crore), POL (₹ 12.50 crore) and Clothing and Tentage (₹ 27 crore) of Border Roads Organisation. Taking into savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
(ग)	सीमा सड़क निर्माण कार्यों के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को ₹ 800 करोड़ का अतिरिक्त अंतरण। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 799 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि अनुरूपी अतिरिक्त वसूलियों से इसकी पूर्ति हो जाएगी।	(c)	additional transfer of ₹ 800 crore to Central Road and Infrastructure fund for financing the border road works. Taking into account the savings available in the same section of the grant, supplementary for the balance amount of ₹ 799 crore is sought. The above expenditure will not entail cash outgo as the same will be matched by additional recoveries.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total (₹ करोड़) (In ₹ crores)
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	101.02	229898.67	229999.69
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	101.02	229898.67	229999.69
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.05	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	101.02	229898.72	229999.74
राजस्व	Revenue	101.02	229898.72	229999.74
पूंजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	...	0.01 (का)	0.01
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	...	0.01 (ख)	0.01
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force	...	0.01 (ग)	0.01
2079-रक्षा सेवाएं-आयुध कारखाने	2079-Defence Services - Ordnance Factories	...	0.01 (घ)	0.01
2080-रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	2080-Defence Services - Research and Development	...	0.01 (ङ)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.05	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)	आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना पूरा करने के लिए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) और अन्य व्यय के लिए (₹ 657.75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	The supplementary Grants are required for: meeting additional expenditure of ₹ 5,009.70 crore under Army on 'Ex-Servicemen Contributory Health Scheme' (₹ 1,150 crore), 'Stores' (₹ 3,201.95 crore) and 'Other Expenditure' (₹ 657.75 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought;
(ख)	नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 करोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरुस्त" पर (₹ 832.41 करोड़), भंडारण (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय को विनियमित करने जीएफआर के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पढ़ें। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	meeting additional expenditure of ₹ 2,875.43 crore under Navy on 'Repairs and Refits' (₹ 832.41 crore), 'Stores' (₹ 1,695.48 crore), 'Works' (₹ 60.25 crore) and 'Other Expenditure' (₹ 287.29 crore) and for regularising the expenditure of ₹ 75 crore for 'Joint Staff sanctioned under Rules 61 and 69 of GFRs read with Appendix 10. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought;
(ग)	वायु सेना के अंतर्गत ₹ 3199.79 करोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय जो कि भंडारण के लिए (₹ 2700.26 करोड़), कार्यों (₹ 9.82 करोड़), विशेष परियोजना (₹ 247.31 करोड़) और अन्य व्यय के लिए (₹ 242.40 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	meeting additional expenditure of ₹ 3,199.79 crore under Air Force i.e. for 'Stores' (₹ 2,700.26 crore), 'Works' (₹ 9.82 crore), 'Special Project' (₹ 247.31 crore) and 'Other Expenditure' (₹ 242.40 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought;
(घ)	विजयन्ता वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, एचवीएफ प्रबंधन समिति, अवदी, चेन्नई को ₹ 0.21 करोड़ का अतिरिक्त सहायता अनुदान वेंतन प्रदान कराना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	providing additional 'Grants-in-aid Salaries' of ₹ 0.21 crore to Vijayanta Senior Secondary School, HVF Managing Committee, Avadi, Chennai. As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought; and
(ङ)	अनुसंधान और विकास के अंतर्गत ₹ 464.96 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भंडारण (₹ 430.96 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 34 करोड़) को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	meeting additional expenditure of ₹ 464.96 crore under Research and Development for 'Stores' (₹ 430.96 crore) and 'Other Expenditure' (₹ 34 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	...	...	...	
पूंजी	107.50	113626.50	113734.00	
जोड़	107.50	113626.50	113734.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	...	...	...	
पूंजी	...	150.00	150.00	
जोड़	...	150.00	150.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	...	...	...	
पूंजी	159.50	20466.50	20626.00	
जोड़	159.50	20466.50	20626.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	267.00	134243.00	134510.00	
राजस्व	...	...	...	
पूंजी	267.00	134243.00	134510.00	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	159.50 (क)	20466.50 (ख)	20626.00	

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'भूमि' (₹ 4.51 करोड़) और 'नौसेना बेड़ा' (₹ 161.50 करोड़) के लिए ₹ 166.01 करोड़ की न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 159.50 करोड़ का सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure arising out of court decree of ₹ 166.01 crore for Navy under 'Land' (₹ 4.51 crore) and 'Naval Fleet' (₹ 161.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount of ₹ 159.50 crore is sought. This will entail cash outgo.

(ख) (i) सेना के लिए 'निर्माण कार्य' (₹ 676.03 करोड़), 'अन्य उपकरण' (₹ 441.04 करोड़), 'चल स्टॉक' (₹ 50 करोड़), 'भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम' (₹ 3.47 करोड़) पर ₹ 1170.54 करोड़ (ii) नौसेना के लिए 'वायुयान' (₹ 4,047.39 करोड़), 'अन्य उपकरण' (₹ 2,950 करोड़) और 'नौसेना बेड़ा' (₹ 4,486.70 करोड़) पर ₹ 11,484.09 करोड़ (iii) वायुसेना के लिए 'वायुयान' (₹ 2,515.14 करोड़), 'अन्य उपकरण' (₹ 9,211.68 करोड़) पर ₹ 11,726.82 करोड़; और (iv) 'निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत नमूना विकसित करने हेतु सहायता' पर प्रौद्योगिकी विकास के लिए ₹ 28.50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, शेष ₹ 20,466.50 करोड़ की राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय होगा।

(b) meeting additional expenditure of (i) ₹ 1,170.54 crore on 'Construction Works' (₹ 676.03 crore), 'Other Equipment' (₹ 441.04 crore), 'Rolling Stock' (₹ 50 crore), 'Ex-Serviceman Contributory Health Scheme' (₹ 3.47 crore) for Army; (ii) ₹ 11,484.09 crore on 'Aircraft' (₹ 4,047.39 crore), 'Other Equipment' (₹ 2,950 crore) and 'Naval Fleet' (₹ 4,486.70 crore) for Navy; (iii) ₹ 11,726.82 crore on 'Aircraft' (₹ 2,515.14 crore) and 'Other Equipment' (₹ 9,211.68 crore) for Air Force; and (iv) ₹ 28.50 crore for Technology Development on 'Assistance for Prototype Development under Make Procedure'. Taking into account savings available in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount of ₹ 20,466.50 crore is sought. This will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	5.90	133819.10	133825.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	5.90	133819.10	133825.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	1.41	...	1.41
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	1.41	...	1.41
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	7.31	133819.10	133826.41
राजस्व	Revenue	7.31	133819.10	133826.41
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	1.41	...	1.41

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

न्यायालय आदेशों के कारण ₹ 1.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।
अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 1.41 crore on account of court orders. Taking into account the savings available in voted section of the Grant, this will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1902.44	1902.44
पूंजी	Capital	...	172.00	172.00
जोड़	Total	...	2074.44	2074.44
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2074.46	2074.46
राजस्व	Revenue	...	1902.46	1902.46
पूंजी	Capital	...	172.00	172.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403-Oceanographic Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

‘राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केन्द्र’ (एनसीपीओआर) हेतु वेतन सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.71 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

providing additional expenditure to Grants-in-aid Salaries towards 'National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR)' (₹ 0.71 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 24
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6524.03	6524.03
पूंजी	Capital	...	375.00	375.00
जोड़	Total	...	6899.03	6899.03
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	92.99	92.99
जोड़	Total	...	92.99	92.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6992.05	6992.05
राजस्व	Revenue	...	6524.06	6524.06
पूंजी	Capital	...	467.99	467.99

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(क) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान (एनआईसी) के लिए व्यावसायिक सेवाओं (₹ 24.50 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.05 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (₹ 8 करोड़) और नेशनल नॉलेज नेटवर्क प्रोग्राम (₹ 128 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) भास्कराचार्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना (बीआईएसएजीएन) (₹ 5 करोड़) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएस और विनिर्माण क्लस्टर (₹ 20.53 करोड़), अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (₹ 4 करोड़), अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के तहत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (₹ 78 करोड़) और जनजाति क्षेत्र उप-योजना के तहत ₹ 89 करोड़, अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के तहत प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (₹ 15 करोड़) (ii) भास्कराचार्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और भू-सूचना (बीआईएसएजीएन) (₹ 15 करोड़) संस्थान हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान और डिजिटल भुगतानों के संवर्धन हेतु अन्य प्रभारों (₹ 100 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards Professional Services (₹ 24.50 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.05 crore) for National Informatics Centre (NIC).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting expenditure towards Grants-in-aid General for Electronic Governance (₹ 8 crore) and National Knowledge Network Programme (₹ 128 crore) for development of North Eastern Region.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) meeting an expenditure towards (i) Grants-in-aid General for Bhaskaracharya National Institute of Space Applications and Geo-Information [BISAG(N)] (₹ 5 crore), Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Manufacturing Clusters)" (₹ 20.53 crore), Electronic Governance (₹ 4 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes, National Knowledge Network (₹ 78 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 89 crore under Tribal Area Sub-Plan, Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (₹ 15 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes (ii) Grants for Creation of Capital Assets for Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-Information [BISAG (N)] (₹ 15 crore) and (iii) Other Charges for Promotion of Digital Payments (₹ 100 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3052.23	3052.23
पूंजी	Capital	...	157.55	157.55
जोड़	Total	...	3209.78	3209.78
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3209.81	3209.81
राजस्व	Revenue	...	3052.26	3052.26
पूंजी	Capital	...	157.55	157.55
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	0.01	0.01
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	(-)100.00	(-)100.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 100 करोड़) और (ii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई) के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.25 करोड़) के अंतर्गत प्रावधान में वृद्धि करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि में उपलब्ध राशि से पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

augmenting provisions under (i) Grants-in-aid General (₹ 100 crore) for National Authority and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹ 0.25 crore) for Indian Plywood Industries Research and Training Institute (IPIRTI).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant and proposed expenditure will be met from funds available in National Compensatory Afforestation Funds, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 26

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.03	16014.40	16014.43
पूंजी	Capital	...	1332.28	1332.28
जोड़	Total	0.03	17346.68	17346.71
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	96.01	96.01
पूंजी	Capital	...	45.00	45.00
जोड़	Total	...	141.01	141.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	17487.71	17487.74
राजस्व	Revenue	0.03	16110.42	16110.45
पूंजी	Capital	...	1377.29	1377.29

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs	...	0.01	(क)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(ख)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली सोसाइटी वेतन-सहायता अनुदान (₹ 0.96 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) सीडब्ल्यूजी फ्लैटों की खरीद के लिए भुगतान (₹ 200 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards Grants-in-aid salaries for Society for Research and Information System for Non Aligned and Other Developing Countries (₹ 0.96 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) payment towards purchase of CWG flats (₹ 200 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3338.25	3338.25
पूंजी	Capital	...	48320.71	48320.71
जोड़	Total	...	51658.96	51658.96
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	69.90	69.90
पूंजी	Capital	...	6122.35	6122.35
जोड़	Total	...	6192.25	6192.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2979.48	2979.48
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	2979.51	2979.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	60830.72	60830.72
राजस्व	Revenue	...	6387.63	6387.63
पूंजी	Capital	...	54443.09	54443.09

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	...	1000.00	(क) a	1000.00
3466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Institutions	...	503.43	(ख) b	503.43
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01	(ग) c	0.01
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	1476.04	(घ) d	1476.04
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	2979.48		2979.48
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और टंकाल पर पूंजी परिव्यय	4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint	...	0.01	(ङ) e	0.01
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	0.01	(च) f	0.01
5466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	...	0.01	(छ) g	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.03		0.03
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	2979.51		2979.51

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i)	आंशिक ऋण गारंटी स्कीम (पीसीजीएस) और विशेष नकदी स्कीम (एसएलएस) के लिए अधिक प्रावधान करने के कारण गारंटी मोचन निधि को अंतरण (₹ 1000 करोड़) अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	(i)	transfer to Guarantee Redemption Fund (₹ 1000.00 crore) due to higher provisioning for Partial Credit Guarantee Scheme(PCGS) and Special Liquidity Scheme (SLS) . Taking into the account savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo.
	(ii)	सरकारी खातों में दावा न किए गए प्रतिभूति ऋण से संबंधित भुगतान (₹ 0.01 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।		(ii)	Payments in connection with unclaimed Securities credited to Govt. Accounts(₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. This will not entail cash outgo
(ख)	(i)	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) को अंशदान (₹ 499.99 करोड़), इसी तरह की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सांकेतिक अनुदान मांगा जाता है। उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा। (ii) एशियाई विकास बैंक-12 को अंशदान (₹ 3.60 करोड़)।	(b)	(i)	Contribution to International Development Association (IDA) (₹ 499.99 crore), Taking into account the matching receipts, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any cash outgo; (ii) Contribution to Asian Development Fund-12 (₹ 3.60 crore),
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।			Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will not entail cash outgo.
(ग)	(ग)	स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम, 2015 पर व्याज (₹ 19.99 करोड़)। एड्स, टीबी और	(c)		Commission on Gold Monetization Scheme 2015 (₹19.99 crore),

मलेरिया (जीएफएटीएम) के लिए वैश्विक निधि हेतु अंशदान (₹ 1.26 करोड़), टीकाकरण और रोग प्रतिरोधक क्षमता (जीएवीआई) के लिए वैश्विक गठबंधन हेतु अंशदान (₹ 1.00 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.12 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 8.06 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(घ) (ii) (घ) (ii) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अंशदान (₹ 2.99 करोड़), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के आभासी प्रतिनिधियों की व्यय (₹ 0.15 करोड़), जीआईजेड (₹ 22.00 करोड़), और नए विकास बैंक के भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय (एनडीबी) (₹ 0.53 करोड़), को सेवा कर जो सेवा की गई लिखत है।

(ii) (iii) एक्जिम बैंक के लिए आईईएस (₹ 1405.06 करोड़), एक्जिम बैंक को पुरानी व्याज अतिदेय के लिए भुगतान (₹ 213.02 करोड़) और भारतीय कंपनियों के लिए आईईएस (₹ 187.74 करोड़)
अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के भीतर बचत का उपयोग करने पश्चात उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ङ) (ङ) एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद (₹ 18.14 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(च) (च) (i) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि में निवेश (₹ 4250.00 करोड़) और (ii) एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तपोषण मंच में पूंजी नियोजन (₹ 1000.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(छ) (छ) सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई) (आईबीआरडी में निवेश) के लिए भुगतान (₹ 11.93 करोड़), चयनित पूंजी वृद्धि (एससीआई) (आईबीआरडी में निवेश) के लिए भुगतान (₹ 4.08 करोड़), अफ्रीकी विकास बैंक में सदस्यता (₹ 0.02 करोड़), सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई) हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के लिए भुगतान (₹ 347.36 करोड़) जो सेवा की गई लिखत है, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) न्यू विकास बैंक (एनडीबी) के लिए सदस्यता (₹ 70.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Contributions to the Global Fund for AIDS, TB and Malaria (GFATM) (₹ 1.26 crore), Contributions to Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI) (₹ 1.00 crore), Grants - in-aid-General (₹ 2.12 crore) and Grants - in- Aid "Salaries" (₹ 8.06 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. This will not entail cash outgo.

Contributions to United Nations Development Programme (₹ 2.99 crore), Expenses of Resident Representative of United Nations Development Programme (₹ 0.15 crore), Service Tax to GIZ (₹ 22.00 crore) & Indian Regional Office of New Development Bank (NDB) (₹ 0.53 crore) which is New Instrument of Service. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ii) IES to EXIM Bank (₹ 1405.06 crore), Payment for chronic interest overdues to Exim Bank (₹ 213.02 crore) & IES for Indian Companies (₹ 187.74 crore),

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, and after utilizing the savings within the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo.

(e) Purchase of coins from SPMCIL (₹ 18.14 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will not entail cash outgo.

(i) Investment into National Investment and Infrastructure Fund (₹ 4250.00 crore) & (ii) Capital infusion into NIIF Infrastructure Debt Financing Platform (₹ 1000.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. This will not entail cash outgo.

Payment for General Capital Increase (GCI) (Investment in IBRD) (₹ 11.93 crore), Payment for Selective Capital Increase (SCI) (Investment in IBRD) (₹ 4.08 crore), Subscription to African Development Bank (0.02 crore), Payment to International Finance Corporation towards General Capital Increase (GCI) (₹ 347.36 crore) which is New Instrument of Service, Subscription to Brazil, Russia, India, China And South Africa (BRICS) New Development Bank (NDB) (₹ 70.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 28

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	535.55	535.55
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	535.55	535.55
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	535.56	535.56
राजस्व	Revenue	...	535.56	535.56
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

एनआईएफएम भवन के लिए मुख्य मरम्मत कार्य करना और प्रयोजन शीर्ष "सामान्य सहायता अनुदान" के अंतर्गत स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 5.70 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

carrying out major repairs to NIFM Building and meeting the establishment expenses under Object Head "Grants-in-aid - General" (₹ 5.70 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1474.97	1474.97
पूंजी	Capital	...	27600.05	27600.05
जोड़	Total	...	29075.02	29075.02
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5232.00	5232.00
पूंजी	Capital	...	21000.00	21000.00
जोड़	Total	...	26232.00	26232.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	5473.60	5473.60
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	5473.62	5473.62
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	60780.64	60780.64
राजस्व	Revenue	...	12180.57	12180.57
पूंजी	Capital	...	48600.07	48600.07
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	124.97	(क) 124.97
3465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	3465-General Financial and Trading Institutions	...	5348.63	(ख) 5348.63
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	5473.60	5473.60
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4416-कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	4416-Investments in Agricultural Financial Institutions	...	0.01	(ग) 0.01
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	0.01	(घ) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	5473.62	5473.62
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।			
	Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
4416-कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	4416-Investments in Agricultural Financial Institutions	...	(-)1000.00	(-)1000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) एसएसएफ के लिए ₹ 125 करोड़ की प्रतिभूतियों का मोचन। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि इस व्यय को समकक्ष प्राप्तियों से मिलान किया गया है।

(ख) ऋण मोरेटोरियम के लिए चक्रवृद्धि व्याज सहायता स्कीम हेतु ₹ 5500 करोड़ की अतिरिक्त प्रावधान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए ₹ 5348.63 करोड़ की शेष राशि हेतु सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि पूंजी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचत को इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Redemption of Securities amounting to ₹ 125 crore to SASF. Taking into account the savings available in the same section of the grant, Supplementary to the balance amount is sought. This will not entail cash outgo as this expenditure is matched by equivalent receipts.

(b) Providing of additional provision of ₹ 5500 crore towards compounded interest Support Scheme for loans moratorium. Taking into account the available savings in the same section of the grant, Supplementary for the balance amount of ₹ 5348.63 crore is sought. This will not entail any cash outgo as the available Savings under Capital Section are utilised for the purpose.

(ग)	राष्ट्रीय निवेश निधि के लिए ₹ 1000 करोड़ का अंतरण। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Transferring of ₹ 1000 crore to National Investment Fund. Taking into the savings available in the same section of the grant, a token Supplementary is sought.
(घ)	बीमा कंपनियों को पुनर्पूँजी देने के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 3000 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(d)	Providing additional funds towards recapitalisation of Insurance companies (₹ 3000 crore). Taking into the savings available in the same Section of the grant, a token supplementary is sought. This will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 31
राजस्व विभाग
DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	272159.60	272159.62
पूंजी	Capital	...	91.21	91.21
जोड़	Total	0.02	272250.81	272250.83
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	280.90	280.90
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	280.90	280.90
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	272531.71	272531.73
राजस्व	Revenue	0.02	272440.50	272440.52
पूंजी	Capital	...	91.21	91.21

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services	...	0.01	(का) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	...	...
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	280.89	(खब) 280.89
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	280.90	280.90

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)-4889.43	(-)-4889.43

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	एनआईपीएफपी के द्वारा 7वें आयोग को कार्यान्वित करने के लिए वेतन अनुदान के ₹ 9.55 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	to meet the additional expenditure of ₹ 9.55 crore towards Grant-in-Aid-salaries for implementation of 7th CPC by NIPFP. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	संघ राज्य सरकारों को पिछले वर्षों के अप्रभाजित आईजीएसटी को जारी करना। अतिरिक्त ₹ 4889.43 करोड़ की राशि की वसूली और अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹ 280.89 करोड़ की शेष राशि प्राप्ति है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	releasing the unapportioned IGST of previous years to UT Governments. Taking into account the additional recovery of ₹ 4889.43 crore and savings available in the revenue section of the Grant, Supplementary for the balance amount of ₹ 280.89 crore is sought. This will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 32

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7733.39	7733.39
पूंजी	Capital	...	332.00	332.00
जोड़	Total	...	8065.39	8065.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8065.42	8065.42
राजस्व	Revenue	...	7733.39	7733.39
पूंजी	Capital	...	332.03	332.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पीआरडीआईटी (निवेश) के कार्यालय प्रयोग के लिए अटल नगर विकास प्राधिकरण, रायपुर, (एएनवीपी) में रेडी निर्मित भवन की खरीद और जेसीआईटी (केंद्रीय), रायपुर, (30.26 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांग जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Purchase of ready built building at Atal Nagar Vikas Pradhikaran, Raipur (ANVP) for the office use of the Pr. DIT (Inv.) and the JCIT(Central), Raipur (₹ 30.26 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 33

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	7820.00	7820.50
पूंजी	Capital	...	438.00	438.00
जोड़	Total	0.50	8258.00	8258.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	8258.02	8258.52
राजस्व	Revenue	0.50	7820.00	7820.50
पूंजी	Capital	...	438.02	438.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (क)a	0.01
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (ख)b	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	गुवाहाटी से तैयार कार्यालय स्थान की खरीद के लिए शेष भुगतान करने के लिए (₹ 4.79 करोड़)	(a)	making balance payment towards Purchase of ready built office space in Guwahati (₹ 4.79 crore).	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	चेन्नई के अन्ना नगर में आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए (₹10.00 करोड़)। (ii) बोकारो में आवास निर्माण के लिए विभागीय भूमि के लिए लीज प्रीमियम का नवीकरण (₹ 5.05 करोड़)	(b)	(i) Construction of Residential Quarter at Anna Nagar, Chennai (₹ 10.00 crore). (ii) Renewal of lease premium for departmental land for construction of Residence at Bokaro (₹ 5.05 crore).	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 34
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)
(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	186.46	5178.81	5365.27
पूंजी	Capital	...	18.00	18.00
जोड़	Total	186.46	5196.81	5383.27
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	50.00	50.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	50.00	50.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	186.46	5246.82	5433.28
राजस्व	Revenue	186.46	5228.82	5415.28
पूंजी	Capital	...	18.00	18.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

‘एक आईएएडी, एक प्रणाली’ के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 100 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under Information Technology for One IAAD, One System (₹ 100 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 37

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	474.45	61694.90	62169.35
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	474.45	61694.90	62169.35
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	981.58	981.58
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	981.58	981.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	474.45	62676.48	63150.93
राजस्व	Revenue	474.45	62676.48	63150.93
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	...	981.58	981.58

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (I) पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान और 'निश्चित अंशदान पेंशन स्कीम' के अंतर्गत सरकारी अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

इसमें ₹ 981.58 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (I) meeting additional expenditure towards payment of pensions and other retirement benefits and increase in Government Contribution from 10% to 14% under 'Defined Contributory Pension Scheme'. The above expenditure will entail cash outgo of ₹ 981.58 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 38

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	149924.80	46930.00	196854.80
पूंजी	Capital	25100.00	...	25100.00
जोड़	Total	175024.80	46930.00	221954.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	46602.43	...	46602.43
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	46602.43	...	46602.43
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	7025.00	122208.00	129233.00
जोड़	Total	7025.00	122208.00	129233.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	228652.23	169138.00	397790.23
राजस्व	Revenue	196527.23	46930.00	243457.23
पूंजी	Capital	32125.00	122208.00	154333.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	7025.00 (का)	122208.00 (खब)	129233.00

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ऋणों) (₹ 7025.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, उक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	providing additional allocation under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Loans) (₹ 7025.00 crore) Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख) (i)	जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्यों को एक के बाद एक ऋण के लिए विशेष विंडों के अंतर्गत ऋण जारी करने के माध्यम से राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने के लिए (₹ 110208.00 करोड़)।	(b) (i)	providing loans to State Governments through issue of debt under special window under Back to Back Loan to States in lieu of GST Compensation Shortfall (₹ 110208.00 crore).
(ii)	पूंजी व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता के अंतर्गत राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करना (₹ 12000.00 करोड़)। क्योंकि जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में राज्यों के लिए बैक-टू-बैक ऋण को अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 12000.00 करोड़ की बचत और पूंजी प्राप्ति के समकक्ष से पूरा किया जाएगा। अतः उक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(ii)	providing loans to State Governments under Special Assistance as Loan to States for Capital Expenditure (₹ 12000.00 crore). As the Back to Back Loan to States in lieu of GST Compensation Shortfall are to be met from equivalent capital receipts and savings of ₹ 12000.00 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 39
मत्स्य पालन विभाग
DEPARTMENT OF FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)
(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
(₹ करोड़) (In ₹ crores)				
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	805.84	805.84
पूंजी	Capital	...	19.16	19.16
जोड़	Total	...	825.00	825.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	92.00	92.00
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	92.01	92.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	917.05	917.05
राजस्व	Revenue	...	897.88	897.88
पूंजी	Capital	...	19.17	19.17
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries	...	91.97	(क) 91.97
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(ग) 0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(घ) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	92.00	92.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4405-मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	4405-Capital Outlay on Fisheries	...	0.01	(ङ) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	92.01	92.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:			
(क) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना घटक के लिए (7.50 करोड़ रुपए और जनजाति क्षेत्र उप योजना घटक (9.99 करोड़ रुपए), सामान्य सहायता अनुदान (78.99 करोड़ रुपए)।	(a)	Grants-in-aid-General (₹ 78.99 crore), for Schedule Castes Sub Plan Component (SCSP) (₹ 7.50 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TASP) Component (₹ 9.99 crore) under the scheme of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.		
पूंजी भाग के तहत बचत के अभ्यर्पण के चलते (₹ 6.55 करोड़) और अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचत के चलते उपयुक्त व्यय में ₹ 85.42 करोड़ का रोकड़ खर्च अपरिहार्य होगा और तकनीकी अनुपूरक (₹ 6.55 करोड़) अपरिहार्य होगा।		Taking into account of surrender of saving under Capital Section (₹ 6.55 crore), and saving available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 85.42 crore and technical supplementary (₹ 6.55 crore).		
(ख) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सहायता, अनुदान-सामान्य के अंतर्गत 19.00 करोड़ रुपये और टी.ए.एस.पी. के अंतर्गत ₹ 9.00 करोड़।	(b)	Grants-in-aid-General (₹ 19.00 crore) and for TASP Component (₹ 9.00 crore) under the scheme of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana..		
अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(ग) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एस.सी.एस.पी. संघटक के अंतर्गत ₹ 25.70 करोड़ सहायता-अनुदान-सामान्य और टी.ए.एस.पी. संघटक के अंतर्गत ₹ 1.00 करोड़ सहायता-अनुदान-सामान्य।	(c)	Grants-in-aid General for SCSP Component (₹ 25.70 crore), for TASP Component (₹ 1.00 crore) under the scheme of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.		
अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(घ) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ₹ 16.42 करोड़ सहायता-अनुदान-सामान्य	(d)	Grants-in-aid General (₹ 16.42 crore) under the scheme of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.		
अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(ङ) मात्स्यिकी संस्थानों के संबंध में मोटर वाहन वस्तु शीर्ष के अंतर्गत ₹ 0.10 करोड़ की अतिरिक्त मांग की पूर्ति करना।	(e)	to meet the additional demand under Motor Vehicle in respect of Fisheries Institutes (₹ 0.10 crore).		
अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 40

पशु पालन और डेरी कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3657.42	3657.42
पूंजी	Capital	...	46.71	46.71
जोड़	Total	...	3704.13	3704.13
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3704.18	3704.18
राजस्व	Revenue	...	3657.47	3657.47
पूंजी	Capital	...	46.71	46.71

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	...	0.01	(क) 0.01
2404-डेयरी विकास	2404-Dairy Development	...	0.01	(ख) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i)	राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत अनुदान-सहायता सामान्य घटक ₹ 20.00 करोड़, अनुदान-सहायता सामान्य एससीएसपी घटक ₹ 5.00 करोड़ और अनुदान-सहायता सामान्य ₹ 2.00 करोड़ टीएएसपी।	(a)	(i)	Grants-in-aid General (₹ 20.00 crore), for Schedule Castes Sub Plan (SCSP) Component (₹ 5.00 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TASP) Component (₹ 2.00 crore) under the Scheme of National Livestock Mission.
	(ii)	राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत अनुदान-सहायता सामान्य घटक ₹ 68.04 करोड़, अनुदान-सहायता सामान्य एससीएसपी घटक ₹ 21.50 करोड़ और अनुदान-सहायता सामान्य टीएएसपी ₹ 5.00 करोड़।		(ii)	Grants-in-aid General (₹ 68.04 crore), for SCSP Component (₹ 21.50 crore) and for TASP Component (₹ 5.00 crore) under the Scheme of Rashtriya Gokul Mission.
	(iii)	पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत कार्यालय व्यय के लिए ₹ 2.00 करोड़, प्रचार और प्रकाशन के लिए ₹ 0.80 करोड़, व्यावसायिक सेवाओं के लिए ₹ 2.20 करोड़ और सस्मिडी में ₹ 22.00 करोड़।		(iii)	Office Expenses (₹ 2.00 crore), Advertisement & Publicity (₹ 0.80 crore), Professional Services (₹ 2.20 crore) and Subsidies (₹ 22.00 crore) under the scheme of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund.
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)		राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत अनुदान-सहायता सामान्य घटक ₹ 13.44 करोड़।	(b)		Grants-in-aid General (₹ 13.44 crore) under National Programme for Dairy Development.
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)		राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत अनुदान-सहायता सामान्य घटक ₹ 41.00 करोड़, अनुदान-सहायता सामान्य एससीएसपी घटक ₹ 13.00 करोड़ और ₹ 9.95 करोड़ टीएएसपी।	(c)		Grants-in-aid General (₹ 41.00 crore), for SCSP Component (₹ 13.00 crore) and for TASP (₹ 9.95 crore) under the Scheme of National Livestock Mission..
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 41

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)
(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	1232.94	1232.94
पूंजी	...	...	...
जोड़	...	1232.94	1232.94
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	150.00	150.00
पूंजी	...	...	...
जोड़	...	150.00	150.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.04	0.04
पूंजी	...	...	...
जोड़	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	...	1382.98	1382.98
राजस्व	...	1382.98	1382.98
पूंजी	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01 (ख)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	0.01 (ग)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	0.01 (घ)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता के सृजन/विस्तार योजना के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 46.90 करोड़) के लिए और प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के तहत कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना सृजन के तहत जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक के लिए सामान्य अनुदान-सहायता ((₹ 6.30 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना। (ii) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 44.98 करोड़) के लिए; अनुसूचित जाति उप योजना घटक के लिए (₹ 8.58 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹ 4.44 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना। (iii) वाइन और वाइन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (ओ आई वी) में (₹ 0.19 करोड़) योगदान के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना।
अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक टोकन अनुपूरक मांग की जाती है।
- (ख) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) पूर्वोत्तर (सामान्य) के लिए अनुदान-सहायता ((₹ 30.00 करोड़) और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत मेगा फूड पार्क योजना के लिए (₹ 6.00 करोड़) हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करना।
अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक टोकन अनुपूरक मांग की जाती है।
- (ग) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹128.92 करोड़) के लिए; अनुसूचित जाति उप योजना घटक के लिए (₹ 24.56 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹ 12.71 करोड़) (कुल ₹ 166.19 करोड़) के लिए निधि में वृद्धि करने हेतु प्रदान करना;
अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक टोकन अनुपूरक मांग की जाती है।
- (घ) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.70 करोड़) के लिए; अनुसूचित जाति उप योजना घटक के लिए (₹ 0.06 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹ 0.05 करोड़) (कुल ₹ 0.81 करोड़) के लिए निधि में वृद्धि करने हेतु प्रदान करना;
अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक टोकन अनुपूरक मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-Aid-General (₹ 46.90 crore) under the scheme for Creation/Expansion of Food Processing & Preservation Capacities, for Tribal Area Sub Plan (TASP) Component (₹ 6.30 crore) under Creation of Infrastructure for Agro-processing Clusters under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. (ii) Grants-in-Aid-General (₹ 44.98 crore); for Schedule Castes Sub Plan (SCSP) Component (₹ 8.58 crore) and for TASP Component (₹ 4.44 crore) under the Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM-FME). (iii) contribution to International Organization of Wine & Vine (OIV) (₹ 0.19 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-Aid North East Region (NER)(General) (₹30.00 crore) under the Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM-FME) and for Mega Food Parks Scheme (₹ 6.00 crore) under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-Aid-General (₹ 128.92 crore); for SCSP Component (₹ 24.56 crore) and for TASP Component (₹ 12.71 crore) (Total ₹166.19 crore) under the Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM-FME).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Grants-in-Aid-General (₹ 0.70 crore); for SCSP Component (₹0.06 crore) and for TASP Component (₹ 0.05 crore) (Total ₹ 0.81 crore) under the Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM-FME).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)
(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	104590.24	104590.24
पूंजी	Capital	...	1733.60	1733.60
जोड़	Total	...	106323.84	106323.84
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	10615.98	10615.98
पूंजी	Capital	...	1141.01	1141.01
जोड़	Total	...	11756.99	11756.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	21227.72	21227.72
पूंजी	Capital	...	1497.27	1497.27
जोड़	Total	...	22724.99	22724.99
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	140805.82	140805.82
राजस्व	Revenue	...	136433.94	136433.94
पूंजी	Capital	...	4371.88	4371.88

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	...	0.01	(का)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	3346.89	(खब)	3346.89
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	...	50.93	(गद)	50.93
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	1313.69	(घद)	1313.69
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	15061.87	(ङे)	15061.87
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	916.33	(चफ)	916.33
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	...	538.00	(छग)	538.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	21227.72		21227.72
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	1497.25	(जह)	1497.25
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(झा)	0.01
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01	(ड)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	1497.27		1497.27
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	22724.99		22724.99

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	(-)3219.89		(-)3219.89
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	...	(-)50.93		(-)50.93
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	(-)1313.69		(-)1313.69
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)14899.86		(-)14899.86
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)605.38		(-)605.38
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	...	(-)538.00		(-)538.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)20627.75		(-)20627.75

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) चिकित्सा उपचार - केंद्र सरकार के पेंशनर्स - (₹ 309.83 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, 2. राजकीय औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण (₹ 10 करोड़), 3. टेलीमेडिसीन (₹ 6.50 करोड़) स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय शिक्षा हेतु मानव संसाधन - नए मेडिकल कालेजों की स्थापना और वर्तमान सरकारी मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या में वृद्धि (₹ 127 करोड़), 5. सेवा ग्राम स्थित मेडिकल कालेज की कस्तूरबा हेल्थ सोसायटी, वर्धा (₹ 12.75 करोड़), 6. चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता (₹ 12 करोड़), कैंसर, डायबिटीज, कार्डियो वेस्कुलर डिजीज एंज स्ट्रोक के निवारण एवं नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (10 ₹ करोड़), नेशनल ड्रग डि-एडिक्शन प्रोग्राम (₹ 2.75 करोड़), एम्स, नई दिल्ली स्थित ड्रग डि-एडिक्शन सेंटर (₹ 2 करोड़) और एम्स, नई दिल्ली स्थित नेशनल ड्रग डि-एडिक्शन सेंटर के अंतर्गत ड्रग ट्रिटमेंट क्लीनिक (₹ 0.75 करोड़), 9. लाला रामसरूप इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड एलाईड डिजीजेस (₹ 5 करोड़), 10. बल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 4.50 करोड़), 11. कोविड-19 वेक्सीनेशन फॉर हेल्थकेयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाईन वर्कर्स (₹ 32.30 करोड़), 12. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (जीबीएस) (₹ 456.91 करोड़), 13. जवाहर लाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुदुचेरी (जीबीएस) (₹ 253.49 करोड़), 14. भारतीय मानक सलाहकार बोर्ड (₹ 0.08 करोड़), 15. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (जीबीएस) (₹ 115 करोड़), 16. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण - मुख्यालय (पीएमएसएसएन से सहायता) - ₹ 2875 करोड़ - सामान्य ₹ 2185 करोड़ - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना - ₹ 460 करोड़ जनजाति क्षेत्रीय उप-योजना - ₹ 230 करोड़, (ii) योजना के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए अनुदान 1. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स (₹ 0.65 करोड़), 2. नेशनल ड्रग डि-एडिक्शन प्रोग्राम - एनआईएमएसएएनएस, बैंगलुरु स्थित ड्रग डि-एडिक्शन (01 ₹ करोड़), 3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (जीबीएस) (₹ 800 करोड़), 4. एनआईएमएसएएनएस, बैंगलुरु (₹ 40 करोड़), 5. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (जीबीएस) (₹ 50 करोड़), 6. जवाहर लाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुदुचेरी (जीबीएस) (₹ 50 करोड़), 7. इंडियन फार्माकोपिया कमिशन (₹ 0.80 करोड़), 8. पोस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कून्नूर (₹ 1.50 करोड़), (iii) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन 1. सेवा ग्राम स्थित मेडिकल कालेज की कस्तूरबा हेल्थ सोसायटी, वर्धा (₹ 10.67 करोड़), 2. नेशनल ड्रग डि-एडिक्शन प्रोग्राम (₹ 6 करोड़) - एम्स, नई दिल्ली स्थित ड्रग डि-एडिक्शन सेंटर और एनआईएमएसएएनएस, स्थित ड्रग डि-एडिक्शन सेंटर बैंगलुरु (₹ 1.50 करोड़), 3. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹ 872.10 करोड़), 4. नई दिल्ली टीबी सेंटर, नई दिल्ली (₹ 0.08 करोड़), 5. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (जीबीएस) (₹ 50 करोड़), 6. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (जीबीएस) (₹ 644 करोड़), 7. जवाहर लाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुदुचेरी (जीबीएस) (₹ 644 करोड़), 8. लाला रामसरूप इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड एलाईड डिजीजेस (₹ 5 करोड़), और 9. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹ 200 करोड़), (iv) निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थानों/संगठनों से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए: 1. अस्पताल और चिकित्सालयों की स्थापना के लिए - सीजीएएस अस्पताल (171.74 करोड़ - आपूर्तियां और सामग्री - ₹ 148.58 करोड़, व्यावसायिक सेवाएं - ₹ 03 करोड़ और अन्य प्रभार - ₹ 20.16 करोड़), 2. कायाकल्प योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों/संस्थानों को पुरस्कार - अन्य प्रभार (₹ 10.04 करोड़), 3. राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) दिल्ली (₹ 4.93 करोड़), 4. नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम (₹ 180.01 करोड़) (ईएपी), 5. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन - कार्यालयी व्यय - (₹ 4.08 करोड़), 6. स्वास्थ्य सूचना एवं प्रबोधन प्रणाली का सुदृढीकरण - नेशनल हेल्थ रिसोर्स रिपोजिट्री - व्यावसायिक सेवाएं - ₹ 19.60 करोड़), 7. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय - इमरजेंसी ईपीडेमिक प्रिपेडनेस एंड रैसपोंस - ईएपी - अन्य प्रभार - ₹ 27 करोड़), 8. एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, जिसमें रोटीन इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिसियेन्सी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) से समर्थन (₹ 7.01 करोड़), 9. एनवीबीडीसीपी - के अंतर्गत आपूर्तियां और सामग्री - ₹ 89.75 करोड़ - आपूर्तियां और सामग्री, 10. ट्रांसफर टू रिजर्व फंड/डिपॉजिट एकाउंट - फंड फॉर ट्रांसफर टू पीएमएसएसएन - इंटरएकाउंट ट्रांसफर (₹ 3130.14 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

(a) Medical Treatment - Central Government Pensioners - (₹ 309.83 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants in aid General under the scheme 1. National Institute of Biologicals (₹ 3.05 Crore), 2. Strengthening of State Drug Regulatory System (₹ 10 Crore), 3. Telemedicine (₹ 6.50 Crore.), 4. Human Resources for Health & Medical Education - Establishment of New Medical Colleges and increase of Seats in existing Govt. Medical Colleges. (₹ 127 Crore) 5. Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram (₹ 12.75 Crore), 6. Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (₹ 12 Crore.), 7. National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardio Vascular Disease and Stroke (₹ 10 Crore.) 8. National Drug De-addiction Programme (₹ 2.75 Crore) - Drug De-addiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 2 Crore) and Drug Treatment Clinic under National Drug De-addiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 0.75 Crore.) 9. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 5 Crore), 10. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 4.50 Crore), 11. COVID 19 Vaccination for Health Care Workers and Frontline Workers (₹ 32.30 Crore), 12. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (GBS) (₹ 456.91 Crore.), 13. Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Puducherry (GBS) (₹ 253.49 Crore), 14. National Advisory Board for Standards (₹ 0.08 Crore), 15. Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (GBS) (₹ 115 Crore), 16. Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana - National Health Authority - Headquarter (Support from PMSSN) - (₹ 121.14 Crore), 17. Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana - National Health Authority - Grants to Societies (Support from PMSSN) - ₹ 2875 Crore- General - ₹ 2185 Crore, Special Component Plan for SCs - ₹ 460 Crore, Tribal Area Sub-Plan - ₹ 230 Crore. (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme 1. National Institute of Biologicals (₹ 0.65 Crore), 2. National Drug De-addiction Programme - Drug De-addiction Centre at NIMHANS, Bengaluru (₹ 1 Crore), 3. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (GBS) (₹ 800 Crore), 4. NIMHANS, Bengaluru (₹ 40 Crore), 5. Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (GBS) (₹ 50 Crore), 6. Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (GBS) (₹ 95.50 Crore), 7. Indian Pharmacopoeia Commission (₹ 0.80 Crore), 8. Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 1.50 Crore) (iii) Grants in aid Salaries under the scheme 1. Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram (₹ 10.67 Crore), 2. National Drug De-addiction Programme (₹ 6. Crore) - Drug De-addiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 4.50 Crore) and Drug De-addiction Centre at NIMHANS, Bengaluru, (₹ 1.50 Crore), 3. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (GBS) (₹ 872.10 Crore), 4. New Delhi TB Centre, New Delhi (₹ 0.08 Crore), 5. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (GBS) (₹ 50 Crore.), 6. Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (GBS) (₹ 1200 Crore), 7. Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (GBS) (₹ 644 Crore), 8. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 5 crore) and 9. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (GBS) (₹ 200 Crore) (iv) For meeting additional expenditure in respect of following schemes / programmes / Institutions / Organisations: 1. Setting up of Dispensaries and Hospitals - CGHS Dispensaries - (₹ 171.74 Crore - Supplies & Materials - ₹ 148.58 Crore., Professional Services - ₹ 3 Crore. and Other Charges - ₹ 20.16 Crore) 2. Awards of Prizes to Govt. Hospitals/ Institutions under Kaya Kalp Scheme - Other Charges (₹ 10.04 Crore) 3. National Institute of Communicable Disease (National Centre for Disease Control) Delhi (₹ 4.93 Crore) 4. National AIDS and STD Control Programme (₹ 180.01 Crore)(EAP), 5 Central Drugs Standards Control Organization - Office Expenses - ₹ 4.08 Crore), 6. Strengthening of Health Information and Monitoring System - National Health Resource Repository - Professional Services - ₹ 19.60 Crore),

इस ₹ 3219.89 करोड़ व्यय को सीआरआईएफ में से पूरा किया जाएगा और इसमें ₹ 127 करोड़ नकदी भी खर्च होगा।

- (ग) (i) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान 1. भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (₹ 4.02 करोड़), 2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (कौशल विकास) (₹ 01 करोड़), 3. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (₹ 1.09 करोड़), 4. जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (₹ 0.25 करोड़) (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली की योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1.54 करोड़), (iii) निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थानों/संगठनों से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए: 1. विश्व स्वास्थ्य संगठन समर्थित राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना - व्यावसायिक सेवाएं - ₹ 88.59 करोड़, 2. आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, जिसमें शामिल हैं - रूटीन इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिशियेंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम - बिना विधान सभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय (पीएमएसएसएन) से सहायता (₹ 49.58 करोड़), 3. जनसंख्या स्थिरता कोष (जेएसके) - 13.25 करोड़, 4. आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, जिसमें शामिल हैं - रूटीन इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिशियेंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम (प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन से समर्थन) - अन्य प्रभार (ईएपी) - (₹ 1.36 करोड़), 5. ट्रांसफर टू रिजर्व फंड/डिपॉजिट एकाउंट - फंड फॉर ट्रांसफर टू पीएमएसएसएन - इंटर एकाउंट ट्रांसफर - (₹ 50.93 करोड़)।

₹ 50.93 करोड़ का यह व्यय पीएमएसएसएन (एनआईएफ से अंतरित) से पूरा किया जाएगा और इसके लिए कुछ भी नकदी बाहर नहीं जाएगी।

- (घ) (i) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान - 1. रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इम्फाल (₹ 01 करोड़), 2. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण - समितियों को अनुदान (पीएमएसएसएन से समर्थन) - ₹ 103.86 करोड़, 3. एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, जिसमें शामिल है रूटीन इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिशियेंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम (पीएमएसएसएन से समर्थन (₹ 646 करोड़), 4. एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, जिसमें शामिल हैं नेशनल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिशियेंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम (पीएमएसएसएन से समर्थन (ईएपी) - (₹ 25.23 करोड़), 5. एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल - एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - (₹ 112.97 करोड़), 6. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सीबल पूल - एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 20.11 करोड़) और 7. कम्युनिकेबल डिजिज (ईएपी) के लिए फ्लेक्सीबल पूल (₹ 89.75 करोड़) (ii) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान: 1. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन - नई चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना और मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों को बढ़ाना (₹ 538.60 करोड़), 2. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल (₹ 68.07 करोड़), 3. पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹ 113.69 करोड़), 4. क्षेत्रीय पैरामेडिकल और नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजोल (₹ 76.36 करोड़), 5. कैसर, मधुमेह, कार्डियो भस्कुलर डिजिज और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 10 करोड़), 6. एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल - एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 3.03 करोड़), 7. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सीबल पूल - एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 2.23 करोड़) (iii) संस्थानों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान:- 1. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल (₹ 7.89 करोड़), और 2. आरक्षित निधिशिक्षण खातों में अंतरण - पीएमएसएसएन को निधि अंतरण - अंतर लेखा अंतरण (₹ 1313.69 करोड़)।

₹ 1313.69 करोड़ का यह व्यय पीएमएसएसएन (एनआईएफ से अंतरित) से पूरा नहीं किया जाएगा और इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

7. National Rural Health Mission - Expenditure in UTs - Emergency Epidemic Preparedness and Response - EAP - Other Charges - ₹ 27 Crore) 8. NRHM -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme Support from Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN) - (₹ 7.01 Crore), 9. Procurement of Supplies & Materials under - NVBDCP - ₹ 89.75 Crore- Supplies & Materials 10. Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for Transfer to PMSSN - Inter Account Transfer - (₹ 3130.14 Crore)

The expenditure of ₹ 3219.89 crore will be met from CRIF and this will also entail a cash outgo of ₹ 127 crore.

- (i) Grants in aid General under the scheme 1. National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹ 4.02 Crore.), 2. National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi Skill Development) (₹ 1 Crore), 3. International Institute of Population Sciences, Mumbai (₹ 1.09 Crore), 4. Population Research Centers (₹ 0.25 Crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹ 1.54 Crore) (iii) For meeting additional expenditure in respect of following schemes / programmes / Institutions / Organisations: 1. WHO Supported National Polio Surveillance Project - Professional Services - ₹ 88.59 Crore), 2. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme - Expenditure in UTs without Legislature (Support from PMSSN (₹ 49.58 Crore) .3. Jansankhya Sthirita Kosh (JSK)- ₹ 13.25 crore), 4. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme(Support from Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN) - Other Charges (EAP) - ₹ 1.36 Crore) 5. Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for Transfer to PMSSN - Inter Account Transfer - (Rs 50.93 Crore) This expenditure of ₹ 50.93 crore will be met from PMSSN (transferred from NIF) and this will not entail any cash out-go.

- (i) Grants in aid General under the schemes 1. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 1 Crore), 2. Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana - National Health Authority - Grants to Societies (Support from PMSSN) - ₹ 103.86 Crore., 3. NRHM -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (Support from PMSSN (₹ 646 Crore.) 4. NRHM -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (Support from PMSSN (EAP - ₹ 25.23 Crore)5. NRHM - RCH Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - (₹ 112.97 Crore) 6. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NUHM (₹ 20.11 Crore) and 7. Flexible Pool for Communicable Diseases (EAP) - (₹ 89.75 Crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the following Schemes:-1. Human Resources for Health & Medical Education - Establishment of New Medical Colleges and increase of Seats in existing Govt. Medical Colleges. (₹ 538.60 Crore) 2. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 68.07 Crore), 3. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (₹ 113.69 Crore), 4. Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl (₹ 76.36 Crore.), 5. National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardio Vascular Disease and Stroke (₹ 10 Crore.), 6. NRHM - RCH Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - ₹ 3.03 Crore), 7. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NUHM (₹ 2.23 Crore) (iii) Grants in aid Salaries under the Institutions:-1. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 7.89 Crore), and 2. Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for Transfer to PMSSN - Inter Account Transfer - (₹ 1313.69 Crore).

This expenditure of ₹ 1313.69 crore will be met from PMSSN (transferred from NIF) and this will not entail any cash out-go.

- (ड) (i) संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण (₹ 313.40 करोड़), 2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - आपातकालीन महामारी तत्परता और अनुक्रिया - ईएपी (₹ 717 करोड़), 3. एनआरएचएम - रूटीन इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिसियेंसी डिस ऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम इत्यादि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (पीएमएसएसएन से सहायता) (₹ 4608.31 करोड़), 4. एनआरएचएम - रूटीन इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिसियेंसी डिस ऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम इत्यादि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (पीएमएसएसएन (ईएपी) से सहायता) (₹ 723.90 करोड़), 5. एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल - एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 981.92 करोड़), 6. एफडब्ल्यू - अवसरचनना रखरखाव (पीएमएसएसएन से सहायता) (₹ 5188.25 करोड़), 7. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सीबल पूल - एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 448.71 करोड़), 8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - आपातकालीन महामारी तत्परता और अनुक्रिया - ईएपी (₹ 408 करोड़), (ii) संस्थानों/स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्थियों के सृजन हेतु अनुदान, 1. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन - नई चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना और मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों को बढ़ाना (पीएमएसएसएन से सहायता) (₹ 4379.41 करोड़), 2. एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल - एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 26.55 करोड़), 3. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सीबल पूल - एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 49.88 करोड़), 4. आरक्षित निधि/निक्षेप खातों में अंतरण - पीएमएसएसएन में निधि अंतरण - अंतर लेखा अंतरण (₹ 14899.86 करोड़)।
- (e) (i) Grants-in-aid General under the Institutions 1. COVID 19 Vaccination for Health Care Workers and Frontline Workers (₹ 313.40 Crore), 2. National Rural Health Mission - Emergency Epidemic Preparedness and Response - EAP (₹ 717 Crore), 3. NRHM -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (Support from PMSSN) - ₹ 4608.31 Crore), 4. NRHM -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (Support from PMSSN (EAP) - ₹ 723.90 Crore) 5. NRHM - RCH Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) (₹ 981.92 Crore) , 6. FW - Infrastructure Maintenance (Support from PMSSN) - (₹ 5188.25 Crore), 7. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NUHM (₹ 448.71 Crore), 8. National Rural Health Mission - Emergency Epidemic Preparedness and Response - EAP (₹ 408 Crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Institutions/Schemes 1. Human Resources for Health & Medical Education - Establishment of New Medical Colleges and increase of Seats in existing Govt. Medical Colleges. (Support from PMSSN) - (₹ 4379.41 Crore), 2. NRHM - RCH Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) (₹ 26.55 Crore), 3 National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NUHM (₹ 49.88 Crore.), 4. Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for Transfer to PMSSN- Inter Account Transfer - (Rs 14899.86 Crore).
- ₹ 14899.86 करोड़ का यह व्यय पीएमएसएसएन (एनआईएफ से अंतरित) से पूरा नहीं किया जाएगा और अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत बचतों का उपयोग करने के पश्चात् इसमें 162.01 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (च) (च) निम्नलिखित संस्थाओं के अंतर्गत सामान्य अनुदान 1. राज्य ड्रग विनियामक प्रणाली मजबूत करने के लिए (₹ 5.81 करोड़), 2. स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन कर्मियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण (₹ 14.30 करोड़), 3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन- आपातकाल महामारी तत्परता और प्रतिक्रिया- ईएपी (₹ 172 करोड़) 4. एनआरएचएम- रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम जिसमें आरसीएच लचीला पूल, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोडीन कमी के विकार नियंत्रण इत्यादि (पीएमएसएसएन से सहायता) (₹ 179.51 करोड़), 5. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन- आपातकाल महामारी तत्परता और प्रतिक्रिया- ईएपी (₹ 172 करोड़), एनआरएचएम- रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम जिसमें आरसीएच लचीला पूल, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोडीन कमी के विकार नियंत्रण इत्यादि (पीएमएसएसएन से सहायता) (₹ 0.16 करोड़), 6. एनआरएचएम- आरसीएच लचीला पूल-एनआरएचएम के अंतर्गत निहित अन्य स्वास्थ्य प्रणालियों क्रियाकलापों के लिए (जीबीएस) (₹ 29.72 करोड़) 7. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लचीला पूल- एनयूएचएम के अंतर्गत निहित क्रियाकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 25.34 करोड़) और 8. एफडब्ल्यू- अवसरचनना रखरखाव (पीएमएसएसएन से सहायता)- (₹ 84.73 करोड़), (ii) निम्नलिखित संस्थाओं/योजनाओं के अंतर्गत पूंजी आस्थियों के निर्माण के लिए अनुदान 1. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए मानव संसाधन- नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना और मौजूदा सरकार कॉलेजों में सीटों की संख्या को बढ़ाना (पीएमएसएसएन से सहायता) - { ₹ 340.99 करोड़, (जिसमें से 310.95 करोड़ नकद व्यय है), 2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन- आपातकाल महामारी तत्परता प्रतिक्रिया-ईएपी (₹ 172 करोड़), 3. एनआरएचएम- आरसीएच लचीला पूल- एनआरएचएम के अंतर्गत निहित क्रियाकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (जीबीएस)- (₹ 081 करोड़) 4. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लचीला पूल- एनयूएचएम के अंतर्गत निहित क्रियाकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 2.81 करोड़) 5. आरक्षित कोष/जमा खाता में अंतरण- पीएमएसएसएन में अंतरण के लिए कोष - अंतर खाता अंतरण (₹ 605.38 करोड़)।
- (f) (i) Grants-in-aid General under the following Institutions 1. Strengthening of State Drug Regulatory System (₹ 5.81 Crore), 2. COVID 19 Vaccination for Health Care Workers and Frontline Workers (₹ 14.30 Crore), 3. National Rural Health Mission - Emergency Epidemic Preparedness and Response - EAP (₹ 172 Crore), 4.. NRHM -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme,, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (Support from PMSSN) ₹ 179.51 Crore), 5. NRHM -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. Support from PMSSN (EAP) ₹ 0.16 Crore), 6. NRHM - RCH Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) (₹ 29.72 Crore) , 7. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NUHM (₹ 25.34 Crore), and 8. FW - Infrastructure Maintenance (Support from PMSSN) - (₹ 84.73 Crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets under the following Institutions/Schemes 1. Human Resources for Health & Medical Education - Establishment of New Medical Colleges and increase of Seats in existing Govt. Medical Colleges. (Support from PMSSN) - [₹ 340.99 Crore, (out of which ₹ 310.95 crore is cash outgo)], 2. National Rural Health Mission - Emergency Epidemic Preparedness and Response - EAP (₹ 172 Crore), 3. NRHM - RCH Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - ₹ 0.81 Crore), 4. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NUHM (₹ 2.81 Crore) ,5. Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for Transfer to PMSSN- inter Account Transfer - (Rs 605.38 Crore)
- पीएमएसएसएन से ₹ 605.38 करोड़ का व्यय होगा (एनआईएफ से अंतरण) और ₹ 310.95 करोड़ का नकद व्यय भी होगा।
- (छ) राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो निवारण को मजबूत करने के लिए उपकरण सहायता (अन्य अनुबंधी सेवाएं- 538 करोड़)
- (g) Material Assistance for Strengthening of National Immunization Programme and Polio Eradication (Other Contractual Service - ₹ 538 Crore)
- 538 करोड़ रु. का व्यय पीएमएसएसएन से होगा (एनआईएफ से अंतरण के द्वारा) और इसमें कोई नकद व्यय होगा।
- (ज) निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताएं 1. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹ 1497.25 करोड़), तकनीकी 1.
- (h) Additional requirement under the following Schemes/Programmes/Institutions etc.:- 1. Pradhan Mantri

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹ 282.75 करोड़), सांकेतिक अनुदान 1. राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 4 करोड़) 2. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹ 615.90 करोड़), 3. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (₹ 5.26 करोड़), 4. अखिल भारतीय भौतिक दवाई एवं पुरंदरुथान संस्था, मुम्बई (₹ 0.46 करोड़), 5. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती एस.के. अस्पताल नई दिल्ली (₹ 98.87 करोड़), 6. डॉटर राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा अनुसंधान शिक्षा नई दिल्ली (₹ 13 करोड़) 7. रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (₹ 1 करोड़) 8. केन्द्रीय अनुसंधान संस्था कसौली (₹ 6.48 करोड़) 9. एनसीडीसी शाखा और स्वास्थ्य पहल की मजबूती और स्थाना - जूनोटिक विमारी और अन्य उपेक्षित और लाक्षणिक रोग, वायरल हैपेटाइटिस की देखरेख एंटी माइक्रो- बायल प्रतिरोधी- (₹ 5.20 करोड़) 10. कलावती सरण शिशु अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 0.22 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1497.25 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (झ) निम्नलिखित योजनाओं के तहत अतिरिक्त आवश्यकता 1. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹ 2 करोड़) और 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती एस.के. अस्पताल नई दिल्ली (₹ 1.20 करोड़)।

सीआरईएफ के अंतर्गत अनुदान के इसी भाग से अपेक्षित बचतों से अतिरिक्त कोष की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा (जीबीएस से अंतरित) और इसमें नकद व्यय होगा।

- (ट) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹ 50 करोड़)।

सीआरईएफ के अंतर्गत अनुदान के इसी भाग से अपेक्षित बचतों से अतिरिक्त कोष की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा (जीबीएस से अंतरित) और इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

Swasthya Suraksha Yojana (GBS)(₹ 1497.25Crore), Technical1. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (GBS)(₹ 282.75 Crore), Token Grant 1. National AIDS and STD Control Programme (₹ 4. Crore), 2. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (GBS)(₹ 615.90 Crore) , 3. Central Government Health Scheme (₹ 5.26 Crore) , 4. All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai (₹ 0.46 Crore), 5. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi - ₹ 98.97 Crore), 6. Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Post Graduate Medical Education and Research, New Delhi (₹ 13 Crore.), 7. National Centre for Disease Control Programme (1 Crore), 8. Central Research Institute, Kasauli (₹ 6.48 Crore), 9. Establishment and Strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives - Inter-Sectoral Coordination for Preparation and Control of Zoonotic Disease and Other Neglected Tropical Disease, Surveillance of Viral Hepatitis, Anti-microbial Resistance - (₹ 5.20 Crore), 10. Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi (₹ 0.22 Crore)

Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 1497.25 crore.

Additional requirement under the following Schemes. 1. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (GBS)(₹ 2 Crore) and 2. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi (₹ 1.20 Crore)

The additional requirement of funds will be met from out of the anticipated savings under CRIF (transferred to GBS) in the same section of the Grant, and will not entail cash outgo

For meeting the additional requirement under the following Scheme Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (GBS) (₹ 50 Crore) -

Taking into Account the anticipated saving under CRIF in the same section of the Grant this will not entail net cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 43

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2100.00	2100.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2100.00	2100.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2475.00	2475.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2475.00	2475.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4575.01	4575.01
राजस्व	Revenue	...	4575.01	4575.01
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कोविड-19 के लिए महामारी विज्ञान के अध्ययन, परीक्षण किटों के वैधीकरण, ईक्यूए (बाहरी गुणवत्ता आश्वासन) आदि के कारण महामारियों के प्रकोपों से बचने के लिए उपकरणों के विकास शीर्ष के अंतर्गत ₹ 4.97 करोड़ के अतिरिक्त व्यय (सामान्य सहायता अनुदान) को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 4.97 crore under the Head Development of Tools to prevent outbreaks of Epidemics (Grant in aid General) on account of Epidemiological Studies, Validation of testing kits, EQA (External Quality Assurance), etc. for COVID-19. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 44

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	930.35	930.35
पूंजी	Capital	...	559.63	559.63
जोड़	Total	...	1489.98	1489.98
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	42.45	42.45
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	42.45	42.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1532.45	1532.45
राजस्व	Revenue	...	972.81	972.81
पूंजी	Capital	...	559.64	559.64
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(क) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6858-अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	6858-Loans for Engineering Industries	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (a) 'केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 116.02 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (b) 'केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत ऋण और अग्रिमों हेतु (₹ 41 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (a) Meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 116.02 crore) under the scheme 'Support to Central Public Sector Enterprises'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (b) Meeting expenditure towards Loans and Advances (₹ 41.00 crore) under the scheme 'Support to Central Public Sector Enterprises'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.03	7749.49	7749.52
पूंजी	Capital	...	252.48	252.48
जोड़	Total	0.03	8001.97	8002.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	30.85	30.85
जोड़	Total	...	30.85	30.85
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	8032.82	8032.85
राजस्व	Revenue	0.03	7749.49	7749.52
पूंजी	Capital	...	283.33	283.33
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	30.85	30.85

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत (₹ 30.00 करोड़), कार्यालय भवन (मुख्य निर्माण कार्य) के अंतर्गत (₹ 13 करोड़), आवासीय भवन (मुख्य निर्माण कार्य) के अंतर्गत (₹ 7 करोड़) और (ii) कार्यालय भवन (मुख्य निर्माण कार्य) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (₹ 14.14 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

(i) National Disaster Response Force (NDRF) under Machinery and Equipment (₹ 30.00 crore), under Office Building (Major Works) (₹ 13 crore) and under Residential Building (Major Works) (₹ 7 crore) and (ii) National Institute for Disaster Management (NIDM) under Office Building (Major Works) (₹ 14.14 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 47

मंत्रिमंडल
CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1140.38	1140.38
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1140.38	1140.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	100.84	100.84
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	100.84	100.84
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1241.22	1241.22
राजस्व	Revenue	...	1241.22	1241.22
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013-मंत्रिपरिषद	2013-Council of Ministers	...	100.84	100.84

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

एयर इंडिया को लंबित देयताओं को जारी करना (₹ 184.10 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 100.84 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

release of pending dues to Air India (₹ 184.10 crore).
 Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 100.84 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 48

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)
(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	6.77	96743.93	96750.70
पूंजी	Capital	4.42	9854.45	9858.87
जोड़	Total	11.19	106598.38	106609.57
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	23.79	0.01	23.80
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	23.79	0.02	23.81
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	34.98	106598.41	106633.39
राजस्व	Revenue	30.56	96743.95	96774.51
पूंजी	Capital	4.42	9854.46	9858.88
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	23.79	(क) 0.01	(ख) 23.80
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	23.79	0.02	23.81

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क) अन्य शुल्कों के अंतर्गत (i) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) (₹ 022.011 करोड़), (ii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) (₹ 0.03 करोड़) और (iii) विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) (₹ 1.75 करोड़) के लिए मध्यस्था अवार्ड की विभिन्न निपटान और अन्य दावों के लिए भुगतान करना।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध संरेडर किए गए बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय पुलिस स्मारक सोसायटी (₹ 8.50 करोड़) और तटीय सुरक्षा के लिए संवैधानिक संगठनों को अनुदान (₹ 10.00 करोड़) (ii) वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) (₹ 0.34 करोड़) (iii) अन्य शुल्कों के अंतर्गत अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) (₹ 42.99 करोड़) (iv) कार्यालय व्यय के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (₹ 73.08 करोड़) (v) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए (₹ 2.02 करोड़) विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान और अन्य शुल्कों के अंतर्गत महिला और बच्चों के लिए साइबर अपराध निवारण (₹ 16.50 करोड़) इन दो स्कीमों को निर्भया निधि से वित्तपोषित किया जाता है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) (ग) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) आवासीय भवन के अंतर्गत केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी) (₹ 7.40 करोड़), दिल्ली पुलिस (₹ 97.45 करोड़) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) (₹ 50.69 करोड़) (ii) मोटर-वाहन के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (₹ 10.35 करोड़), पुलिस अनुसंधान और प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) (₹ 0.65 करोड़) (iii) मशीनरी और उपकरणों के अंतर्गत राष्ट्रीय आसुचना ग्रिड (एनईटी ग्रिड) (₹ 52.38 करोड़), पुलिस अनुसंधान और प्रशिक्षण ब्यूरो (₹ 27.34 करोड़), विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) (₹ 0.10 करोड़), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) (₹ 9.99 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) making payment towards various settlement of arbitration award and other claims for (i) Border Security Force(BSF) (₹ 22.01 crore), (ii) Indo-Tibetan Border Police (ITBP) (₹ 0.03 crore) and (iii) Special Protection Group (SPG) (₹ 1.75 crore) under Other Charges.

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) meeting expenditure towards (i) National Police Memorial Society (₹ 8.50 crore) and Statutory Organizations for Coastal Security (₹ 10.00 crore) under Grants-in-aid General, (ii) Special Protection Group(SP) (₹ 0.34 crore) under Grants-in-aid-salaries (iii) Crime and Criminal Tracking Network Systems(CCTNS) (₹ 42.99 crore) under other charges, (iv) Delhi Police (₹ 73.08 crore) under Office Expenses and (v) Cyber Crime Prevention against Women and Children (₹ 16.50 crore) under Other Charges and Grants to Union Territories without Legislature for Strengthening of Forensic Science Labs under Grants-in-aid-General (₹ 2.02 crore), these two schemes are financed from Nirbhaya Fund.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) meeting expenditure towards (i) Central Academy for Police Training(CAPT) (₹ 7.40 crore), Delhi Police (₹ 97.45 crore) and Border Security Force(BSF) (₹ 50.69 crore) under Residential Buildings, (ii) Delhi Police (₹ 10.35 crore) and Bureau of Police Research and Development(BPR&D) (₹ 0.65 crore) under Motor Vehicles and (iii) National Intelligence Grid (NATGRID) (₹ 52.38 crore), Bureau of Police Research and Development(BPR&D) (₹ 27.34 crore), Special Protection Group(SP) (₹ 0.10 crore) and Shashastra Seema Bal(SSB) (₹ 9.99 crore) under Machinery & Equipments.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 49
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	4611.89	4611.90
पूंजी	Capital	...	622.36	622.36
जोड़	Total	0.01	5234.25	5234.26
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूंजी	Capital	...	0.06	0.06
जोड़	Total	...	0.11	0.11
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	5234.36	5234.37
राजस्व	Revenue	0.01	4611.94	4611.95
पूंजी	Capital	...	622.42	622.42
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (खब)	0.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01 (गक)	0.01
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	0.01 (घद)	0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01 (ङे)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.05	0.05
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01 (चफ)	0.01
4408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	...	0.01 (छग)	0.01
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	4515-Capital Outlay on Other Rural Development Programmes	...	0.01 (जह)	0.01
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01 (झा)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01 (टि)	0.01
5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	5055-Capital Outlay on Road Transport	...	0.01 (डक)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.06	0.06
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.11	0.11

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एण्ड टेक्निकल एजुकेशन (सोवटेक) (₹ 3.00 करोड़) को सहायता अनुदान जारी करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।
अनुदान के समान खण्ड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक संकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में मेडिकल शिक्षण और अनुसंधान सोसाइटी (जीआईए-सामान्य- ₹ 1.40 करोड़ और जीआईए-वेतन ₹ 7.00 करोड़)।
अनुदान के समान खण्ड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक संकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) पीबीएमसी के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन आदि पर व्यय को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान वेतनों को जारी करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 18.55 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional requirement for releasing grants-in-aid to Society for Promotion of Vocational & Technical Education (SOVTECH) (₹ 3.00 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional requirement for releasing grants-in-aid to Andaman & Nicobar Islands Medical Education and Research Society (GIA -General- ₹ 1.40 crore & GIA-Salaries ₹ 7.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional requirement for releasing Grant-in-Aid Salaries to meet the expenditure on salary, wages, pension etc. of the employees of PBMC (₹ 18.55 crore).

	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(घ)	"प्राकृतिक आपदाओं के चलते वार्षिक व्यय" (₹ 5.30 करोड़) नए उप-शीर्ष के तहत कोविड-19 वैश्विक महामारी हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(d)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional requirement for COVID-19 pandemic under new sub-head "Annual Expenditure on account of Natural Calamities" (₹ 5.30 crore).
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(ङ)	खत्म की जा चुकी पंचायत समितियों के कर्मचारियों को वेतन देने हेतु जिला परिषद से जीआईए-वेतन जारी करना (₹ 8.65 करोड़)।	(e)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. releasing GIA-Salary from Zilla Parishad to pay salaries to employees of abolished Panchayat Samities (₹ 8.65 crore).
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(च)	व्यायज हॉस्टल, री-रूफिंग, दिव्यांगों के लिए रैम्प, वकुलतला आदि के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 1.00 करोड़)।	(f)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional requirement for construction of Workshop Building, Boys Hostel, Re-roofing, Ramp for Divyang, Bakultala etc. (₹ 1.00 crore).
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(छ)	कच्छल में 250 एमटीआरसीसी गोदाम और क मोरता में सीसी फुटपाथ और आरसीसी कंपाउंड निर्माण करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 0.90 करोड़)।	(g)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional requirement for construction of 250 MT RCC Godown at Katchal and C/o CC footpath and RCC compound wall at Kamorta (₹ 0.90 crore).
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(ज)	पंचायत निदेशालय की चलाही सिविल भवन कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 0.90 करोड़)	(h)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional requirement for on-going civil building works of Directorate of Panchayat (₹ 0.90 crore).
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(झ)	विद्युत विभाग के निकट शिकायत सैल का निर्माण हेतु, सी/ वे और कच्छल में विद्युत विभाग हेतु री-रूफिंग, मरम्मत और पेंटिंग के लिए (₹ 0.20 करोड़)।	(i)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional requirement for construction of complaint cell of Electricity Department at Katchal (₹ 0.20 crore).
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(ट)	जिला मार्गों (₹ 1.74 करोड़), जिला और अन्य मार्गों (₹ 1.00 करोड़) हेतु जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के निर्माण/ नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(j)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional requirement for construction/renovation of Roads & Bridges under District Roads (₹ 1.74 crore), Tribal Area sub-plan for District & Other Roads (₹ 1.00 crore).
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(ठ)	विभिन्न बस टर्मिनस, पेसेन्जर हाल, बस शैड, क्वाटर और अन्य कार्यों (₹ 2.00 करोड़) के निर्माण नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(k)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional requirement for construction/renovation of various bus terminus, passenger hall, bus shed, quarters and other works (₹ 2.00 crore).
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 50

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	40.76	4603.20	4643.96
पूंजी	Capital	55.00	439.14	494.14
जोड़	Total	95.76	5042.34	5138.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.07	0.07
पूंजी	Capital	...	0.09	0.09
जोड़	Total	...	0.16	0.16
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	95.76	5042.50	5138.26
राजस्व	Revenue	40.76	4603.27	4644.03
पूंजी	Capital	55.00	439.23	494.23

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	0.01 (का)	0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01 (ख)	0.01
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (ग)	0.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01 (घ)	0.01
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	0.01 (ङ)	0.01
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	...	0.01 (च)	0.01
3452-पर्यटन	3452-Tourism	...	0.01 (छ)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.07	0.07
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01 (ज)	0.01
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (झ)	0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01 (ञ)	0.01
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	0.01 (ट)	0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01 (ड)	0.01
4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	...	0.01 (ढ)	0.01
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	0.01 (ण)	0.01
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01 (त)	0.01
5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	5055-Capital Outlay on Road Transport	...	0.01 (थ)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.09	0.09
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.16	0.16

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) नव नियुक्त अनुभाग अधिकारियों के वेतन का भुगतान करने लिए और उच्च न्यायालय की विधि सेवा समिति के लिए राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को सहायता अनुदान जारी करने के लिए (₹ 0.50 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) कोविड-19 के व्यय को पूरा करने के लिए अन्य शुल्क के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता। (₹ 9.63 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ग) अनुसूचित जाति के छोटे हुए लाभार्थियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति जारी करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए (₹ 8.32 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) additional expenditure under Grants-in-Aid to State Legal Services Authority for payment of salary to newly appointed Section Officers and for High Court Legal Service Committee (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) additional requirement under other charges for meeting COVID-19 expenditure (₹ 9.63 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) additional requirement for release of scholarship for Post Matric Scholarship for SC Students (₹ 8.32 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(घ)	वेतन भुगतान के लिए नगर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए नगर निगम, चंडीगढ़ को सहायता अनुदान जारी करना (₹ 75.00 करोड़)।	(d)	releasing Grants-in-Aid to the Municipal Corporation, Chandigarh for the payment of Salaries and various development works in the city (₹ 75.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	केंद्र शासित प्रदेश को आपदा कार्रवाई निधि के लिए और कोविड-19 महामारी के कारण व्यय को पूरा करने लिए अन्य प्रभार के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 10.50 करोड़)।	(e)	meeting additional requirement under other charges for Disaster Response Fund for UT and incurring the expenditure on account of Pandemic COVID-19 (₹ 10.50 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	वेतन भुगतान, पेट्रोल, तेल एवं खेहक, व्यापक अनुरक्षण प्रभार तथा परिवहन विभाग के नगर बस सेवा समिति के लिए बसों की बीमा के लिए चण्डीगढ़ सिटी बस सर्विस को सहायता अनुदान जारी करना (₹ 20.00 करोड़)।	(f)	releasing Grants-in-Aid to Chandigarh City Bus Service for payment of Salaries, POL, Comprehensive maintenance charges & Insurance of Buses for City Bus Services Society of Transport Department (₹ 20.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	केविड-19 के कारण लाइसेंस शुल्क में छूट दिए जाने के कारण वेतन व्यय एवं क्षतिपूर्ति के लिए सिटको को एक बारसी सहायता अनुदान जारी करना (₹ 27.00 करोड़)।	(g)	releasing one time Grants-in-Aid for salary expenses and compensation for CITCO due to waiving off License Fee towards COVID-19 (₹ 27.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	धनास में चण्डीगढ़ सशस्त्र सेना परिसर में 336 टाइप-1। आवासों के निर्माण, धनास में चण्डीगढ़ सशस्त्र पुलिस परिसर में 432 टाइप-1। आवासों के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए (₹ 12.22 करोड़)।	(h)	meeting additional requirement for construction of Type-II houses in Chandigarh Armed Complex and Armed Police Complex at Dhanas (₹ 12.22 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	मॉडल जेल बुइल के विभिन्न विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए (₹ 0.33 करोड़)।	(i)	meeting additional requirement for various development works of Model Jail Burail (₹ 0.33 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	मनिमाजरा में 16,100 बिस्तरों वाले अस्पताल, चण्डीगढ़ के सेक्टर-48 और सेक्टर-22 में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के जीएमएसएच संबंधी विभिन्न विकास कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 2.47 करोड़)।	(j)	meeting additional requirement for various development works of GMSH-16,100 bedded Hospital in Manimajra, 50 bedded Hospital in Sector-48 and Sector-22 in Chandigarh (₹ 2.47 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ठ)	मौजूदा ओवर हेडलाइन को 66 केवी भूमिगत डबल सर्किट में बदलने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। नई सड़क, 2 एमएलडी सिविल ट्रीटमेंट प्लांट और नया सचिवालय भवन का निर्माण/सेक्टर-17, चण्डीगढ़ के पुनरूद्धार की एतिहासिक योजना विभिन्न जंक्शनों पर हाई मास्ट प्रकाश व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट, विभिन्न एनआरबी भवनों का पुनरूद्धार, पानी के पाइपलाइन की व्यवस्था करने और बिछाने तथा लीज़र वैली का लैंडस्केप करना और सड़क के किनारे दरारों को भरने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना (₹ 11.03 करोड़)।	(k)	meeting additional requirement for conversion of existing over headline to 66 KV underground double circuit. Construction of new road, two Sewage Treatment Plant and new Secretariat Building. Holistic Plan for revitalization of Sector 17- Chandigarh, High Mast lighting and street lighting at various junctions, renovation of various NRB Buildings, providing and laying of water pipeline etc. and Landscaping in Leisure Valley and filling up gaps on the roadsides (₹ 11.03 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	सरकारी आईटीआई, सेक्टर-28 में निर्माण और कैटिन ब्लॉक का विस्तार करने, शौचालय और रैम्प आदि की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। सेक्टर-11, चंडीगढ़ में महिलाओं के लिए सरकारी आईटीआई के विभिन्न विकास कार्यों के लिए (₹ 0.33 करोड़)।	(l)	meeting additional requirement for construction and extension of canteen block, provision of toilet and Ramp etc. at Government I.T.I. Sector-28. Various development works of Government I.T.I. for Women in Sector-11, Chandigarh (₹ 0.33 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ढ)	विभिन्न गाँवों और क्षेत्रों में पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के विभिन्न विकास कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.23 करोड़)।	(m)	meeting additional requirement for various development works of Veterinary Sub centres in various villages and sectors (₹ 0.23 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ण)	बर्ड पार्क के निर्माण, वन विभाग और विभिन्न अन्य कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 2.00 करोड़)।	(n)	meeting additional requirement for construction of Bird park, Forest Department and various other works (₹ 2.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(त)	चंडीगढ़ में विभिन्न 66 केवी और 11 केवी के विकास कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 6.31 करोड़)।	(o)	meeting additional requirement for various 66 KV and 11 KV development works in Chandigarh (₹ 6.31 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(थ)	सीटीयू कारखानों के विभिन्न विकास कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1.05 करोड़)।	(p)	meeting additional requirement for various development works of C.T.U. Workshops (₹ 1.05 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 51
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव
DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)
(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2768.10	2768.10
पूंजी	Capital	...	752.42	752.42
जोड़	Total	...	3520.52	3520.52
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3520.54	3520.54
राजस्व	Revenue	...	2768.10	2768.10
पूंजी	Capital	...	752.44	752.44
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पक्षी अभयारण्य, जामपुर में "पक्षीशाला विहार" के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 8.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional requirement for construction of "Walk in Aviary" at Bird Sanctuary, Jampore (₹ 8.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 52

लद्दाख
LADAKH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)
(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2331.72	2331.72
पूंजी	Capital	...	3626.28	3626.28
जोड़	Total	...	5958.00	5958.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.09	0.09
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.10	0.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5958.12	5958.12
राजस्व	Revenue	...	2331.83	2331.83
पूंजी	Capital	...	3626.29	3626.29

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2053-जिला प्रशासन	2053-District Administration	...	0.01	(क) a	0.01
2055-पुलिस	2055-Police	...	0.01	(ख) b	0.01
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01	(ग) c	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	(घ) d	0.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01	(ङ) e	0.01
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01	(च) f	0.01
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	...	0.01	(छ) g	0.01
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	(ज) h	0.01
2801-विद्युत	2801-Power	...	0.01	(झ) i	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.09		0.09
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(ट) j	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.10		0.10

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) चांग थंग पश्मिना उत्पादक सहकारी समिति को सहायता अनुदान जारी करने के लिए (₹ 3.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) पुलिस विभाग के लिए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कपड़े और टेंट के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 25.70 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) लद्दाख विश्वविद्यालय के लिए ऑन लाइन कक्षाओं के संचालन हेतु गेस्ट हाऊस सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान जारी करना (₹ 2.20 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) स्वास्थ्य विभाग के लिए दवाईयों और उपकरणों को खरीदने के लिए आपूर्ति और समग्र के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ङ) नगर निगम समिति को वेतन के भुगतान के लिए सहायता अनुदान जारी करने के लिए (₹ 0.32 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) releasing Grants-in-Aid to Changthang Pashmina Grower Cooperative Society (₹ 3.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure under Clothing and Tentage to purchase Uniforms for Police Department (₹ 25.70 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) releasing Grants-in-Aid for engagement of Guest house Facilities to conduct online classes for University of Ladakh (₹ 2.20 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting additional requirement under supplies and material to purchase Medicines and equipment for Health Department (₹ 5.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) releasing Grants-in-Aid for payment of salaries to the Municipal Committee (₹ 0.32 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	ग्रीन हाउस परियोजनाओं अर्थात् कृषि विभाग, लेह (₹ 18.35 करोड़), कृषि विभाग, करगिल (₹ 16.83 करोड़) और बागवानी विभाग (₹ 0.40 करोड़) हेतु सस्मिटी उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 35.58 करोड़)।	(f)			meeting additional requirement for providing subsidies for Green House Projects (₹ 35.58 crore) i.e. for Agriculture Department Leh (₹ 18.35 crore), Agriculture Department Kargil (₹ 16.83 crore) and Horticulture Department (₹ 0.40 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	पशुओं के लिए चारे और दवाईओं के शीतकालीन भंडारण अर्थात् पशुपालन विभाग (सस्मिडियों के अंतर्गत ₹ 1 करोड़) और भेड़ पशुपालन विभाग (आपूर्ति और सामग्री के अंतर्गत ₹ 4.52 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5.52 करोड़)।	(g)			meeting additional requirement for Winter stocking of Fodder and Medicines for Animals (₹ 5.52 crore) i.e. Animal Husbandry Department (₹ 1.00 crore under subsidies) and Sheep Husbandry Department (₹ 4.52 crore under supplies & materials).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	एफसीएस और सीए विभाग द्वारा खाद्यान्न की खरीद के लिए अन्य प्रभारों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 19.08 करोड़)।	(h)			meeting additional requirement under other charges for purchase of food grains by FCS & CA Department (₹ 19.08 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	अन्य प्रभार-नया शीर्ष (₹ 121.33 करोड़) के अंतर्गत विद्युत की खरीद डीजल जनरेटर सेटों के संचालन और रखरखाव (₹ 29.97 करोड़-अन्य प्रभार) और मरम्मत और रखरखाव के लिए (लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत ₹ 5.37 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(i)			meeting additional requirement for purchase of power under other charges (₹ 121.33 crore), for running and maintenance of DG sets (₹ 29.97 crore - Other Charges) and for repair and maintenance (₹ 5.37 crore under Minor works).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	यांत्रिकी विभाग द्वारा बर्फ हटाने वाली मशीनों की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 50.00 करोड़)।	(j)			meeting additional requirement for purchase of snow clearance machines by Mechanical Department (₹ 50.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 53

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 34 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1174.84	1174.84
पूंजी	Capital	...	201.62	201.62
जोड़	Total	...	1376.46	1376.46
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1376.53	1376.53
राजस्व	Revenue	...	1174.86	1174.86
पूंजी	Capital	...	201.67	201.67

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01	(क) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01	(ख) 0.01
5452-पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सफाई कर्मचारियों आदि की मजदूरी/पारिश्रमिक के भुगतान के लिए पंचायत को सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए (₹ 2.63 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) बिजली घर/तेल भंडारण इमारत आदि के निर्माण/पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) पर्यटन आवास भवनों और संबद्ध सुविधाओं आदि के निर्माण/पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 6 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) releasing of Grants-in-Aid to Panchayat for payment of wages/remuneration of Swachh workers etc. (₹ 2.63 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional requirement for construction/re-construction/ special repairs to power house/oil storage buildings etc. (₹ 0.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional requirement for construction/re-construction/ special repairs to tourist accommodations buildings and allied facilities etc. (₹ 6.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 54

दिल्ली को अंतरण

TRANSFERS TO DELHI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	966.00	966.00
पूंजी	Capital	...	150.00	150.00
जोड़	Total	...	1116.00	1116.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	149.99	149.99
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	149.99	149.99
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1265.99	1265.99
राजस्व	Revenue	...	1115.99	1115.99
पूंजी	Capital	...	150.00	150.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	149.99	149.99

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

दिल्ली आपदा अनुक्रिया निधि को अंशदान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 156.49 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 149.99 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 6.50 करोड़ का उपयोग करने के पश्चात, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

Grant-in-Aid General for meeting additional requirement for contributions to Delhi Disaster Response Fund (₹ 156.49 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 149.99 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 6.50 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 57

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	103.81	36533.39	36637.20
पूंजी	Capital	44.82	21104.20	21149.02
जोड़	Total	148.63	57637.59	57786.22
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	10000.03	10000.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	10000.04	10000.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	148.63	67637.66	67786.29
राजस्व	Revenue	103.81	46533.43	46637.24
पूंजी	Capital	44.82	21104.23	21149.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2216-आवास	...	5350.00	(क) 5350.00
2217-शहरी विकास	...	0.01	(ख) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01	(ग) 0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	...	0.01	(घ) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	4650.00	(ङ) 4650.00
जोड़ (राजस्व भाग)	...	10000.03	10000.03
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	(च) 0.01
जोड़ (पूरक)	...	10000.04	10000.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के लिए ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत सब्सिडी प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) के अंतर्गत (i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/कम आय समूह (एलआईजी) (₹ 2850 करोड़) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) (₹ 2500 करोड़) अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) प्रशिक्षण स्कीम (₹ 0.15 करोड़) (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में अन्य परियोजनाएं (₹ 0.01 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में अन्य परियोजनाओं के लंबित देनदारियों के मंजूरी हेतु नए शीर्ष खोलने के लिए (₹ 18.55 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) निम्नलिखित नए शीर्षों को खोलने के लिए (i) प्रकाशन के अंतर्गत लाभार्थी परिचय कार्ड (₹ 37.50 करोड़) (ii) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग (₹ 12.63 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग (₹ 1.50 करोड़)

The supplementary Grants are required for:

- (a) subsidies under Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) to (i) Economically Weaker Section (EWS)/Lower Income Group (LIG) (₹ 2850.00 crore) and (ii) Middle Income Group (MIG) (₹ 2500.00 crore) under Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)(Urban).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) (i) for Public Health Engineering (PHE) training scheme (₹ 0.15 crore) under Grants in aid General (ii) Other Projects in North East Region (NER) under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) to clear pending liabilities of Other projects in North East Region (NER) under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 18.55 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) (i) Beneficiary Parichay Cards under Publication (₹ 37.50 crore), (ii) Socio-Economic Profiling under Grants-in-aid (General) (₹ 12.63 crore) and (iii) Socio-Economic Profiling under Professional Services (₹ 1.50 crore).

(इ)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (i) पूंजीगत आस्तियों के मुजन हेतु अनुदान के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक (₹ 1027.30 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक (₹ 205.40 करोड़) सहित प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) के लिए राज्य सरकारों को किस्तों का भुगतान। (ii) पूंजीगत आस्तियों के मुजन हेतु अनुदान के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में अन्य परियोजनाओं के लिए तए शीर्ष खोलना अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(e)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. (i) payment of installments to State Governments for Pradhan Mantri Awas Yojna(PMAY) (Urban) including Scheduled Caste Component (₹ 1027.30 crore) and Scheduled Tribes Component (₹ 205.40 crore) under Grants for creation of Capital Assets and (ii) Other Projects in North East Region (NER) under Grants for Creation of Capital Assets. Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. meeting expenditure towards 'Purchase of land for construction of Common Central Secretariat including boundary wall at Vrindavan Yojana No. 2, Lucknow (₹ 61.00 crore) under Major Works. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत वृंदावन योजना संख्या 2, लखनऊ में सीमा-चारदीवारी सहित कॉमन केंद्रीय सचिवालय के निर्माण के लिए भूमि की खरीद हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(f)	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 58
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	106040.74
पूंजी	Capital	...	...
जोड़	Total	...	106040.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	...	0.04
पूंजी	Capital	...	...
जोड़	Total	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	106040.78
राजस्व	Revenue	...	106040.78
पूंजी	Capital	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (का)
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खb)
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गc)
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घd)
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	(-)2100.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	(-)2890.48
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)2850.11
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)98.03
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)7938.62

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (1) इन स्कीमों में सामान्य सहायता अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-31) (i) सीटीएसए (₹ 10.90 करोड़), (ii) केवीएस (₹ 1605.80 करोड़) (iii) एनसीईआरटी (₹ 84.92 करोड़) (iv) समग्र शिक्षा (₹ 17 करोड़), (v) एनवीएस (₹ 852 करोड़), (vi) पढ़ना-लिखना अभियान (₹ 5 करोड़) (2) इन स्कीमों में वेतन सहायता अनुदान (i) एनवीएस (₹ 1970 करोड़), (ii) केवीएस (₹ 2324.38 करोड़) (iii) राष्ट्रीय बाल भवन (₹ 0.24 करोड़) (3) स्टार्स के स्कीम में विज्ञापन और प्रचार (प्रयोजन शीर्ष-26) (₹ 1 करोड़) (4) निम्नलिखित स्कीमों में व्यावसायिक सेवाएं (प्रयोजन शीर्ष-28) (i) स्टार्स (₹ 19.50 करोड़), (ii) पढ़ना-लिखना अभियान (₹ 5 करोड़) (5) निम्नलिखित स्कीमों में पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-35) (i) एनवीएस (₹ 568 करोड़), (ii) केवीएस (₹ 270.50 करोड़) (iii) एनसीईआरटी (₹ 5 करोड़) (iv) सीटीएसए (₹ 1 करोड़), (v) समग्र शिक्षा (₹ 25.84 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (1) निम्नलिखित स्कीमों में सामान्य सहायता अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-31) (i) केवीएस (₹ 193.50 करोड़), (ii) एमडीएम (₹ 35 करोड़) (iii) समग्र शिक्षा

The supplementary Grants are required for:

- (a) 1. Grants-in-Aid General (Object Head-31) in the Scheme of (i) Central Tibetan School Administration (CTSA) (Rs 10.90 crore), (ii) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹ 1605.80 crore), (iii) National Council of Education Research and Training (NCERT) (₹ 84.92 crore), (iv) Samagra Shiksha (₹ 17 crore), (v) Navodaya Vidyalaya Sangathan (NVS) (₹ 852 crore), (vi) Padhna Likhna Abhiyan (₹ 5 crore) 2. Grant in Aid Salary in the scheme (i) NVS (₹ 1970 crore), (ii) KVS (₹ 2324.38 crore) and (iii) National Bal Bhawan (₹ 0.24 crore). 3. Advertising and Publicity in the scheme of Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) (₹ 1 crore). 4. Professional Services in the scheme of (i) STARS (₹ 19.50 crore), (ii) Padma Likhna Abhiyan (₹ 5 crore) and 5. Grants for Creation of Capital Assets in the scheme (i) NVS (₹ 568 crore), (ii) KVS (₹ 270.50 crore), (iii) NCERT (₹ 5 crore), CTSA (₹ 1 crore) and (v) Samagra Shiksha (₹ 25.84 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) 1. Grants-in-Aid General (Object Head-31) in the Scheme of (i) KVS (Rs 193.50 crore), (ii) Mid-Day Meal (MDM) (₹ 35 crore),

(₹ 2785.40 करोड़) (iv) एनवीएस (₹ 20 करोड़), (v) पढ़ना-लिखना अभियान (₹ 10.26 करोड़)। (2) निम्नलिखित स्कीमों में पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (i) एनवीएस (₹ 40 करोड़), (ii) समग्र शिक्षा (₹ 145.68 करोड़) (iii) केवीएस (₹ 4.50 करोड़) और (3) इन स्कीमों में वेतन सहायता अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-36) (i) केवीएस (₹ 39 करोड़), (ii) एनवीएस (₹ 30 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (1) प्रारंभिक शिक्षा कोष में अंतरलेखा अंतरण (₹ 3187.88 करोड़)। (2) निम्नलिखित स्कीमों में सामान्य सहायता अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-31) (i) एमडीएम (₹ 2806.84 करोड़), (ii) मदरसा/अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा स्कीम (₹ 90.22 करोड़) (iii) स्टार्स (₹ 74.39 करोड़) (iv) समग्र शिक्षा (₹ 832.37 करोड़), (v) पढ़ना-लिखना अभियान (₹ 62.58 करोड़)। (3) निम्नलिखित स्कीमों में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-35) (i) स्टार्स (₹ 16.90 करोड़), (ii) समग्र शिक्षा (₹ 142.60 करोड़) और (iii) एमडीएम (₹ 43.27 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) (1) निम्नलिखित स्कीमों में सामान्य सहायता अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-31) (i) एमडीएम (₹ 80 करोड़), (ii) समग्र शिक्षा (₹ 98.03 करोड़) और (iii) पढ़ना-लिखना अभियान (₹ 2.41 करोड़)। (2) निम्नलिखित स्कीमों में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-35) (i) समग्र शिक्षा (₹ 90 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(iii) Samagra Shiksha (₹ 2785.40 crore), (iv) NVS (₹ 20 crore), (v) Padhna Likhna Abhiyan (₹ 10.26 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) NVS (₹ 40 crore), (ii) Samagra Shiksha (₹ 145.68 crore) and (iii) KVS (₹ 4.50 crore) and 3. Grants in Aid Salary under the scheme (i) KVS (₹ 39 crore) and (ii) NVS (₹ 30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. Inter Account Transfer to Prarambhik Shiksha Kosh (₹ 3187.88 crore) 2. Grants-in-Aid General (Object Head-31) in the Scheme of (i) MDM (₹ 2806.84 crore), (ii) Education Scheme for Madrasahs/Minorities (₹ 90.22 crore), (iii) STARS (₹ 74.39 crore) (iv) Samagra Shiksha (₹ 832.37 crore), (v) Padhna Likhna Abhiyan (₹ 62.58 crore) and 3. Grants for Creation of Capital Asset in the Scheme of (i) STARS (₹ 16.90 crore) (ii) Samagra Shiksha (₹ 142.60 crore), and (iii) MDM (₹ 43.27)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. Grants-in-Aid General (Object Head-31) in the Scheme of (i) MDM (Rs 80 crore) (ii) Samagra Shiksha (₹ 98.03 crore), (iii) Padhna Likhna Abhiyan (₹ 2.41 crore) and 2. Grant for Creation of Capital Assets in the scheme of Samagra Shiksha (₹ 90 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 59

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	52078.45	52078.45
पूंजी	Capital	...	2227.00	2227.00
जोड़	Total	...	54305.45	54305.45
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	812.51	812.51
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	812.51	812.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	4661.09	4661.09
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	4661.10	4661.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	59779.06	59779.06
राजस्व	Revenue	...	57552.05	57552.05
पूंजी	Capital	...	2227.01	2227.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	2480.95	(क) (a)	2480.95
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	2180.12	(ख) (b)	2180.12
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ग) (c)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(घ) (d)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	4661.09		4661.09
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परियोजनाएं	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01	(ङ) (e)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	4661.10		4661.10

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	(-)2480.95		(-)2480.95
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	(-)2180.12		(-)2180.12
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)4661.07		(-)4661.07

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित स्कीम के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 189.64) और (ii) विश्व स्तरीय संस्थान (₹ 534.32) 2. स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (i) केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 1951.50), (ii) डिम्ड विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 83 करोड़) और (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (₹ 1738.74 करोड़) 3. महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्ति (₹ 66.32 करोड़) 4. निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) डिम्ड विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 53.82 करोड़) और ऋण की अकादमिक बैंक (₹ 5 करोड़) 5. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के अंतर्गत अन्य शुल्क (₹ 3.27 करोड़) और 6. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष के लिए अंतर लेखा अंतरण (₹ 2480.95 करोड़)

The supplementary Grants are required for:

- (a) 1. Grants for creation of Capital Assets under the following schemes-(i) Grant to Central Universities (₹ 189.64), and 9 ii) World Class Institutions (₹ 534.32 crore) 2. Grant in aid Salaries under the schemes (i) Grant to Central Universities (₹ 1951.50), (ii) Grant to Deemed University (₹ 83 crore) and (iii) University Grants Commission (UGC) (₹ 1738.74 crore) 3 Scholarship/ Stends under the scheme Scholarship for College & university Students (₹ 66.32 crore) 4. Grants-in-aid General under the following schemes (i) Grants to Deemed University [₹ 53.82 Crore], and (ii) Academic Bank of Credits [₹ 5 Crore] 5 Other Charges under the scheme Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) ₹ 3.27 crore and 6 Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchhattar Shiksha Kosh (₹ 2480.95 crore)

अनुदान के राजस्व/पूँजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी भाग के भीतर बचत का उपयोग करने पश्चात उक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान:- भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹ 37.03 करोड़), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईएसटी को सहायता (₹ 180.12 करोड़) राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई (₹ 2.97 करोड़), नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (₹ 1 करोड़), स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) (₹ 0.04 करोड़), पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति (₹ 24.39 करोड़), सीमावर्ती क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान (₹ 7 करोड़) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलोर- एचआईएफए के व्याज के भुगतान के लिए सहायता (₹ 1.10 करोड़), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता (₹ 0.66 करोड़), एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार-एचआईएफए मूल सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 0.03 करोड़)।
- (ii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान:- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हैदराबाद (ईएपी) (₹ 75.30 करोड़), भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹ 32 करोड़), राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई (₹ 1.60 करोड़), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता ₹ 337.99 करोड़, भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता (आईआईएससी) (₹ 4.60 करोड़), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआई) को सहायता (₹ 227.84 करोड़), उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल (₹ 67.50 करोड़), सीमावर्ती क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान (₹ 1 करोड़), शिक्षुता प्रशिक्षण मंडल, बाम्बे, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई (₹ 0.65 करोड़)।
- (iii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान:- राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई (₹ 2.60 करोड़), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता (₹ 2000 करोड़)।
- (iv) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतर लेखा अंतरण (₹ 2180.12 करोड़)।

अनुदान और इस तरह की वसूलियों के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान:- केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 85.84 करोड़), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता (₹ 48.95 करोड़), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईएसटी को सहायता (₹ 10 करोड़), विश्वविद्यालय अनुदान को सहायता (यूजीसी) (₹ 35 करोड़) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 8.92 करोड़) और पीएम अनुसंधान अध्येतावृत्ति (₹ 1.50 करोड़)।
- (ii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान:- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईएसटी को सहायता (₹ 87 करोड़), एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 5.20 करोड़)।
- (iii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान:- केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 24 करोड़), एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 11.70 करोड़)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में मेल खाने वाला बचत उपलब्ध है अतः इसके लिए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (घ) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत पूंजी सहायता अनुदान:- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूसए) (₹ 0.84 करोड़)
- चूंकि अनुदान के इसी भाग में मेल खाने वाला बचत उपलब्ध है अतः इसके लिए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ङ) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत 'मुख्य निर्माण कार्य': केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और क्षेत्रीय भाषा केंद्र (₹ 2 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (b) (i) Grants-in-aid General under the following schemes:- Support to Indian Institutes of Management [₹ 37.03 crore], Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST [₹ 180.12 Crore], National Institute of Industrial Engineering Mumbai [₹ 2.97 Crore], National Institutional Ranking Framework [₹ 1 Crore], Swachhta Action Plan (SAP) [₹ 0.04 Crore], PM Research Fellowship [₹ 24.39 crore], Training and Research in Frontier Areas [₹ 7 crore], Support to Indian Institute of Science (IISc) Bangalore- Payment of HEFA Interest [₹ 1.10 crore], Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad, Gwalior, Jabalpur and Kanchipuram) [₹ 0.66 crore], Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar- HEFA Principal [₹ 0.03 crore]
- (ii) Grants for creation of capital assets under the following schemes: Indian Institute of Technology (IIT), Hyderabad (EAP) [₹ 75.30 Crore], Support to Indian Institutes of Management [₹ 32 crore], National Institute of Industrial Engineering Mumbai [₹ 1.60 Crore], Support to Indian Institutes of Technology [₹ 337.99 crore], Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 4.60 Crore], Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [₹ 227.84 Crore], Startup India Initiative in Higher Educational Institutions [₹ 67.50 crore], Training and Research in Frontier Areas [₹ 1 crore], Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 0.65 Crore]
- (iii) Grants-in-aid Salaries under the following schemes: National Institute of Industrial Engineering Mumbai [₹ 2.60 Crore], Support to Indian Institutes of Technology [₹ 2000 crore]
- (iv) Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchhattar Shiksha Kosh: [₹ 2180.12 Crore]

Taking into account the savings available within the same Section of the Grant and matching recoveries, this will not entail any additional cash outgo.

- (c) (i) Grants-in-aid General under the following schemes:- Grants to Central Universities [₹ 85.84 Crore], Support to Indian Institutes of Technology [₹ 48.95 crore], Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST [₹ 10 Crore], Support to University Grants Commission (UGC) [₹ 35 crore], Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 8.92 Crore], PM Research Fellowship [₹ 1.50 crore]
- (ii) Grants for creation of capital assets under the following schemes: Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST [₹ 87 Crore], Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 5.20 Crore]
- (iii) Grants-in-aid Salaries under the following schemes: Grants to Central Universities [₹ 24 Crore], Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 11.70 Crore]

As matching savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

'Grants in aid capital' under the following scheme: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) [₹ 0.84 crore]

As matching savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

'Major works' under the following scheme: Central Institute of Indian Languages, Mysore and Regional Language Centers [₹ 2 crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75-76 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 75-76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8641.49	8641.49
पूंजी	Capital	0.01	409.01	409.02
जोड़	Total	0.01	9050.50	9050.51
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	9050.54	9050.55
राजस्व	Revenue	...	8641.53	8641.53
पूंजी	Capital	0.01	409.01	409.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(क) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख) 0.01
2701-बृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)	नदी जल विवाद अधिग्रहण (एमडब्ल्यूडीटी) के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹ 0.039 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
(ख)	मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण स्कीम के अंतर्गत एनईआरआईडब्ल्यूएलएम के लिए वेतन सहायता अनुदान जारी (₹ 0.85 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
(ग)	अतुल भुजल योजन (ईएपी कार्यक्रम) (₹ 25.01 करोड़)। (ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के लिए नाबार्ड ऋण हेतु व्याज का भुगतान (₹ 150 करोड़) और पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों के नाबार्ड के लिए व्याज आर्थिक सहायता का भुगतान (₹ 155 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a)	'Professional Services' under Mahadayi Water Disputes Tribunal (MWDT) (₹ 0.040 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(b)	Grants-in-aid Salaries for North Eastern Regional Institute of Water and Land Management (NERIWALM) under the scheme 'Human Resource Development/Capacity Building' (₹ 0.85 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(c)	(i) Atal Bhujal Yojana (EAP programme) (₹ 25.01 crore). (ii) Payment of Interest for NABARD loan to National Water Development Agency (NWDA) under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) (₹ 150 crore) and (iii) Payment of Interest subvention for NABARD to states under PMKSY (₹ 155 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 62

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	29268.46	29268.46
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	29268.46	29268.46
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3249.64	3249.64
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	3249.64	3249.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	32518.10	32518.10
राजस्व	Revenue	...	32518.10	32518.10
पूंजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	92.43 (क)	92.43
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	2957.43 (ख)	2957.43
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	199.78 (ग)	199.78
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	3249.64	3249.64

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	(-)92.43	(-)92.43
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)2957.43	(-)2957.43
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)199.78	(-)199.78
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)3249.64	(-)3249.64

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)	(i)	(क) (i) जल जीवन मिशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए (₹ 7.07 करोड़)।
	(ii)	(ii) जल जीवन मिशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधि का अंतरण (₹ 92.43 करोड़)। चूंकि स्कीम के अंतर्गत व्यय केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण से पूरा कर लिया जाएगा, अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 7.07 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
(ख)		(ख) जल जीवन मिशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधि का अंतरण (₹ 2957.43 करोड़)। चूंकि स्कीम के अंतर्गत व्यय केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण से पूरा कर लिया जाएगा, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
(ग)	(i)	(ग) (i) जल जीवन मिशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधि का अंतरण (₹ 199.78 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

(a)	(i)	providing additional allocation for National Project Management Unit under the scheme Jal Jeevan Mission (JJM) (₹ 7.07 crore).
	(ii)	transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund under the scheme Jal Jeevan Mission (JJM) (₹ 92.43 crore). Since the expenditure under the scheme will be met from funds transfer to Central Road and Infrastructure Fund, taking into account the savings of ₹ 7.07 crore available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(b)		transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund under the scheme Jal Jeevan Mission (JJM) (₹ 2957.43 crore). As the expenditure under the scheme will be met from funds transferred under the scheme from Central Road and Infrastructure Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(c)	(i)	transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund under the scheme Jal Jeevan Mission (JJM) (₹ 199.78 crore).

- (ii) (ii) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (क) सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत (₹ 7.50 करोड़) (ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए (₹ 11.50 करोड़) और (ग) जनजाति क्षेत्र उपयोगिता घटक के अंतर्गत नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए (₹ 6 करोड़)।

चूंकि स्कीम के अंतर्गत व्यय को केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरित निधि से पूरा कर लिया जाएगा, अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 25.00 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ii) providing Grant-in-aid General under Swachh Bharat Mission (Gramin) (a) under Normal Programme (₹ 7.50 crore); (b) for opening new head of accounts for providing under Special Component Plan for Schedule Castes (₹ 11.50 crore);(c) for opening new head of accounts for providing under Tribal Area Sub Plan Component (₹ 6.00 crore).

As the expenditure under the scheme will be met from funds transfer to Central Road and Infrastructure Fund and taking into account the savings of ₹ 25.00 crore available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 63

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	12021.49	12021.49
पूंजी	Capital	...	44.00	44.00
जोड़	Total	...	12065.49	12065.49
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4860.00	4860.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	4860.00	4860.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	16925.52	16925.52
राजस्व	Revenue	...	16881.52	16881.52
पूंजी	Capital	...	44.00	44.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01	(क) a	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख) b	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(ग) c	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 900 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	Meeting expenditure towards Grant-in-aid General (₹ 900.00 crore) under the scheme 'Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 100 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए और (ii) 'कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹ 73.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	(i) Meeting expenditure towards Grant-in-aid General (₹ 100.00 crore) under the scheme 'Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY)' and (ii) Meeting expenditure towards Contribution (₹ 73.00 crore) under the scheme 'Employees Pension Scheme (EPS), 1995. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	'राष्ट्रीय करियर सेवाएं' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.42 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Meeting expenditure towards Grant-in-aid General (₹ 0.42 crore) under the scheme 'National Career Services'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

विधि और न्याय
LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
				जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	...	2150.00		2150.00
पूंजी	Capital	...	200.00		200.00
जोड़	Total	...	2350.00		2350.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	...	...		...
पूंजी	Capital	...	...		...
जोड़	Total	...	...		...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	...	10.00		10.00
पूंजी	Capital	...	86.00		86.00
जोड़	Total	...	96.00		96.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2446.00		2446.00
राजस्व	Revenue	...	2160.00		2160.00
पूंजी	Capital	...	286.00		286.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	10.00	(क)	10.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	86.00	(ख)	86.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	96.00		96.00
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !					
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)10.00		(-)10.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के तहत फास्ट ट्रैक विशेष अदालत पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
- निर्भया फण्ड से ₹ 10 करोड़ के वसूलियों के खातों सहित उपर्युक्त व्यय में और कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है।
- (ख) (ii) नौरोजी नगर, दिल्ली में भवन की खरीद हेतु एनबीसीसी को भुगतान करना लखनऊ और कोलकाता में आईटीएटी बेंच हेतु भवन का निर्माण और अहमदाबाद में भूमि की खरीद हेतु।
- अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को जमा करने के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च निहित नहीं है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) meeting additional expenditure on Fast Track Special Courts under National Mission for Safety of Women.
- Taking into account the recoveries of ₹ 10 crore from Nirbhaya Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) (ii) for making payment to NBCC for purchase of building in Nauroji Nagar, Delhi, construction of building for ITAT bench in Lucknow and Kolkata and purchase of land in Ahmedabad.
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 65

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	269.00	269.00
पूंजी	Capital	...	1.00	1.00
जोड़	Total	...	270.00	270.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	5.00	5.00
जोड़	Total	...	5.00	5.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	275.01	275.01
राजस्व	Revenue	...	269.01	269.01
पूंजी	Capital	...	6.00	6.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	5.00	5.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मतदाता जागरूकता को बढ़ाने हेतु देश में क्षेत्रीय हब केन्द्रों की स्थापना / निर्माण पर व्यय करने हेतु अनुपूरक की आवश्यकता है
राजस्व खंड के तहत उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, यह अनुपूरक किसी भी नकद आउटगो की मांग नहीं करता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure on creation/construction of regional Hub Centres in the country for increasing voters awareness.
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 66 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय
SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	308.61	...	308.61
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	308.61	...	308.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	19.39	...	19.39
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	19.39	...	19.39
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	328.00	...	328.00
राजस्व	Revenue	328.00	...	328.00
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	19.39	...	19.39

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन (₹ 10.04 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹ 9.35 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting expenditure under Salaries (₹ 10.04 crore) and Office Expenses (₹ 9.35 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 67

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7513.20	7513.20
पूंजी	Capital	...	59.00	59.00
जोड़	Total	...	7572.20	7572.20
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	500.00	500.00
जोड़	Total	...	500.02	500.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	500.00	500.00
जोड़	Total	...	500.02	500.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8572.24	8572.24
राजस्व	Revenue	...	7513.24	7513.24
पूंजी	Capital	...	1059.00	1059.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (क)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	100.00 (ग)	100.00
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	400.00 (घ)	400.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	500.00	500.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	500.02	500.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:
(क) 'विपदाग्रस्त अस्तित्व निधियां' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹ 130.41 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a) Meeting expenditure towards Contribution (₹ 130.41 Crore) under the scheme 'Distressed Asset Funds'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (i) 'क्रेडिट संबद्ध पूंजीगत सस्मिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना' स्कीम के अंतर्गत सस्मिडियों (₹ 652.88 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए (ii) 'अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए (iii) 'अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण - ईएपी घटक' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.71 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए, और (iv) 'खादी विकास योजना' स्कीम के अंतर्गत सस्मिडियों (₹ 80.33 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b) (i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 652.88 crore) under the scheme 'Credit linked Capital Subsidy and Technology Upgradation Scheme', (ii) Meeting expenditure towards Grant-in-aid Salary (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Infrastructure Development and Capacity Building', (iii) Meeting expenditure towards Grant-in-aid General (₹ 8.71 crore) under the scheme 'Infrastructure Development and Capacity Building - EAP Component' and (iv) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 80.33 crore) under the scheme 'Khadi Vikas Yojana'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹ 100 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c) Meeting expenditure towards Investment (₹ 100.00 crore) under the scheme 'Fund of Funds'. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(घ) 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹ 400 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(d) Meeting expenditure towards Investment (₹ 400.00 crore) under the scheme 'Fund of Funds'. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 68

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1737.04	1737.04
पूंजी	Capital	...	114.36	114.36
जोड़	Total	...	1851.40	1851.40
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1851.41	1851.41
राजस्व	Revenue	...	1737.05	1737.05
पूंजी	Capital	...	114.36	114.36
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

‘भारत स्वर्ण खान लिमिटेड’ स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Meeting expenditure towards Grant-in-aid General (₹ 1.50 crore) under the scheme 'Bharat Gold Mines Ltd.'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 69
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4868.98	4868.98
पूंजी	Capital	...	160.02	160.02
जोड़	Total	...	5029.00	5029.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5029.01	5029.01
राजस्व	Revenue	...	4868.99	4868.99
पूंजी	Capital	...	160.02	160.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

हमारी धरोहर स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid General under the scheme Hamari Dharohar (₹ 2.20 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 70
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)
(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5701.00	5701.00
पूंजी	Capital	...	52.00	52.00
जोड़	Total	...	5753.00	5753.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	118.00	118.00
जोड़	Total	...	118.01	118.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5871.02	5871.02
राजस्व	Revenue	...	5701.02	5701.02
पूंजी	Capital	...	170.00	170.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	4810-Capital Outlay on New and Renewable Energy	...	118.00 (खब)	118.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	118.01	118.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सौर-विद्युत (ऑफ-ग्रिड) (₹ 75.00 करोड़), अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप ((अनुसंधान और विकास) (₹ 18.00 करोड़) और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (₹ 0.41 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।
- (ii) अनुसंधान और विकास (₹ 11.00 करोड़) और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (₹ 0.94 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) कार्यालय भवन-अटल अक्षय ऊर्जा भवन के निर्माण के व्यय हेतु अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए (₹ 118.00 करोड़)।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under the schemes Solar Power (Off-grid) (₹ 75.00 crore), Research and Development Activities (Research and Development) (₹ 18.00 crore) and National Institute of Bio Energy (₹ 0.41 crore).
- (ii) Providing Grant-in-aid General for Research and Development Activities under the scheme Research and Development) (₹ 11.00 crore) and National Institute of Bio Energy (₹ 0.94 crore);
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure for construction of Office Building - Atal Akshay Urja Bhawan (₹ 118.00 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 71

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	900.94	900.94
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	900.94	900.94
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	900.96	900.96
राजस्व	Revenue	...	900.96	900.96
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (ii) पंचायतों को प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.18 करोड़) प्रदान करने के लिए।
- (i) विज्ञापन और प्रचार स्कीम के अंतर्गत समाचार पत्रिकाओं के मुद्रण और प्रकाशनों को जारी करने के लिए व्यय पूरा करने हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 2.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (ii) providing Grants-in-aid General under the scheme -Incentivisation of Panchayat (₹ 3.18 crore).
- (i) providing additional funds to meet expenditure towards printing and issue of publications of News Magazines under the scheme - Advertising and Publicity (₹ 2.50 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 73

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		Charged	Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	73.32	1532.96	1606.28
पूंजी	Capital	3.65	144.61	148.26
जोड़	Total	76.97	1677.57	1754.54
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	69.31	69.31
पूंजी	Capital	...	1.47	1.47
जोड़	Total	...	70.78	70.78
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	76.97	1748.37	1825.34
राजस्व	Revenue	73.32	1602.28	1675.60
पूंजी	Capital	3.65	146.09	149.74
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01 (क)	0.01
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission	...	27.79 (ख)	27.79
2055-पुलिस	2055-Police	...	41.50 (ग)	41.50
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01 (घ)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	69.31	69.31
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	1.46 (ङ)	1.46
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (च)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	1.47	1.47
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	70.78	70.78

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सामान्य सहायता अनुदान, वेतन सहायता अनुदान और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय भर्ती अभिकरण (₹ 1 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) (₹ 27.79 करोड़)।
- अनुदान के राजस्व (भारित) में उपलब्ध ₹ 2.38 करोड़ राशि की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 25.41 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
- (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए वेतन शीर्ष के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए (₹ 41.50 करोड़)।
- अनुदान के राजस्व (भारित) भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़), (ii) वेतन सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़) और (iii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 7 करोड़) के अंतर्गत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) National Recruitment Agency (NRA) under Grants- in -Aid General, Grants- in- Aid Salaries and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1.00 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Staff Selection Commission(SSC) under Professional Services (₹ 27.79 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue (Charged) of amount ₹ 2.38 crore, the net cash outgo is ₹ 25.41 crore.
- (c) meeting expenditure under Salaries head for Central Bureau of Investigation (₹ 41.50 crore)
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue(Charged) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (d) Indian Institute of Public Administration (IIPA) under (i) Grants- in- Aid General (₹ 2 Crore), (ii) Grants-in- Aid Salaries (₹ 1.00 Crore) and (iii) Grants for Creation of Capital Assets(₹ 7.00 Crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ड)	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लिए व्यापक आधुनिकीकरण और भूमि की खरीद/कार्यालय, आवास भवनों का निर्माण के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1.46 करोड़)। अनुदान के राजस्व (भारित) भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(e)	meeting expenditure for Comprehensive Modernization & Purchase of land/ construction of office/residence buildings for Central Bureau of Investigation(CBI) (₹ 1.46 Crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue(Charged) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(च)	(i) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) में प्रशिक्षण सुविधाओं का संवर्धन करने के लिए आईएसटीएम के लिए (₹ 10 करोड़) और (ii) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) के विभिन्न पीठों के लिए भूमि की खरीद तथा भवनों का निर्माण (₹ 10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(f)	(i) Augmentation of Training Facilities at Institute of Secretariat Training and Management(ISTM) under Major Works (₹ 10.00 Crore) and (ii) Purchase of Land & Construction of Building for various benches of Central Administrative Tribunal (CAT) under Major Works (₹ 10.00 Crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 75
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 45 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	42722.00	42722.00
पूंजी	Capital	...	907.00	907.00
जोड़	Total	...	43629.00	43629.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	3184.00	3184.00
जोड़	Total	...	3184.01	3184.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	46813.02	46813.02
राजस्व	Revenue	...	42722.02	42722.02
पूंजी	Capital	...	4091.00	4091.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) (क) एलपीजी हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देय अन्य सब्सिडी (₹ 40.79 करोड़) (ख) परियोजना प्रबंधन व्यय (₹ 22.64 करोड़) और (ग) वीसीपीएल/असम गैस क्रैकर परिसर को फीडस्टॉक सब्सिडी (₹ 1700 करोड़) के अंतर्गत सब्सिडियों के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।
- (ii) रणनीतिक कच्चा तेल भंडार (ओएण्डएम) के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 23.24 करोड़)।
- (iii) (क) भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई), विशाखापट्टनम (₹ 250 करोड़) (ख) ऊर्जा के उत्कृष्टता केन्द्र, बेंगलुरु की स्थापना (₹ 30 करोड़) (ग) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), असम की स्थापना (₹ 5 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) providing additional funds for Subsidies under (a) Other subsidy payable including for North Eastern Region for LPG (₹ 40.79 crore); (b) Project Management Expenditure (₹ 22.64 crore) and (c) Feedstock Subsidy to BCPL/Assam Gas Cracker Complex (₹ 1700.00 crore)
- (ii) providing Grants-in-Aid General under the Scheme Payment to ISPRIL for Strategic Crude Oil Reserve (O&M) (₹ 23.24 crore).
- (iii) providing Grants for Creation of Capital Assets under (a) Indian Institute of Petroleum Energy (IIPE) Vishakhapatnam (₹ 250.00 crore); (b) Establishment of Centre of Excellence for Energy, Bangalore (₹ 30.00 crore); (c) Establishment of Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology (RGIPT), Assam (₹ 5.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 76

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	649.22	649.22
पूंजी	Capital	...	0.78	0.78
जोड़	Total	...	650.00	650.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	120.00	120.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	120.00	120.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	770.02	770.02
राजस्व	Revenue	...	769.24	769.24
पूंजी	Capital	...	0.78	0.78
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	120.00	120.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सेतु सहित अटल अभिनवता मिशन (एम) स्कीम (₹ 38 करोड़) (ii) सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) हेतु जायका के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) (₹ 87 करोड़) और (iii) ईएचआरएम और अन्य व्यय के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय श्रम अर्थव्यवस्था अनुसंधान और विकास संस्थान (निलेई) (₹ 0.50 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आबंटन को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इससे नकद व्यय ₹ 120 करोड़ होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Atal Innovation Mission (AIM) including Self Employment and Talent Utilisation (SETU) (₹ 38 crore) (ii) Official Development Assistance (ODA) from Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainable Development Goals (SDGs) (₹ 87 crore) and (iii) National Institute of Labour Economics Research and Development (NILERD) (₹ 0.50 crore) for implementation of EHRM and other expenditure.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 120 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 77

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
		Charged	Voted	जोड़	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	...	19833.20		19833.20
पूंजी	Capital	...	2048.08		2048.08
जोड़	Total	...	21881.28		21881.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	...	403.51		403.51
पूंजी	Capital	...	...		...
जोड़	Total	...	403.51		403.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	22284.79		22284.79
राजस्व	Revenue	...	20236.71		20236.71
पूंजी	Capital	...	2048.08		2048.08
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) a	0.01
2801-विद्युत	2801-Power	...	403.50	(ख) b	403.50
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	403.51		403.51
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।					
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2801-विद्युत	2801-Power	...	(-)403.50		(-)403.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) एकीकृत विद्युत विकास निधि स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 130.00 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम – बदरपुर थर्मल विद्युत केंद्र के भुगतान स्कीम के अंतर्गत अन्य संविदात्मक सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 32.15 करोड़)
- (ii) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए निधि प्रदान करना (₹ 20.00 करोड़)।
- (iii) विद्युत प्रणाली विकास निधि स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए निधि प्रदान करना (₹ 250.00 करोड़)।
- (iv) संघ राज्य क्षेत्र और गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियम आयोग (जेईआरसी) की स्थापना स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.90 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.89 करोड़) प्रदान करना।
- (v) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत वेतन (₹ 0.88 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹ 0.13 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹ 0.66 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.01 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹ 0.97 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना।
- (vi) विद्युत अपील अधिकरण स्कीम (एपीटीईएल) के अंतर्गत चिकित्सा उपचार (₹ 0.10 करोड़) और किराया, दर और कर (₹ 5.68 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना।
- (vii) सुवन श्री लोअर परियोजना (एनएचपीसी) (₹ 105.00 करोड़) के डाउन स्ट्रीम सुरक्षा कार्य के लागत के लिए नए स्कीम अनुदान के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के अनुदानों को बढ़ावा देने के लिए निधि प्रदान करना।

The supplementary Grants are required for:

- (a) providing additional funds for Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Integrated Power Development Fund (₹ 130.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) providing additional funds for Other Contractual Service under the scheme Payment to South Delhi Municipal Corporation-Badarpur Thermal Power Station (₹ 32.15 crore).
- (ii) providing Funds for Grants-in-aid General under the scheme Integrated Power Development Scheme (₹ 20.00 crore).
- (iii) providing funds for Grants for creation of Capital Assets under the scheme Power System Development Fund (₹ 250.00 crore).
- (iv) providing funds for Grants in aid General (₹ 0.90 crore) and Grant in aid Salaries (₹ 0.89 crore) under the scheme Setting up of Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for UTs and Goa.
- (v) providing additional funds for Salaries (₹ 0.88 crore), Medical Treatment (₹ 0.13 crore), Minor Work (₹ 0.66 crore), Other Administrative Expenses (₹ 0.01 crore) and Office Expenses (₹ 0.97 crore) under the Central Electricity Authority.
- (vi) providing additional funds for Medical Treatment (₹ 0.10 crore) and Rent Rates and Taxes (₹ 5.68 crore) under the scheme Appellate Tribunal for Electricity (APTEL).
- (vii) providing funds for augmentation of Grants of Creation of Capital Assets under the new scheme grant towards cost of downstream protection work of Subansiri lower project (NHPC) (₹ 105.00 crore).

- | | |
|---|--|
| <p>(viii) नई केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटीलिटी सृजन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.75 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 6.25 करोड़) के लिए निधि प्रदान करना।</p> <p>(ix) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि स्कीम के अंतर्गत (क) कार्यालय के अचल संपत्ति प्राप्ति हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 150.00 करोड़) (ख) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़)।</p> <p>(x) विद्युत प्रणाली विकास निधि स्कीम के अंतर्गत अंतर लेखा अंतरण (₹ 250.00 करोड़)</p> <p>चूंकि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और विद्युत प्रणाली विकास निधि स्कीम के अंतर्गत होने वाले व्यय को सीईआरसी निधि (₹ 153.50 करोड़) और विद्युत प्रणाली विकास निधि (₹ 250.00 करोड़) को अंतरित निधियों से पूरा किया जाना है। अतः उक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(viii) providing funds for Grants in aid General (₹ 1.75 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 6.25 crore) under the new scheme Creation of Central Transmission Utility (CTU).</p> <p>(ix) providing additional funds for (a) Grant for creation of Capital Assets (₹ 150.00 crore) for acquiring immovable property for the office, (b) Grants in aid General (₹ 2.00 crore) and (c) Grant in aid salaries (₹ 1.50 crore) under the scheme Central Electricity Regulatory Commission (CERC) Fund.</p> <p>(x) inter account transfer under the scheme Power System Development Fund (₹ 250.00 crore) .</p> <p>As the expenditure under the schemes Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and Power System Development Fund will be met from funds transferred to CERC Fund (₹ 153.50 crore) and Power System Development Fund (₹ 250.00 crore), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
|---|--|

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 79

लोक सभा
LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.30	809.80	811.10
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	1.30	809.80	811.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.30	809.81	811.11
राजस्व	Revenue	1.30	809.81	811.11
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सब्सिडियों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.75 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure on subsidies (₹ 0.75 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 83

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98-99 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)
(See page 98-99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	497.00	283481.64	283978.64
पूंजी	Capital	102.63	237526.79	237629.42
जोड़	Total	599.63	521008.43	521608.06
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	520.00	520.00
पूंजी	Capital	...	100.00	100.00
जोड़	Total	...	620.00	620.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	336.00	0.01	336.01
जोड़	Total	336.00	0.01	336.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	935.63	521628.44	522564.07
राजस्व	Revenue	497.00	284001.64	284498.64
पूंजी	Capital	438.63	237626.80	238065.43
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	336.00 (का)	...	336.00
7002-रेलवे को ऋण	7002-Loans to Railways	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	336.00	0.01	336.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹ 336 करोड़ का तकनीकी पूरक मांगा जाता है। और

(ख) (i) 'कोविड संबंधित संसाधन अंतराल के लिए विशेष ऋण' के रूप में ₹ 63000 करोड़ और (ii) लोक लेखा के 2019-20 में प्रतिकूल शेष राशि के परिसमापन हेतु ₹ 16,398 करोड़ का ऋण प्रदान करने के लिए। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure arising out of court decrees. Taking into account savings available in voted section of the Grant, a technical supplementary for ₹ 336 crore is sought; and

(b) providing a loan of (i) ₹ 63,000 crore as 'Special Loan for COVID related resource gap' and (ii) ₹ 16,398 crore towards liquidating adverse balance occurred in Public account in 2019-20. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 84
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100-101 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)
(See page 100-101 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 48 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	19686.29	19686.29
पूंजी	Capital	160471.61	160481.61
जोड़	Total	180157.90	180167.90
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	0.01	0.01
पूंजी	Capital	156.92	156.92
जोड़	Total	156.93	156.93
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	0.02	0.02
पूंजी	Capital	16220.00	16220.00
जोड़	Total	16220.02	16220.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	196534.85	196544.85
राजस्व	Revenue	19686.32	19686.32
पूंजी	Capital	176848.53	176858.53

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	0.01 (का)	0.01
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	4970.00 (गc)	4970.00
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	11250.00 (घd)	11250.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	16220.00	16220.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	16220.02	16220.02

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)6220.00	(-)6220.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) में 'छोटे कार्य' (₹ 134 करोड़) और अंतर खाता अंतरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय के लिए (₹ 134 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) प्रतिपूर्ति सलाकार सेवा के लिए 'व्यवसायिक सेवा' (₹ 10 करोड़) (ii) राष्ट्रीय सामान्य गतिशिलता कार्ड में सामान्य अनुदान जारी करना (एनसीएमसी) (₹ 10 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) विशिष्ट त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत -जीवीएस से वित्तपोषित के लिए मुख्य कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (₹ 4510 करोड़) (ii) सड़क विंग के अंतर्गत सड़क विकास कार्य के लिए मुख्य कार्यों पर अतिरिक्त व्यय-जीवीएस से वित्तपोषित

The supplementary Grants are required for:

- (a) additional expenditure under 'Minor Works' (₹ 134 crore) and 'Inter Account Transfer' to Central Road & Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 134 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) 'Professional Services' for Reimbursable Advisory Services (₹ 10 crore). (ii) release of Grants-in-aid General to implement National Common Mobility Card (NCMC) (₹ 10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) additional expenditure on 'Major Works' under the scheme of Special Accelerated Road Development Programme -financed from GBS (₹ 4510 crore). (ii) additional expenditure on 'Major Works' for

(₹ 460 करोड़)।

उपर्युक्त में ₹ 4970 करोड़ रु. का नकद व्यय होगा।

- (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में निवेश सीआरआईएफ से वित्तपोषित (₹ 6500 करोड़) और भारत माला परियोजना के लिए (₹ 50 करोड़) (d)
- (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग वास्तविक कार्य के अंतर्गत मुख्य कार्यों पर अतिरिक्त व्यय सीआरआईएफ से वित्तपोषित (₹ 3586.50 करोड़) (iii) वामपंथी चरम पंथी प्रभावित क्षेत्र में सड़क जोड़ने के विकास के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (₹ 30 करोड़) (iv) राष्ट्रीय राजमार्ग वास्तविक कार्य-जनजातिय क्षेत्र उपयोगना- के अंतर्गत मुख्य कार्यों पर अतिरिक्त व्यय सीआरआईएफ से वित्तपोषित (₹ 3140 करोड़) (v) एनएचएआई में निवेश के लिए सीआरआईएफ में अंतर खाता अंतरण (₹ 6550 करोड़) (vi) अन्य योजनाओं के लिए सीआरआईएफ में अंतर खाता अंतरण (₹ 3464.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वक्तों को ध्यान में रखते हुए (₹ 12071 करोड़) और वसूलियों के द्वारा व्यय को मिलाने के लिए (₹ 6220 करोड़), इसमें निवल नकद ₹ 5030 करोड़ का प्रभाव होगा।

Road Development Works under Road Wing -financed from GBS (₹ 460 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 4970 crore.

- (i) 'Investment' in National Highways Authority of India (NHAI) financed from CRIF (₹ 6500 crore) and for Bharatmala Pariyojana (₹ 50 crore). (ii) additional expenditure on 'Major Works' under National Highways Original Works financed from CRIF (₹ 3586.50 crore). (iii) additional expenditure on 'Major Works' under Special Programme for Development of Road Connectivity in Left Wing Extremist Affected Area (₹ 30 crore). (iv) additional expenditure on 'Major Works' under National Highways Original Works-Tribal Area Sub Plan -finance from CRIF (₹ 3140 crore). (v) 'Inter Account Transfer' to CRIF for Investment in NHAI (₹ 6550 crore). (vi) 'Inter Account Transfer' to CRIF for other schemes (₹ 3464.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of Grant (₹ 12071 crore) and expenditure to be matched by recoveries (₹ 6220 crore), this will entail a net cash outgo of ₹ 5030 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 85

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	198026.19	198026.19
पूंजी	Capital	...	100.00	100.00
जोड़	Total	...	198126.19	198126.19
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	113771.50	113771.50
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	113771.50	113771.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	33057.84	33057.84
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	33057.84	33057.84
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	344955.53	344955.53
राजस्व	Revenue	...	344855.53	344855.53
पूंजी	Capital	...	100.00	100.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2216-आवास	2216-Housing	...	2684.00	(क) (a)	2684.00
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	...	0.01	(ख) (b)	0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	10557.83	(ग) (c)	10557.83
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	1950.00	(घ) (d)	1950.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	17438.29	(ङ) (e)	17438.29
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	427.71	(च) (f)	427.71
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	33057.84		33057.84

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2216-आवास	2216-Housing	...	(-)2684.00		(-)2684.00
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	(-)7000.00		(-)7000.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	(-)1950.00		(-)1950.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)17438.29		(-)17438.29
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)427.71		(-)427.71
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)29500.00		(-)29500.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क) (i) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधि अंतरण (₹ 2684.00 करोड़)	(a) (i) transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 2684.00 crore).
(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए निधि प्रदान करना (₹ 2684.00 करोड़)	(ii) meeting expenditure under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna -Rural (₹ 2684.00 crore).
चूंकि स्कीम के अंतर्गत व्यय को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधि अंतरण के माध्यम से पूरा किया जाएगा इसलिए अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए उक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	As the expenditure under the scheme will be met through transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund and savings are available in the same section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत व्याज वितीय सहायता के लंबित दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त आबंटन (₹ 350.00 करोड़)	(b)	additional expenditure for settlement of claims of Interest Subvention under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹ 350.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 3.0 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 7000.00 करोड़)	(c)	(i) providing Grants for Creation of Capital Assets under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme as per Atmanirbhar Bharat Abhiyan Package 3.0 (₹ 7000.00 crore).
	(ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि के लिए निधि अंतरण (₹ 10000.00 करोड़)	(ii)	transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹ 10000.00 crore)
	चूंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत व्यय को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरा किया जाएगा, अनुदान के राजस्व भाग (₹ 6442.17 करोड़) और पूंजी भाग (₹ 100.00 करोड़) में उपलब्ध अभ्यर्पण बचत को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यय में ₹ 3457.83 करोड़ का नकद व्यय होगा।		As the expenditure under the scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme will be met from National Employment Guarantee Fund, taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section (₹ 6442.17 crore) and Capital Section (₹ 100.00 crore) of the Grant, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 3457.83 crore.
(घ)	(i) प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 1950.00 करोड़)	(d)	(i) Providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna-Rural (₹ 1950.00 crore)
	(ii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधि अंतरण (₹ 1950.00 करोड़)	(ii)	transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 1950.00 crore).
	चूंकि स्कीम के अंतर्गत व्यय को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधि अंतरण के माध्यम से पूरा किया जाएगा इसलिए उक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		As the expenditure under the scheme will be met through transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ङ)	(i) आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 3.0 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 3000.00 करोड़)	(e)	(i) providing Grants for Creation of Capital Assets under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme as per Atmanirbhar Bharat Abhiyan Package 3.0 (₹ 3000.00 crore);
	(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 14438.29 करोड़)	(ii)	providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna -Rural (₹ 14438.29 crore)
	(iii) प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को निधि अंतरण (₹ 14438.29 करोड़)	(iii)	transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna -Rural (₹ 14438.29 crore);
	चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण स्कीम (₹ 14438.29 करोड़) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (₹ 3000.00 करोड़) के अंतर्गत व्यय को क्रमशः केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को निधि अंतरण के माध्यम से पूरा किया जाएगा, इसलिए उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।		As the expenditure under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna -Rural (₹ 14438.29 crore) and Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme (₹ 3000.00 crore) will be met through transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund and National Employment Guarantee Fund respectively, the above expenditure will not entail any cash outgo.
(च)	(i) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए गांव उद्यमशीलता 'स्टार्टअप' कार्यक्रम के लिए नए लेखा-शीर्ष खोलना (₹ 1.30 करोड़)	(f)	(i) opening new head of account Village Entrepreneurship 'Start-up' Programme for providing Grants-in-aid General to UT of Jammu & Kashmir under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹ 1.30 crore);
	(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) – ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 427.71 करोड़)	(ii)	providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)-Rural (₹ 427.71 crore).
	(iii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को निधि अंतरण (₹ 427.71 करोड़)	(iii)	transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 427.71 crore);
	चूंकि पीएमएवाई – ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत व्यय को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरित निधि के माध्यम से पूरा किया जाएगा, इसलिए अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 429.01 करोड़ की अभ्यर्पण बचत को देखते हुए उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।		As the expenditure under the scheme PMAY-Rural will be met through transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund, taking into account the surrender of savings of ₹ 429.01 crore available in the same Section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 86

भूमि संसाधन विभाग

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 51 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2251.24	2251.24
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2251.24	2251.24
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2251.27	2251.27
राजस्व	Revenue	...	2251.27	2251.27
पूंजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	...	0.01 (क)	0.01
2506-भू सुधार	2506-Land Reforms	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) नवोन्मेष विकास के माध्यम से कृषि नमनीयता हेतु जलविभाजकों को पुनरुज्जीवित (रिवार्ड) करने के लिए अतिरिक्त आबंटन प्रदान करना (₹ 1.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (ख) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20.94 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) providing additional allocation for Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development (REWARD) (₹ 1.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing Grants-in-aid General under the scheme Digital India Land Records Modernization Programme (₹ 20.94 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 52 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	6212.61	6212.63
पूंजी	Capital	...	101.00	101.00
जोड़	Total	0.02	6313.61	6313.63
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	6313.63	6313.65
राजस्व	Revenue	0.02	6212.63	6212.65
पूंजी	Capital	...	101.00	101.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) पूंजी आस्ति के सृजनार्थ अनुदान' के अंतर्गत ₹ 72.00 करोड़ रुपये और (ii) स्वायत्त संस्थाओं और व्यावसायिक निकायों हेतु सहायता अनुदान ₹ 43 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Grants for creation of capital Assets for Science and Engineering Research Board (₹ 72 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries for Autonomous Institutions and Professional Bodies (₹ 43 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 90

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
		Charged	Voted	जोड़	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	...	2035.00		2035.00
पूंजी	Capital	...	145.00		145.00
जोड़	Total	...	2180.00		2180.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	...	...		...
पूंजी	Capital	...	...		...
जोड़	Total	...	...		...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	...	0.01		0.01
पूंजी	Capital	...	185.00		185.00
जोड़	Total	...	185.01		185.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2365.01		2365.01
राजस्व	Revenue	...	2035.01		2035.01
पूंजी	Capital	...	330.00		330.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses	...	0.01	(का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses	...	185.00	(खb)	185.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	185.01		185.01
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !					
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.					
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses	...	(-)100.00		(-)100.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत महानिदेशक (डीजीएलएल) की सामान्य प्रारंभित निधि को अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 56.99 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) सगारमाला विकास कंपनी (एसडीसी) में निवेश की राशि की पूर्ति सीआरआईएफ से की जानी है (₹ 100 करोड़) और (ii) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के लिए निधियों की अंतर लेखा अंतरण (₹ 100 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं (₹ 15 करोड़) और राजस्व भाग में बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, (₹ 185 करोड़) का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) providing additional funds to General Reserve Fund of Directorate General of Light Houses & Light Ship (DGLL) (₹ 56.99 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Investment in Sagarmala Development Company (SDC) to be met CRIF (₹ 100 crore) and (ii) Inter-account transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 100 crore) As savings are available within the same section of the Grant (₹ 15 crore) and surrender of savings in Revenue Section (₹ 185 crore), a technical supplementary has been sought-this will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 91

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 देखिये)

(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2923.03	2923.03
पूंजी	Capital	...	79.18	79.18
जोड़	Total	...	3002.21	3002.21
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3002.22	3002.22
राजस्व	Revenue	...	2923.04	2923.04
पूंजी	Capital	...	79.18	79.18
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

‘कौशल विकास’ स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 105 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए और (ii) ‘प्रशिक्षुता का संवर्धन’ स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों (₹ 26.28 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(i) Meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 105.00 crore) under the scheme 'Development of Skills' and (ii) Meeting expenditure towards Scholarship/Stipends (₹ 26.28 crore) under the scheme 'Promotion of Apprenticeship'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 92
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)
(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	9557.57	9557.57
पूंजी	Capital	546.00	546.00
जोड़	Total	10103.57	10103.57
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...
जोड़	Total	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...
जोड़	Total	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10103.60	10103.60
राजस्व	Revenue	9557.60	9557.60
पूंजी	Capital	546.00	546.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	0.01	(क) 0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.02	0.02

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	(-)54.50	(-)54.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना (लघु शीर्ष 789 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए ₹ 27.71 करोड़ और लघु शीर्ष 102 के अंतर्गत ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के लिए ₹ 22.29 करोड़) 2. अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 25 करोड़) (ii) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2 करोड़) (iii) विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों और अन्य वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की स्थापना हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (₹ 28 करोड़) 2. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (₹ 26.50 करोड़) 3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्यवाई योजना (₹ 34.70 करोड़) 4. औपधि मांग में कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्यवाई योजना (₹ 8 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में से ₹ 54.50 करोड़ की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants in aid General under the Scheme 1. Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH) Yojana (₹ 27.71 crore for SCs under Minor Head 789 and ₹ 22.29 crore for OBCs/EBCs/DNTs under Minor Head 102) 2. Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes (₹ 25 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Scheme of Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojna (₹ 2 crore) (iii) Scholarship/ Stipend under Scheme of Scholarship to Students of Scheduled Castes and Other Categories for Studies Abroad (₹ 10 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grants in aid General under the Scheme 1. National Institute of Social Defence (₹ 28 crore) 2. Rashtriya Vayoshri Yojana (₹ 26.50 crore) 3. National Action Plan for Senior Citizens (₹ 34.70 crore) 4. National Action Plan for Drug Demand Reduction (₹ 8 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant and ₹ 54.50 crore met from Senior Citizens Welfare Fund, this will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 55 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	5703.60	5704.20
पूंजी	Capital	0.40	7774.87	7775.27
जोड़	Total	1.00	13478.47	13479.47
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	13478.51	13479.51
राजस्व	Revenue	0.60	5703.62	5704.22
पूंजी	Capital	0.40	7774.89	7775.29

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	0.01	(क)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	0.01	(ख)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी (₹ 8.00 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 4.00 करोड़) के सहायता अनुदान वेतन, सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी (₹ 43 करोड़), राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 0.50 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) "पूँजीगत" खंड के तहत, भू-प्रतिबिंबन उपग्रह (जीसैट) (₹ 16 करोड़), रेडार प्रतिबिंबन उपग्रह (रिसैट)-1ए. (₹ 1 करोड़), ठोस नोदक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र (स्प्रोब) (₹ 8 करोड़), जी.एस.एल.वी. मार्क-III सतत परियोजना (₹ 2 करोड़), लघु उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (एस.एस.एल.वी.) विकास परियोजना (₹ 3 करोड़), जीसैट-20 उपग्रह (₹ 95 करोड़), मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एच.एस.एफ.सी.) (₹ 2 करोड़) जैसे उप शीर्षों के मशीनरी एवं उपकरणों के लिए; ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (पी.एस.एल.वी.) सतत परियोजना (₹ 7 करोड़), चंद्रयान-III (₹ 4 करोड़), इसरो नोदन कम्प्लेक्स (आई.पी.आर.सी.) के आवासीय कार्य (₹ 1 करोड़) तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय (इसरो मु.) (₹ 2 करोड़) के मुख्य कार्यों के लिए ₹ 0.01 करोड़ की टोकन अनुपूरक अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards (i) Grant-in-aid Salaries to Semi-Conductor Laboratory (₹ 8 crore) and Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 4 crore) and (ii) Grants-in-aid General to Semi-conductor Laboratory (₹ 43 crore) and National Atmospheric Research Laboratory (₹ 0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipments for Geo-Imaging Satellite (GISAT) (₹ 16 crore), Radar Imaging Satellite (RISAT)-1A (₹ 1 crore), Solid Propellant Space Booster Plant (SPROB) (₹ 13 crore), GSLV Mk-III Continuation Project (₹ 2 crore), Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) Development Project (₹ 3 crore), GSAT-20 Satellite (₹ 95 Crore), Human Spaceflight Centre (HSFC) (₹ 2 crore) and (ii) Major Works for Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) Continuation Project (₹ 7 crore), Chandrayaan-III (₹ 4 crore), Housing Works of ISRO Propulsion Complex (IPRC) (₹ 1 crore) and Indian Space Research Organisation Headquarters (ISRO Hq) (₹ 2 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 95
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)
(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5426.05	5426.05
पूंजी	Capital	...	17.95	17.95
जोड़	Total	...	5444.00	5444.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5444.02	5444.02
राजस्व	Revenue	...	5426.07	5426.07
पूंजी	Capital	...	17.95	17.95
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(1) आर्थिक जनगणना (₹ 88.33 करोड़) (2) (i) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को वेतन सहायता अनुदान (₹ 31 करोड़) और आर.सी बोस क्रिप्टो विज्ञान और सुरक्षा (₹ 1 करोड़) जारी करने के लिए तथा (ii) आर.सी बोस क्रिप्टो विज्ञान और सुरक्षा को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 3 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional Expenditure for (1) Economic Census (₹ 88.33 crore) (2) releasing (i) Grants-in-aid Salaries to Indian Statistical Institute, Kolkata (₹ 31 crore) and R. C. Bose Cryptology and Security (₹ 1 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets to R. C. Bose Cryptology and Security (₹ 3 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3463.76	3463.76
पूंजी	Capital	...	51.03	51.03
जोड़	Total	...	3514.79	3514.79
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	6.16	6.16
जोड़	Total	...	6.17	6.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3520.98	3520.98
राजस्व	Revenue	...	3463.79	3463.79
पूंजी	Capital	...	57.19	57.19

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(क) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	6.16	(ख) 6.16
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	6.17	6.17

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 'मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों (₹ 700 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए (ii) 'अन्य (टीआरए,सीओपी)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए और (iii) 'वस्त्र आयुक्त' स्कीम के अंतर्गत लघु निर्माण कार्यों (₹ 0.98 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों (₹ 5 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए और (ii) 'पावरटेक्स इंडिया' स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों (₹ 1.16 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यर्पण बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 700.00 crore) under the scheme 'Procurement of Cotton', (ii) Meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Others (TRAs, COP) and (iii) Meeting expenditure towards Minor Works (₹ 0.98 crore) under the scheme 'Textile Commissioner'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Meeting expenditure towards Major Works (₹ 5.00 crore) under the scheme 'National Handloom Development Programme' and (ii) Meeting expenditure towards Major Works (₹ 1.16 crore) under the scheme 'Powertex India'.
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2499.83	2499.83
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2499.83	2499.83
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6.26	6.26
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	6.26	6.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2506.10	2506.10
राजस्व	Revenue	...	2506.10	2506.10
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन	3452-Tourism	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"आई.एच.एम./ एफ.सी.आई./ आई.आई.टी.टी.एम./ एन.आई.डब्ल्यू.एस को सहायता स्कीम के अंतर्गत होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषाहार के संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 1.05 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

providing Grants in Aid General to Institutes of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition under the Scheme Assistance to IHMs/FCIs/IITM/NIWS (₹ 1.05 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 99
जनजातीय कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4768.01	2492.98	7260.99
पूंजी	Capital	...	150.01	150.01
जोड़	Total	4768.01	2642.99	7411.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4768.01	2643.00	7411.01
राजस्व	Revenue	4768.01	2492.99	7261.00
पूंजी	Capital	...	150.01	150.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए 1. (i) विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (₹ 2.76 करोड़)
(ii) जनजातीय त्यौहार, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा (₹ 2 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 2. "अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति" स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति (₹ 20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

To meet additional expenditure 1. Grant in Aid-General under the Scheme (i) Scholarship to the ST Student for studies abroad (₹ 2.76 crore) (ii) Tribal Festival, Research information and Mass Education (₹ 2 crore) 2. Scholarship under the scheme "National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST Students (₹ 20 crore)"

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, there will be no net cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	30507.09	30507.09
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	30507.10	30507.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	5.00	5.00
जोड़	Total	...	5.00	5.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	30512.11	30512.11
राजस्व	Revenue	...	30507.10	30507.10
पूंजी	Capital	...	5.01	5.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (₹ 59.76 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting the additional expenditure towards Grants in aid General under Anganwadi Services (₹ 59.76 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 101

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
	(₹ करोड़) (In ₹ crores)			
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2775.90	2775.90
पूंजी	Capital	...	51.02	51.02
जोड़	Total	...	2826.92	2826.92
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2826.97	2826.97
राजस्व	Revenue	...	2775.94	2775.94
पूंजी	Capital	...	51.03	51.03

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	...	0.01 (क)a	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)b	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परियोजना	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01 (ग)c	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) भारतीय खेल प्राधिकरण (सामान्य ₹ 8.71 करोड़ और स्वच्छता कार्य योजना ₹ 0.50 करोड़), (2) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹ 6.47 करोड़), (ii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) नेहरु युवा केंद्र संगठन (₹ 14.75 करोड़), (2) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (₹ 0.85 करोड़), (3) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 85.00 करोड़), (4) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹ 1.00 करोड़) और (5) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला स्कीमों के तहत (₹ 2 करोड़) (iii) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों की रचना के लिए अनुदान (₹ 2.50 करोड़) (iv) अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 0.30 करोड़), (v) भारतीय खेल प्राधिकरण स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति घटक के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति घटक हेतु सहायता अनुदान (₹ 3.00 करोड़) और (vi) भारतीय खेल प्राधिकरण स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति घटक हेतु सहायता अनुदान (₹ 3.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़) और (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) युवा छात्रावास के अंतर्गत मुख्य कार्य (₹ 1.00 करोड़)

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्षण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) GIA General under the scheme (1) Sports Authority of India (General ₹ 8.71 crore and Swachhta Action Plan ₹ 0.50 crore) and (2) National Dope Test Laboratory (₹ 6.47 crore) (ii) GIA Salary under the scheme (1) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 14.75 crore), (2) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹ 0.85 crore), (3) Sports Authority of India (₹ 85 crore), (4) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 1 crore) and (5) National Dope Test Laboratory (₹ 2 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes National Dope Test Laboratory (₹ 2.50 crore) (iv) Other Charges under the scheme Arjuna Award (₹ 0.30 crore) (v) GIA General SC Component under the scheme Sports Authority of India (₹ 3 crore) and (vi) GIA General ST Component under the scheme Sports Authority of India (₹ 3 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, there will be no net cash outgo.

(b) (i) GIA General under the scheme Sports Authority of India (₹ 2 crore) and (ii) GIA Salary under the scheme Sports Authority of India (₹ 10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, there will be no net cash outgo.

(c) To meet additional expenditure under Major Works under the scheme Youth Hostel (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, there will be no net cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुबंध Annexure

संसद को विवरण के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का परिशिष्ट
ANNEXURE FOR REPORT TO PARLIAMENT WITH RESPECT TO
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

(₹ करोड़ में)
 (₹ in crore)

क.स. Sl	(समग्र शिक्षा) शीर्ष से From Heads (Samagra Shiksha)	राशि Amount	(पढ़ना लिखना अभियान) शीर्ष की ओर To Heads (Padhna Likhna Abhiyan)	राशि Amount
1	2202.01.113.01.05.31	8.4650	2202.04.200.21.01.28	5.00
2			2202.04.200.21.02.31	3.4650
3	2202.01.789.22.01.31	1.00	2202.04.789.10.01.31	1.00
4	2202.01.796.23.01.31	0.5350	2202.04.796.10.01.31	0.5350
5	2552.00.156.20.01.31	7.1102	2552.00.161.11.00.31	7.1102
6	2552.00.789.86.01.31	2.0520	2552.00.789.87.01.31	2.0520
7	2552.00.796.86.01.31	1.0978	2552.00.796.36.01.31	1.0978
8	3602.06.101.57.01.31	43.3680	3601.06.101.66.00.31	43.3680
9	3601.06.789.58.01.35	12.5160	3601.06.789.57.00.31	12.5160
10	3601.06.796.62.01.35	6.6960	3601.06.796.61.00.31	6.6960
11	3602.06.101.58.01.31	2.41	3602.06.101.56.00.31	2.41
	कुल योग Grand Total	85.25	कुल योग Grand Total	85.25